खण्ड-175, अंक-6
सोमवार, 15 श्रावण, शक संवत् 1878
(6 अगस्त, 1956 ई0)

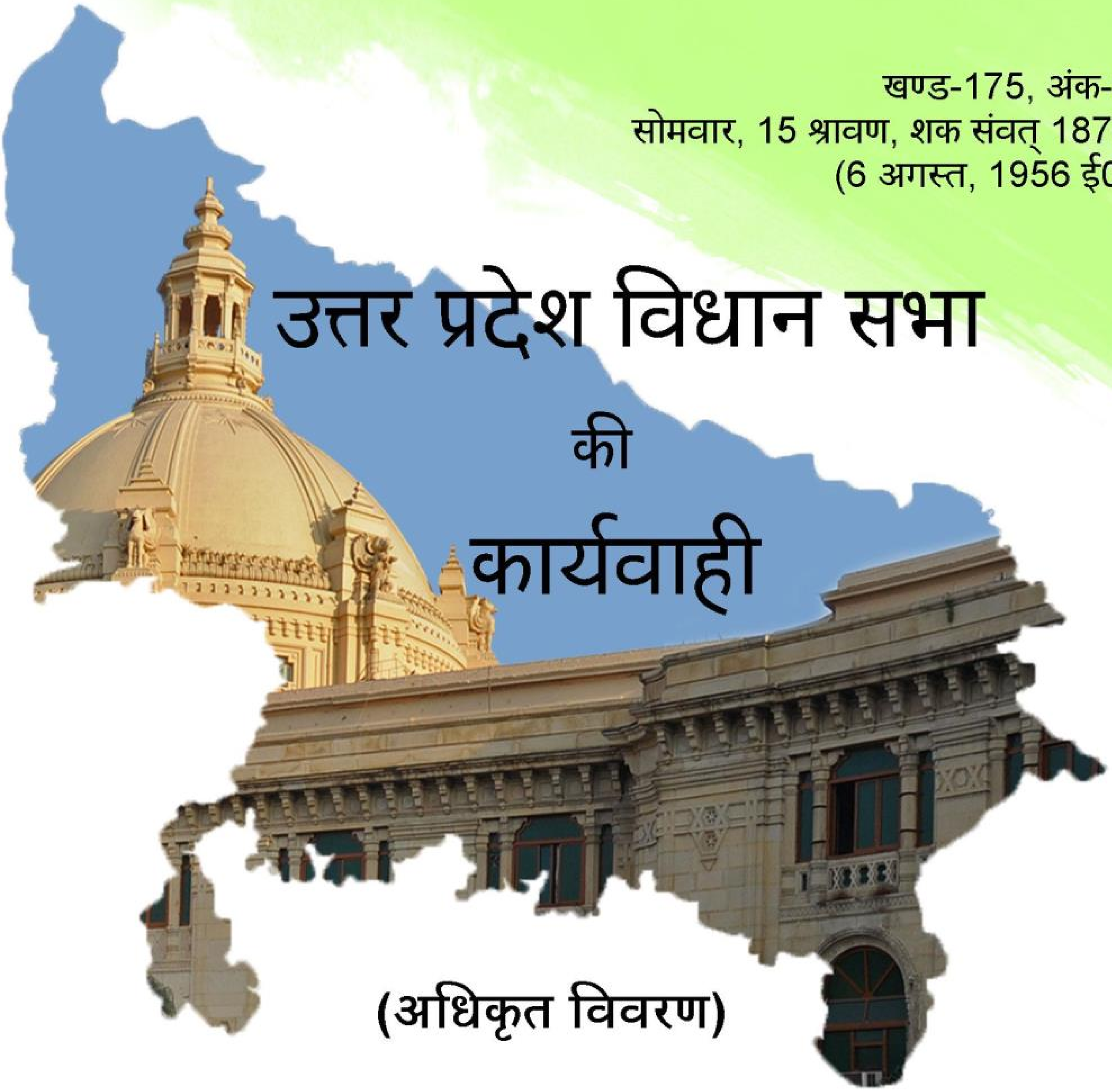

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 175 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

LATURE LIBRARY
21958

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार ६, अगस्त १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२३३)

अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्शदास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेंद्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
टीकाराम, श्री (हरदोई)
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री

दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलबीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताकअली खां, श्री
मुहम्मद लतीफ, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेंद्रदत्त, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री

रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नकवी, श्री
विश्रामराव, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेंन्द्र विक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईदजहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरेंन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविंद सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ६ अगस्त, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

मिर्जापुर में अल्मूनियम तथा बरेली में नकली रबड़ के कारखाने खोलने की योजना

**१—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—क्या केंद्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में नकली रबड़ बनाने और अल्मूनियम के कारखाने खोलने की स्वीकृति दी है? यदि हां, तो कहां-कहां ?

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसीदास)—जी नहीं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस संबंध में केंद्रीय सरकार से कोई लिखा-पढ़ी या बात-चीत चल रही है कि मिर्जापुर में अल्मूनियम का कारखाना और किसी और जगह रबर का कारखाना खोला जाय ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—लिखा-पढ़ी तो बड़े-बड़े उद्योगों के विषय में जारी ही है, लेकिन इस विषय में कोई भी अभी लिखित आज्ञा केंद्रीय सरकार से नहीं आयी है, यद्यपि यह सच है कि जब केंद्रीय सरकार के हैवी इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर यहां आये थे तो उन्होंने हमारे अधिकारियों के समक्ष और अन्य कार्यकर्ताओं के समक्ष घोषित किया था कि केंद्रीय सरकार ने करीब-करीब यह निर्णय कर लिया है कि अल्मूनियम का कारखाना मिर्जापुर में, चुर्क फैक्ट्री के नजदीक और सेंथटिक रबर का कारखाना बरेली में स्थापित किया जायगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन कारखानों के लिये कच्चे माल की सप्लाई कहां से होगी और क्या-क्या सुविधाएं प्राप्त होंगी सरकार को ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक अल्मूनियम फैक्ट्री की स्थापना का विषय है उसमें सब से बड़ी चीज इलेक्ट्रिसिटी होती है। ८० प्रतिशत के करीब बिजली उसमें व्यय होती है और शायद ऐसे प्लांट के लिये २९,००० किलोवाट बिजली की आवश्यकता होगी। यह बिजली रिहन्द डैम से प्राप्त हो सकेगी। सेंथटिक रबर के लिये सबसे बड़ा रा-मैटीरियल अल्कोहल होता है और वह बरेली में चार-पांच फैक्टरियों से इकट्ठा करके मंगाया जायगा और इस तरह से वह रबर के कारखाने के लिये उपलब्ध होगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—सेंथटिक रबर के लिये जो कारखाना बरेली में खुलेगा उसके लिये अल्कोहल किन फैक्टरियों से लिया जायगा ?

श्री चन्द्रभान गुप्त—एक तो गोला गोकरणनाथ की फैक्ट्री है, दूसरे हरगांव, शामली, मंसूरपुर और एक फैक्टरी मेरठ की है। इन पांच फैक्टरियों से अल्कोहल मंगाया जायगा और बरेली में जो फैक्टरी की स्थापना करने की बात सोची है उन्होंने वह इसलिये कि बरेली का स्थान ब्राड गेज और मीटर गेज दोनों रेल की लाइनों पर पड़ता है।

श्री सूर्य्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो कारखाने खुलेंगे यह सरकार द्वारा खुलेंगे या गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह तो पब्लिक सेक्टर में खुलेंगे।

श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में जहां अल्कोहल आसानी से सुलभ हो सकता है वहां वह नकली रबर का कारखाना स्थापित करने की बात पर विचार करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—रबर की फैक्ट्री के विषय में सरकार ने कुछ विशेषज्ञों को नियुक्त किया था और उन्होंने देश में जहां-जहां अल्कोहल मिल सकता था जांच कर विचार किया और तमाम विचार-विनिमय के बाद जिन स्थानों की उन्होंने सिफारिश की है उनमें बरेली का स्थान है। जहां तक पूर्वी जिलों का प्रश्न है वहां अल्कोहल के प्राप्त करने के विषय पर विचार किया गया था लेकिन इसमें अल्कोहल के बाद और भी चीजों की आवश्यकता होती है, खास कर पानी की। पानी भी उस क्षेत्र में चार-पांच हजार गैलन रोज की जरूरत पड़ती है। तो इन तमाम बातों को विचार करके उन विशेषज्ञों ने उपयुक्त स्थान इस फैक्ट्री के लगाने के लिये बताया।

श्री गेंदासिंह—बरहज में जहां पर सरजू की धारा से लाखों गैलन पानी रोज मिल सकता है और फैक्ट्री के लिये कच्चे माल की जरूरत है वह भी वहां पर प्राप्त हो सकता है तो दूसरी फैक्ट्री वहां पर लगाने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक सरकार के इस प्रश्न पर विचार करने का संबंध है मैं बार-बार इस बात की घोषणा कर चुका हूं कि सरकार तो चाहती है कि हर ऐसे स्थान पर जहां फैक्ट्री लगायी जा सके फैक्ट्री लगायी जाय और केंद्रीय सरकार से उसके लगाने में पूरी सहायता व सहयोग प्राप्त करे लेकिन जहां तक इस फैक्ट्री के चलाने के लिये कच्चे माल का संबंध है मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि उस मात्रा में वह वहां उपलब्ध नहीं है जिस मात्रा में एक इकोनामिक फैक्ट्री को चलाने के लिये आवश्यकता होगी। मैं स्वयं उन व्यक्तियों में से था जो चाहते थे कि पूर्वी जिलों में यह फैक्ट्री लगायी जाय लेकिन जब मैंने उन एक्सपर्ट्स की राय का अध्ययन किया कि जो उन्होंने आंकड़े, जो वजूहात बरेली के विषय में दिये तो फिर मुझको भी अपनी राय इस संबंध में बदलनी पड़ी। निर्णय तो यह केंद्रीय सरकार का है। प्रदेशीय सरकार का स्वयं इस विषय में कोई निर्णय नहीं हुआ है।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर में जो अल्मूनियम का कारखाना खुलने वाला है और बरेली में जो रबर का तो इनमें कुल कितना रुपया व्यय होने का अन्दाजा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सिंथटिक रबर का प्लांट ९,१० करोड़ का लगेगा और यह भी १०,१२ करोड़ का प्लांट होगा। अल्मूनियम के प्लांट को लगाने के लिये एक प्राइवेट कम्पनी ने हमारे पास अर्जी भेजी थी और हमने उस अर्जी को केंद्रीय सरकार के पास भेज दिया था। अर्जी भेजने वाले को केंद्रीय सरकार ने यह कहा था कि जब तक उनकी विशेषज्ञ कमेटी जो उन्होंने नियुक्त की है उसकी सिफारिश न आ जाय तब तक वह अपनी फैक्ट्री को मिर्जापुर के क्षेत्र में खोलने का आग्रह न करें। उसके बाद विशेषज्ञों की कमेटी बनी और उसने तमाम क्षेत्रों का अध्ययन करके और निरीक्षण करके उस सुझाव को केंद्रीय सरकार के समक्ष अल्मूनियम फैक्ट्री के खोलने के बारे में प्रस्तुत किया है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वाराणसी में दुल्हापुर या रामनगर में अल्मूनियम फैक्ट्री खोलने का सरकार का इरादा है ?

श्री चन्द्रभानु गप्त—अल्मूनियम फैक्ट्री के लिये मैंने बताया कि सबसे बड़ी चीज इलेक्ट्रिसिटी है। वह इलेक्ट्रिसिटी जैसा कि माननीय सदस्यों को भलीभांति मालूम है रिहन्द के क्षेत्र में आगे आने वाले ३,४ वर्षों में अधिक मात्रा में पैदा होने वाली है। तो अल्मूनियम का कारखाना उसी स्थान पर लग सकता है जहां एलेक्ट्रिसिटी काफी चीप कीमत पर मिल सके और रेहन्ड डाम ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां सस्ती कीमत पर बिजली आगे आने वाले वर्षों में दी जा सकती है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह बरेली में जो रबर की फैक्ट्री खुलेगी उसमें प्रदेशीय सरकार को केंद्रीय सरकार कितनी सहायता देगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वह तो पब्लिक सेक्टर की है। वह तो केंद्रीय सरकार या एन० आई० डी० सी० उसका संचालन करेगी और वही उसके ऊपर सारा धन व्यय करेगी।

आजमगढ़ जिले में गेस्ट्रों एंट्राइटिस की रोकथाम के उपाय

२—श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ नगर तथा दुबारी, जिला आजमगढ़ में हैजे का भीषण प्रकोप है तथा ५० से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है?

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)—आजमगढ़ जिले तथा शहर से हैजे की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। परन्तु कै-दस्त की बीमारी (Gastro-Entritis) की सूचनायें ग्रामीण क्षेत्रों तथा आजमगढ़ शहर से प्राप्त हुई।

दुबारी गांव में १५ रोग-ग्रस्त हुये एवं ६ व्यक्तियों की मृत्यु हुई जिस पर स्वास्थ्य अधिकारी से १० जुलाई को सूचना प्राप्त होते ही उचित साधनों का प्रयोग किया गया। ३,००० की जनसंख्या में से २,२९४ व्यक्तियों के टीके लगाये गये।

३—श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिल्थरा रोड, जिला बलिया के समीप गरगजपुर, बिल्थरा बाजार, चैनपुर गुलौरा, विशुनपुरा, तुर्तीपुरा, अठगवां, आदि ग्रामों में क्रमशः हैजे से ११,८,४,२,३ आदि व्यक्तियों की मृत्यु २५ जुलाई, १९५६ तक हो चुकी है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—माननीय सदस्य द्वारा बताये गये गांवों से हैजे से मृत्यु की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। परन्तु निम्नांकित ग्रामों में कै और दस्त (Gastro-Entritis) से रोग-ग्रस्त होने तथा मृत्युओं की सूचना प्राप्त हुई है।

गांव का नाम	रोग-ग्रस्त	मृत्यु	तिथि
१—गरगजपुर ..	७	४	३०—७—५६ तक
२—बिलथरा बाजार	७	५	१५—७—५६ तक

चैनपुर, गलौरा, बिशनपुरा, तुर्तीपुरा, अठगवां से स्वास्थ्य कर्मचारियों को सूचनायें प्राप्त हुई थीं, किन्तु वहां पहुंचने पर रोग-ग्रस्त तथा मृतक कोई भी उनमें से नहीं पाया गया।

४—श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि उक्त ग्रामों में २५ जुलाई सन् १९५६ तक हैजे की रोक-थाम के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई थी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—अप्रैल के महीने में कै और दस्त की पहिली सूचना मिलते ही रोग निरोधक कार्य शुरू कर दिये गये और वे अब तक जारी हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—अध्यक्ष महोदय, मैंने २५-७-५६ तक की सूचना बिल्थरा बाजार के बारे में मांगी थी लेकिन सरकार द्वारा १५—७—५६ तक की सूचना दी गयी है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार २५ जुलाई तक की सूचना मंगा कर दे दे।

श्री अध्यक्ष—१५ जुलाई तक की सूचना आयी जो उन्होंने आपको दे दी। अब आप दूसरा नया सवाल कर सकते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हैजे के अलावा दूसरी बीमारी के रोकने के लिये क्या उपाय है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दवाओं का विशेषज्ञ तो मैं नहीं हूं लेकिन ऐसा मुझे बताया गया है कि इसकी दवाई और टीका करीब-करीब वैसा ही है जैसा कि हैजे का है। लेकिन डाक्टर लोग अन्तर इतना बतलाते हैं कि उसका कोई खास कीड़ा होता है। मैं स्वयं जानता हूं कि गैस्ट्रो एंट्राइटिस के बारे में लेमैन ज्यादा नहीं जानता है। इसलिये प्रदेशीय सरकार ने इसे भी नोटीफाइड बीमारी घोषित कर दिया है कि इसका प्रबन्ध भी हैजे की तरह से होना चाहिए।

श्री गेंदासिंह—गैस्ट्रो एंट्राइटिस की खबर सरकार को कैसे हुई और किस तरह से उन्होंने इसे हैजे की तरह से समझने के लिये कहा है ?

श्री अध्यक्ष—इसका उत्तर तो पहले दिया जा चुका है, इस पर पहले बहस हो चुकी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—पिछले दिनों प्रदेश में गैस्ट्रो एंट्राइटिस की बीमारी के बढ़ने का कारण क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जब गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, ऐसा मुझे बतलाया जाता है, और पानी नहीं बरसता है तब लोगों के पेटों में कुछ खलबली-सी पैदा हो जाती है और उससे यह बीमारी बढ़ती है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी यह बीमारी हैजे की तरह से फैलने वाली है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जो सूचनाएं समय-समय पर आई हैं उनसे मालूम तो ऐसा ही देता है कि वह भी कदाचित छूत की-सी बीमारी हो सकती होगी।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की मेहरबानी फरमावेंगे कि इस बीमारी की बाबत हकीमों और वैद्यों, डाक्टरों को छोड़ कर, उनसे भी सरकार तहकीकात करावेगी कि यह बीमारी कैसी है और इसका इलाज क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझे पता नहीं कि हकीम या वैद्य इस बीमारी के विषय में कुछ अन्वेषण कर सकेंगे या नहीं। लेकिन हमारे एलोपैथी के डाइरेक्टर महोदय ने पैथोलाजी विभाग के सबसे बड़े अधिकारी को और अन्य विशेषज्ञों को जांच के लिये यह कार्य दिया है कि वे पता लगावें कि किन-किन कारणों से यह बीमारी फैलती है और क्या-क्या उसके रोकने के लिये प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं और इलाज के तरीके बरते जा सकते हैं।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—क्या इस बीमारी के प्रान्त के कुछ और जिलों में फैलने की माननीय मंत्री जी को सूचना मिली है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कई जिलों से आई है, लखनऊ में २–३ महीने हुये तब सूचना मिली थी। पहले हमारे पास इसकी इत्तिला नहीं आती थी क्योंकि यह नोटीफाइड बीमारी नहीं थी लेकिन अब वीकली या फौर्टनाइटली रिपोर्ट में इसकी चर्चा होती है जो हमारे पास डाइरेक्टर महोदय के यहां से आती है कि किन-किन स्थानों में यह बीमारी उभरी और कहां उसके रोकने का इलाज किया गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार इस बात का सही पता लगायेगी कि जिस डुबारी गांव की आबादी ३ हजार दी गयी है उसकी आबादी ९ हजार है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--यह तो आपको उत्तर में बतला दिया गया है कि ३ हजार की जनसंख्या है और १५ रोगग्रस्त हुए, उनमें से ६ की मत्यु हुई ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गरगजपुर, बिल्थरा बाजार में जो मृत्यु हुई उसके पहले सरकार के पास इसकी सूचना कब प्राप्त हुई थी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--ठीक तारीख तो नहीं दी जा सकती कि किस तारीख को यह सूचना सरकार को प्राप्त हुई लेकिन यह कहा जा सकता है कि जैसे ही सूचना प्राप्त हुई इस रोग की रोक-थाम के लिये सरकार ने तुरंत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी ।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सूचना जो माननीय मंत्री को मिली है वह किसके द्वारा मिली है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जिले के स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा ।

प्राइमरी स्कूलों तथा कक्षा ११ व १२ में निःशुल्क शिक्षा देने के सम्बन्ध में आदेश

५--श्री महीलाल** (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)--क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि वित्त मन्त्री के बजट के भाषण के समय के घोषणानुसार अभी तक प्राइमरी स्कूलों में और सौ रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सन्तानों को शुल्क से मुक्त करने की व्यवस्था नहीं हुई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--प्राइमरी स्कूलों की कक्षा १ से ३ तक के छात्रों को जुलाई ५६ से पूर्ण शिक्षा शुल्क से मुक्त करने तथा सौ रुपये से कम वेतन पाने वाले राजकीय कर्मचारियों की संतानों को कक्षा ११ व १२ में अर्द्ध शिक्षा शुल्क से मुक्त करने के आदेश निर्गत हो चुके हैं ।

लखनऊ में कंधारी बाजार जनरल इम्प्रूवमेंट स्कीम के अन्तर्गत भवन निर्माणार्थ प्रार्थना-पत्र

६--श्री श्रीचन्द्र** (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कन्धारी बाजार (लखनऊ) जनरल इम्प्रूवमेंट स्कीम के क्षेत्र के अन्तर्गत १९५४ से आज तक कितने भवन निर्माण के प्रार्थना-पत्र आ चुके हैं और उनमें से कितनों को इजाजत दी गई और कितनों को नहीं दी गई ?

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)--कन्धारी बाजार जनरल इम्प्रूवमेंट स्कीम के क्षेत्र के अन्तर्गत १९५४ से आज तक केवल ५ प्रार्थना-पत्र भवन निर्माण के लिये लखनऊ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को दिये गये हैं । उनमें से २ को भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई और २ अस्वीकार कर दी गयीं तथा १ अभी विचाराधीन है ।

श्री श्रीचन्द्र--क्या माननीय मंत्री जी इन ५ सज्जनों के नाम बतलाने की कृपा करेंगे जिनके आवेदन-पत्र आये हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--नाम इस वक्त नहीं हैं, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री श्रीचन्द्र--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन दो सज्जनों के प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किये गये हैं, उनकी अस्वीकृति के क्या कारण हैं ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--जिस जगह कोई स्कीम चालू की जाती है तो वहां के ऊपर जब उसके बाद कोई नयी इमारत बनती है तो उसका मुआविजा मिलने का अधिकार बाकी नहीं रहता। तो इसलिये अमूमन किसी को मकान बनाने की इजाजत नहीं दी जाती है। सिर्फ बाज हालतों में जब कि कोई मौका ऐसा हो, जो हमारी जनरल स्कीम के मुआफिक बैठे उसके खिलाफ न पड़े तो उस वक्त खास-खास हालतों में इजाजत दे दी जाती है कि वह ऐसा मकान बना ले। इसी वजह से और इन्हीं उसूलों पर दो दरख्वास्तें मंजूर की गयीं और दो नामंजूर कर दी गयीं।

श्री श्रीचन्द्र--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि एक प्रार्थना-पत्र जो विचाराधीन है वह कब आया था और कबसे विचाराधीन है ?

श्री सैयद अली जहीर--वह गालिबन ५४ के बाद ही आया है, उसकी तारीख ठीक नहीं मालूम है।

श्री तेजप्रताप सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ५४ से ५६ तक का इतना समय इन ५ प्रार्थना-पत्रों के विचार में क्यों लगा ?

श्री सैयद अली जहीर--मैंने कहा कि वह ५४ के बाद आया है, तारीख नहीं बता सकता, मुमकिन है अभी दो चार-महीने पहले ही आया हो, तारीख मुझे इस वक्त नहीं मालूम है।

राज्य में माध्यमिक स्कूलों को बहुधंधी स्कूलों में परिणत करने के सम्बन्ध में पूछताछ

****७--**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ने राज्य सरकार से क्षेत्रीय शिक्षा परिषद् संगठित करने के सम्बन्ध में कोई परामर्श किया है ?

श्री हरगोविंद सिंह--जी नहीं।

****८--**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने प्रदेश के कितने उच्च माध्यमिक स्कूलों को बहुधन्धी स्कूलों में परिणत किया है ?

श्री हरगोविंद सिंह--अभी किसी भी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को बहुधन्धी विद्यालय में परिणत करने के आदेश नहीं दिये गये हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि राज्य सरकार ने प्रादेशिक सरकार के माध्यमिक स्कूलों को बहुधन्धी स्कूलों में परिणत करने का कोई आदेश दिया है या सूचना दी है ?

श्री हरगोविंद सिंह--जी नहीं, वह सरकार इस सरकार को कोई आदेश नहीं दे सकती।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--कोई सुझाव दिया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--अभी वह सब चीज विचाराधीन हैं।

डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के उपचुनावों के सम्बन्ध में पूछताछ

**९--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (उपनिर्वाचन अस्थायी उपबन्ध) विधेयक, १९५५ के लागू होने के बाद से अब तक प्रदेश के किन-किन जिलों में बोर्ड्स के सदस्यों के रिक्त स्थानों के कितने-कितने उप-निर्वाचन हुये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश--उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड (उपनिर्वाचन) (अस्थायी उपबन्ध) अधिनियम, १९५५ के लागू होने के बाद अभी कोई उपनिर्वाचन किसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिए नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि उप-निर्वाचन कराने के पहले निर्वाचक सूचियों के बनने से सम्बन्धित नियमों का बनाना, निर्वाचन संचालक संबंधी नियमों का संशोधन, कुछ कठिनाइयों के दूर करने के लिए अधिनियम के अन्तर्गत आज्ञाओं का जारी करना, निर्वाचन क्षेत्रों का संशोधन करना आदि कार्यवाही करना अनिवार्य (जरूरी) था।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन कारणों से यह उपचुनाव कराने में असमर्थता प्रकट की गई है, उसके पूरा न होने के क्या कारण हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश--जैसा कि उत्तर में निवेदन किया जा चुका है यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की कांस्टीटुएन्सीज बहुत पहले बनी थीं और जो अधिनियम में परिवर्तन हुआ उसके अनुसार कार्यवाही होना था, मतदाताओं की सूची फिर से बनना है, उसके लिए नियम बनाने हैं, इसी दौरान में जिलों की सीमाओं में भी परिवर्तन हुआ है और उसके अनुसार जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के क्षेत्र थे उनमें भी परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी। उन सब आवश्यकताओं को आज्ञाओं के द्वारा पूरा किया जा रहा है, यही सब कारण है जिनके कारण अभी इसमें देर लगेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन नियमों के बनाने में और निर्वाचक सूची ठीक किये जाने में अबतक क्या प्रगति हुई है ?

श्री सैयदअली जहीर--बहुत कुछ काम उसका खत्म हो चुका है लेकिन अब तक बरसात की वजह से चुनाव नहीं कराये जा सकते और चूंकि देहातों में चुनाव होने वाले हैं और वहां पर बारिश के जमाने में चुनाव होना मुमकिन नहीं है इसी वजह से काम रुका हुआ है वर्ना और जल्दी कार्य हो गया होता।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री बतला सकेंगे कि ये चुनाव कब तक निश्चित रूप से हो जायेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर--वैसे तो चुनाव अक्तूबर में हो सकते हैं लेकिन यह भी खयाल है कि चूंकि उस वक्त तक आम चुनाव सामने आ जायंगे तो आया यह मुनासिब होगा कि किया जाय न किया जाय। इस मामले पर गौर करना पड़ेगा। मगर जहां तक दफ्तरी कार्यवाहियां हैं या जो और बातें हैं वे गालिबन अक्तूबर तक समाप्त हो जायंगी। अक्तूबर में चुनाव होने में और कोई बाधा नहीं है सिवा इसके कि जो मैंने बतलाई हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट घोषणा करने की कृपा करेंगे कि ये चुनाव आम चुनाव के पहले हो जायंगे या बाद में होंगे ?

श्री सैयद अली जहीर--मैंने अभी कहा कि इसी मामले पर गौर करना पड़ेगा, अभी तो बरसात की वजह से चुनाव नहीं हो सकते। उस वक्त तक किये जायं या न किये जायं इस पर गौर करना पड़ेगा।

श्री राजनारायण--क्या सरकार इस बात का स्पष्ट ऐलान करेगी कि आम चुनाव फरवरी या मार्च में हों तो अक्तूबर में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव हो जायंगे ?

श्री सैयद अली जहीर--इसका जवाब दे दिया । अभी यह मामला जेरे गौर है । इस पर कोई फैसला नहीं हुआ ।

सचिवालय में अनुसचिवों की नियुक्ति के सम्बन्ध में जानकारी

१०--श्री वंशीदास धनगर (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बतायेगी कि सचिवालय के अनुसचिवों के स्थानों पर नियुक्तियां प्राविन्शियल सिविल सर्विस के आफिसरों में से होती हैं या सचिवालय के सहायक सचिवों में से ?

मुख्य मंत्री के सभासचिव (श्री कृपाशंकर)--दोनों में से । समय-समय पर अन्य प्रादेशिक सर्विसों तथा भारतीय प्रशासकीय सर्विस के आफिसरों में से भी अनुसचिवों की नियुक्ति होती है ।

श्री वंशीदास धनगर--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि उनकी तादाद अलग-अलग प्रति फीसदी के हिसाब से या किसी संख्या के हिसाब से आधारित है ?

श्री कृपाशंकर--तादाद तो कोई नहीं निर्धारित है लेकिन इस समय उन लोगों में से जो लोग काम कर रहे हैं उनकी संख्या अवश्य अनिश्चित है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इन अनुसचिवों की नियुक्ति के हेतु कोई नियम बने हुए हैं ?

श्री कृपाशंकर--नियम की बाबत मुझे जानकारी इस समय नहीं है । इसलिये नोटिस की आवश्यकता है ।

तारांकित प्रश्न

मोलनापुर, जिला आजमगढ़ से अदालती पंचायत के पंच को भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष न बनाने के लिये प्रार्थना-पत्र

***१--श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या माल मन्त्री ९-४-५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि मोलनापुर, जिला आजमगढ़ के २५ गांव सभा के सदस्यों ने ७-११-५५ को जिलाधीश तथा उनके पास परगनाधीश द्वारा अदालती पंचायत के पंच को भूमि प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष बनाने के विरोध में कोई प्रार्थना-पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही कब की गई ?

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--जी हां । उक्त प्रार्थना-पत्र की जांच के बाद परगनाधीश घोसी ने अध्यक्ष, श्री सुखदेव राम को हटाकर श्री सुख राम को दिनांक २३ दिसम्बर, १९५५ को अध्यक्ष नियुक्त किया ।

***२--श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अदालत पंचायत के पंच को कब भूमि प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष नामजद किया गया था तथा कब दूसरे गांव सभा के सदस्य को अध्यक्ष नामजद किया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--दिनांक ३ नवम्बर, १९५५ को अदालत पंचायत के पंच को भूमि प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष नामजद किया गया था तथा दूसरे गांव सभा के सदस्य को दिनांक २३ दिसम्बर, १९५५ को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि परगनाधीश ने यह मालूम होते हुए भी कि वह अदालत पंचायत का पंच है सुखदेव को अध्यक्ष बना दिया ?

श्री चरणसिंह--यह नहीं मालूम है कि एस० डी० ओ० को इसका इल्म था या नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ७-११-५५ को जो दरख्वास्त दी गयी थी उसकी जांच परगना हाकिम ने कब की और उसके अनुसार कब कार्यवाही हुई ?

श्री चरणसिंह--वह २२ नवम्बर को तहसीलदार के पास भेजी गई। उनकी रिपोर्ट आने के बाद जो गलती एस० डी० ओ० से हो गयी थी वह दुरुस्त की गयी। कभी-कभी कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर भी रोजाना के काम में गलती कर सकते हैं।

सरकारी बस सर्विस के बिना जिले

*३--**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि राज्य के किन-किन जिलों में सरकारी बस सर्विस नहीं कायम की जा सकी है ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)--सरकारी बस सर्विस हरदोई, झांसी, टेहरी-गढ़वाल तथा बदायूं जिले में अभी तक कायम नहीं की जा सकी है।

जौनपुर जिले की केराकत तथा मड़ियाहूं तहसीलों में ग्राम सम्पत्ति रजिस्टरों की जांच

*४--**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील केराकत और तहसील मड़ियाहूं, जिला जौनपुर की कितनी पंचायतों के ग्राम सम्पत्ति रजिस्टरों की जांच किसी तहसील अधिकारी द्वारा हुई और कितने सही पाये गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जिला जौनपुर की तहसील मड़ियाहूं तथा केराकत में क्रमशः ४५४ तथा ३१४ ग्राम समाज के सम्पत्ति रजिस्टरों की जांच की गई जिसमें से क्रमशः ३६० तथा ४१ रजिस्टर पूर्णतः सही पाये गये।

*५--**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**--कितने ग्राम समाज की सम्पत्ति अक्षुण्ण और कितने में अधिक्रमित पाई गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--तहसील मड़ियाहूं में १२६ ग्राम समाजों की सम्पत्ति अक्षुण्ण तथा ३२८ की अधिक्रमित तथा केराकत तहसील में ८१ की अक्षुण्ण और २३३ की अधिक्रमित पाई गई।

*६--**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**--अधिक्रमित सम्पत्ति को मुक्त करने के लिये कितने केस चलाये गये और उसमें कितने सफल हुये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--अधिक्रमित सम्पत्तियों को मुक्त करने के लिये तहसील मड़ियाहूं में ८६ तथा केराकत तहसील में १२२ मुकदमें अब तक चलाये गये जिनमें से क्रमशः ६ तथा १३ सफल रहे।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि मड़ियाहूं तहसील में जो ३२८ में ८६ मुकदमें चलाये गये और केराकत तहसील में २३३ में से १२२, तो क्या सरकार बकिया मुकदमों को शीघ्र ही चलाने का आदेश देगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, मुकदमे चलाये जायेंगे। कारण यह है कि अभी उनकी प्रारम्भिक जांच हो रही है। जैसे ही जांच खत्म हो जायगी उन पर मुकदमा चलाया जायगा।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार को इस बात का पता है कि अगर अधिक विलम्ब होता है तो उसकी मियाद खत्म हो जायगी इसीलिये उसमें अतिशीघ्रता की आवश्यकता है ?

श्री चरणसिंह--अति शीघ्र कार्यवाही करने के लिये कलेक्टर को लिख दिया गया है। मियाद खत्म होने में देर है। ग्राम पंचायतों की जमीन जो सूबे भर में दाबी जा रही है उसकी अगर मियाद भी खत्म हो जायगी तो वह भी बढ़ा दी जायगी।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि जौनपुर जिले में ग्राम समाज की संपत्ति की रक्षा के लिये जो मुकदमे दायर किये गये थे उनमें से ज्यादातर निष्फल इसलिये हुए कि उनका सर्वे ठीक प्रकार से नहीं हो सका ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--उसके कारण थे। एक तो यह कि कुछ लोगों ने पार्टीबन्दी के कारण गलत रिपोर्टस् की। दूसरा कारण यह भी था कि ग्राम समाज के सभापतियों को कानून का ज्ञान ज्यादा नहीं था तथा जो माननीय सदस्य कह रहे हैं उस कारण से भी असफल रहे।

श्री रामेश्वरलाल--क्या माननीय मंत्री जी इस निष्कर्ष पर पहुंच गये हैं कि ग्राम सभा के सभापतियों को कानून का ज्ञान कम है इसलिये क्या वह ऐसी व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं कि उनकी अनभिज्ञता में भी ग्राम समाज की संपत्ति की रक्षा की जा सके ?

श्री चरणसिंह--गवर्नमेंट से जितना हो सका है उसकी कोशिश की है और करने का इरादा है। अगर माननीय मित्र इस सिलसिले में कोई सुझाव दे सकें तो बहुत अहसानमन्द आपके हम लोग होंगे।

अलीगढ़ जिले में परगनाधीशों को निवासस्थान का कष्ट

*७--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाकिम परगना अधिकारियों के लिये अदालत करने तथा उनके निवास के स्थान जिला अलीगढ़ में कब तक बन जायेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--परगना हाकिमों को जिला हेडक्वार्टर से हटाकर तहसील हेडक्वार्टर पर रखने का निर्णय सिद्धान्ततः हो चुका है, परन्तु इस निर्णय को कार्यान्वित करने की योजना पर अभी विचार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में न्यायालय तथा अधिकारियों के लिये निवास-स्थान मिलने या बनवाने की सबसे बड़ी कठिनाई है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब तक सरकारी मकानात इस तरह से न बन जायं तब तक क्या किराये के मकानों से काम चलाया जा सकेगा ?

श्री चरणसिंह--गवर्नमेंट को इसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन किराये के मकान आम तौर पर न्यायालय या परगनाधीश के निवासस्थान के उपयुक्त नहीं होते। लेकिन अगर कोई ऐसा मिल जाय तो बड़ी खुशी होगी।

अलीगढ़ जिले में परगनाधीशों के पास मुकदमे

*८--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५ में अलीगढ़ जिले के प्रत्येक हाकिम परगना के यहां प्रति मास के आंकड़े मुकदमों के दायर होने और फैसल होने के क्या हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--मांगे गये आंकड़े एक सूची में दे दिये गये हैं जो माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आ० पृष्ठ ४२८ पर)

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इन केसेज में से कितने क्रिमिनल केसेज हैं और कितने सिविल केसेज हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिए नोटिस की जरूरत पड़ेगी। यह तो सब केसेज इकट्ठे हैं।

*९—श्री नागेश्वर द्विवेदी—[१० सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

गोशालाओं को सहायता देने का विचार

*१०—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में पशुधन की उन्नति के लिये जिलों में कुछ गोशालाओं को सहायता देने का उसका विचार है ? यदि हां, तो किस-किस जिले को और क्या-क्या ?

कृषि मंत्री के सभासचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)—जी हां, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रदेश की ७२ चुनी हुई रजिस्टर्ड गोशालाओं को जो अपने बेकार पशुओं को अलग गोसदनों में रखने के लिये तैयार हों, निम्नलिखित सहायता देने का प्रस्ताव है :—

(१) ५,५०० रु० के मूल्य के प्रजनन पशु (१० गाय और १ सांड़) देना।

(२) उत्पादक पशुओं पर अधिक खर्च को पूरा करने के लिये २,००० रु० के हिसाब से सहायता देना।

(३) प्रत्येक बछड़े के लिये १० रु० प्रति मास के हिसाब से ५ बच्चों के पालन के लिये प्रति वर्ष ६०० रु० की सहायता देना।

(४) वर्तमान इमारतों में सामान, मरम्मत तथा परिवर्तन करने के लिये ५,००० रु० का अनावर्त्तक अनुदान।

२—किन-किन जिलों में यह सहायता दी जावेगी यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो उन्होंने गो-सदनों की बात कही है कि गो-सदनों में बेकार पशु रखे जायंगे वह गो-सदन किन-किन जिलों में अभी तक कायम हो सके हैं ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)—जवाब में बता दिया गया कि विचाराधीन है कि किन-किन जिलों में खोले जायंगे।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह सहायता जिसकी उन्होंने चर्चा की है कोई कमेटी इसको नियत करने के लिए मुकर्रर होगी, किस आधार पर यह सहायता दी जायगी ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जैसा कि जवाब में कहा गया है ७२ गो-सदनों को चुना जायगा। उनके चुनने के कुछ नियम मुकर्रर हो गये हैं। मसलन यह कि अपने यहां के बेकार मवेशी गोसदन में भेज दें, उनकी मैनेजिंग कमेटी में हमारे पशुपालन के आदमी भी हों, जिस नस्ल के लिये कहा जाय उसी नस्ल के जानवरों को रखें। इस किस्म के कुछ कायदे हैं। जब इन कायदों के हिसाब से जांच लिया जायगा और ७२ गो-सदन चुन लिये जायंगे, उसके बाद जो काम होगा वह हमारे अधिकारी करेंगे।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जिलों में गो-सदन खोलने और प्रत्येक जिले को सहायता देने का निर्णय सरकार कब तक कर सकेगी ?

श्री हुकुमसिंह—जल्द से जल्द।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन गो-सदनों में किसी विशेष नस्ल के जानवर लाये जायंगे ?

श्री हुकुमसिंह—जो खास नस्ल के जानवर हैं उन्हीं के लिये सहायता दी जायगी।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जो ७२ गोशालायें खुलने वाली हैं जिनका प्रस्ताव है उनमें से कम से कम एक गोशाला प्रत्येक जिले में खोली जायगी ?

श्री हुकुमसिंह—जहां जहां शरायत पूरी हो जायंगी वहां खोलने की चेष्टा करेंगे।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार बतायेगी कि इन गोसदनों में अपाहिज, लंगड़े, लूले, बीमार और कमजोर जानवर भी रखे जायेंगे ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—ऐसे जानवरों को तो गोसदनों में भेजने का प्रस्ताव है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार बतायेगी कि बनारस जिले के अन्तर्गत कुछ गोशालायें हैं जिन्होंने कन्डीशन्स पूरी की हैं ?

श्री हुकुमसिंह—अभी हम कुछ नहीं कह सकते। इन्क्वायरी कर रहे हैं।

श्री रामेश्वरलाल—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि प्रान्त में जिन जिलों में गोशालाओं को राजकीय सहायता दी जायगी क्या उनके साथ शरायतों में यह भी है कि वह पूरा धन जो दान आदि के सम्बन्ध में एकत्रित किया है उसका पूरा हिसाब-किताब देंगी ?

श्री हुकुमसिंह—हिसाब-किताब पूरा देंगे। बिला हिसाब-किताब कहीं रुपया दिया जाता है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि काशी के जो सांड़ हैं उनको भी किसी गौशाला में रखने का विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह—वे काशी में पूरी सेवा कर रहे हैं।

श्री राजनारायण—क्या माननीय मंत्री जी काशी के सांड़ों को देवरिया की गौशालाओं में भेजने का प्रबन्ध करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह—जरूरत पड़ने पर हम भिजवा देंगे।

*११-१३—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—[१० सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

सीरदारों को अधिवासियों सम्बन्धी प्रतिकर

*१४—श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सीरदारों को अधिवासियों सम्बन्धी पूरा प्रतिकर कब तक मिल जायेगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--सीरदारों को अधिवासियों सम्बन्धी प्रतिकर पांच वार्षिक किस्तों में देय होगा, जिसका पूरा-पूरा भुगतान जुलाई, १९६१ तक हो जाने का अनुमान है। यदि किसी सीरदार के प्रतिकर की धनराशि ५० रु० या उससे कम होगी तो वह एक ही किस्त में देय होगा, जिसका भुगतान जुलाई, १९५७ तक हो जाने का अनुमान है।

*१५--**श्री रणंजय सिंह**--क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि अधिवासियों के लगान में जो वृद्धि कर दी गई है उसमें आगे कभी कमी करने का भी विचार है? यदि हां, तब कब से?

श्री चतुर्भुज शर्मा--लगान में वृद्धि नहीं की गई बल्कि नये रूप से मालगुजारी निर्धारित की गई है। इसलिए कमी करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री पद्मनाथ सिंह--क्या सरकार को मालूम है कि अधिवासियों के रेकर्ड में गलती होने के कारण से अधिवासियों की भूमि पर एक के बजाय दो दो आदमियों को लगान देना पड़ता है इस समय?

श्री चतुर्भुज शर्मा--लगान में कोई वृद्धि नहीं हुई है जैसा मैंने आपसे अर्ज किया और वह जो दो-दो आदमियों को देना पड़ता है लगान तो यह एक साल में ऐसा हुआ होगा कि वसूली के समय जो पुराना काश्तकार था उसने दे दिया हो और शायद जो अधिवासी हो उसने फिर बाद में अपने आप जमा कर दिया हो।

श्री पद्मनाथ सिंह--क्या सरकार कृपा कर जांच कराने की कोशिश करेगी कि लगातार दो तीन वर्षों से बहुत से ऐसे खेत हैं जिन पर एक के बजाय दो को लगान देना पड़ता है रेकर्ड की गल्ती की वजह से?

श्री चरणसिंह--ऐसा नहीं हो रहा है। जिन लोगों का नाम रेकर्डेड है उन्हीं से लगान लिया जाता है और जिनके नाम रेकर्ड नहीं हैं उनसे लगान नहीं लिया जा रहा है और जिनके नाम रेकर्डेड हैं और वह कहते हैं हमारे नाम गलती से रेकर्ड हो गये हैं और हमारा कभी कब्जा था ही नहीं तो उनसे भी लगान नहीं लिया जा रहा है। जब तक कि उनका कहना कि कब्जा उनका था कि नहीं साबित न हो जाय तब तक उनसे लगान लिया नहीं जा रहा है।

श्री गेंदासिंह--क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दोनों अपने को रेकर्डेड समझते हैं अधिवासी भी और जो उसका पहले का मालिक है और दोनों से मालगुजारी वसूल हो जाती है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--समझने की तो बात नहीं। जो रेकर्डेड हैं वह तो एक ही होगा। जो रेकर्डेड होगा उसी से लिया जायगा।

श्री गेंदासिंह--क्या इसकी सूचना सरकार को है कि अधिवासी और पहले का जमीन का मालिक दोनों ही समझते हैं कि दोनों का ही कब्जा है और दोनों मालगुजारी देने की कोशिश करते हैं और एक तरफ यह होता है और दूसरी तरफ दोनों से वसूल करने की भी कोशिश की जाती है?

श्री चरणसिंह--मैंने जैसा अर्ज किया कि दोनों से वसूल करने की कोशिश नहीं की जाती। जिस आदमी का नाम रेकर्डेड नहीं है और यह कहता है कि मेरा कब्जा है आम तौर पर वह क्षेत्रपति, लैंड होल्डर होता है, यहां से आर्डर ७ अक्तूबर सन् १९५५

को गया है कि ऐसे लोगों का लगान न लिया जाय । क्योंकि अगर उससे मालगुजारी ले लेते हैं तो जो अधिवासी या पुराना शिक्मीदार असली काश्तकार है वह अपना केस कमजोर समझेगा। इसलिये जब तक यह मामला तय न हो जाय तब तक मालगुजारी न ली जाय अगर रेकर्डेड आदमी मालगुजारी नहीं देना चाहता है मालगुजारी न ली जाय।

बाढ़पीड़ित क्षेत्रों में मालगुजारी की छूट के पर्चे बांटने में विलम्ब

*१६—श्री रणंजय सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १३६३ फसली के बाढ़पीड़ित क्षेत्रों में जो छूट दी गई है उसके पर्चे अभी तक क्यों नहीं दिये गये ? नया पूरा राजस्व (मालगुजारी) क्यों लिया जा रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिला सुल्तानपुर के बाढ़पीड़ित क्षेत्र में मालगुजारी में छूट के पर्चे उचित समय पर बांट दिये गये थे। केवल चकबन्दी क्षेत्रों में फार्म के अभाव के कारण पर्चे कुछ देर से बंटे, परन्तु छूट की मालगुजारी वसूल नहीं की गई।

श्री रणंजय सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाढ़पीड़ित क्षेत्रों में मालगुजारी कब से कब तक वसूल की गई और छूट के पर्चों का वितरण कब से कब तक किया गया ?

श्री चरणसिंह—बाढ़पीड़ित क्षेत्र की मालगुजारी ससपेंड कर दी गई थी, वह वसूल नहीं की गई, शायद ५ लाख २१ हजार रुपया था।

श्री रणंजय सिंह—क्या सरकार बतला सकती है कि छूट के पर्चे कब से कब तक बंटे ?

श्री चरणसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी । तीन तहसीलों में बंटे थे एक में जरा देर से बंटे थे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीय रणंजय सिंह जी की जानकारी को नोटिस समझ कर सरकार जांच कराने की कृपा करेगी कि बिना पर्चे बांटे हुये मालगुजारी वसूल की गई है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं, मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता हूं क्योंकि पर्चे न भी बटे लेकिन अहकाम हैं कि फलां आदमी से वसूल न करें, यह रिकर्डेड था, पर्चे बांटने में देर जरूर हुई लेकिन मालगुजारी वसूल नहीं हुई।

तकावी देने के सम्बन्ध में आदेश

*१७—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने पचास एकड़ से बड़े खातेदारों को तकावी न देने के आदेश जारी करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ? अगर हां, तो क्या ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस सम्बन्ध में सरकार की नीति है कि ऐसी हालत में जब कि एक से अधिक व्यक्तियों ने तकावी के लिये प्रार्थना-पत्र दिये हों और उन सबको तकावी देने के लिये पर्याप्त धन उपलब्ध न हो, तो एक बड़े खातेदार के मुकाबले में छोटे खातेदार को प्राथमिकता दी जाय यदि वह अन्यथा तकावी पाने के योग्य हो ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह नीति कब से लागू है और इसके सम्बन्ध में जिला अधिकारियों के पास आदेश कब भेजे गये ?

श्री चरणसिंह—सन् १९५४ ई० में भेजे गये और उनको ५५ में दुहराया गया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे पिछले डेढ़ दो साल से इस नीति का परिणाम क्या हुआ? छोटे काश्तकारों को तकावी मिल जाती है या नहीं मिल पाती है?

श्री चरणसिंह—हमारे आदेश का यह परिणाम कभी भी नहीं हो सकता था कि छोटे काश्तकारों को तकावी मिल जाये। उसका अभिप्राय यही है कि बड़ों के मुकाबले में छोटों को दी जाय अगर वह एंटाइटिल्ड हैं, क्योंकि हमारे पास इतना रुपया नहीं है कि सबको दे सकें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या इस नीति का परिणाम यह हो रहा है कि बड़े काश्तकारों को तकावी नहीं मिल पा रही है चूंकि वह छोटे काश्तकारों के लिये भी पूरी नहीं हो पाती है?

श्री चरणसिंह—सब जिलों में और हर किस्म की तकावी के लिये यह नहीं होगा, लेकिन आम तौर पर होगा।

जालौन जिले की कोंच तथा कालपी तहसीलों में भूमिहीन हरिजनों को भू-दान यज्ञ से प्राप्त भूमि

*१८—श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)—क्या सरकार दिनांक १९-३-५६ की विधान सभा की कार्य सूची के प्रश्न सं० ४६ से ४८ के सम्बन्ध में कृपा कर बतायेगी कि जिला जालौन में तहसील कोंच और कालपी में भू-दान यज्ञ की वितरण की गई भूमि में से कितनी-कितनी भूमि भूमिहीन हरिजनों को प्रदान की गई?

श्री चतुर्भुज शर्मा—भू-दान यज्ञ में वितरण की गई भूमि में से जिला जालौन की तहसील कोंच तथा कालपी में भूमिहीन हरिजनों को क्रमशः ११२.८५ एकड़ तथा ४५१.५१ एकड़ भूमि प्रदान की गई है।

*१९—श्री बसन्तलाल—परगना कालपी के मौजा मवई में शहीदनगर के नाम से बसाई गई आदर्श हरिजन बस्ती में कुल कितने परिवार बसाये जा चुके हैं उसमें कितने परिवार हरिजनों के हैं और प्रति परिवार कितनी कितनी भूमि काश्त के लिये दी गई है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिला जालौन स्थित परगना कालपी के मौजा मवई में शहीदनगर के नाम से बसाई गई हरिजन बस्ती में अब तक कुल २५ परिवार बसाये गये हैं जिसमें से ११ परिवार हरिजनों के हैं और प्रति परिवार को २० बीघा भूमि काश्त के लिये दी गई है।

श्री बसन्तलाल—सरकार की तरफ से जो अभी कहा गया है कि तहसील कोंच और कालपी में ११२.८५ और ४५१.५१ एकड़ जमीन मिली है तो वितरण की हुई कुल जमीन में से १/३ जमीन हरिजनों को नहीं मिल सकी इसका क्या कारण है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जो भूमिहीन काश्तकार थे और जो भू-दान समिति का वितरण करने का तरीका है वह यह है कि वह सारे गांव वालों को इकट्ठा करती है और सर्वसम्मति से वे जिसको सब से गरीब बताते हैं उन्हीं को जमीन दी जाती है। उनमें इतने ही हरिजन आये होंगे।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जो भूमि इन लोगों को दी गई है उसमें प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम कितनी भूमि दी गई है और अधिक से अधिक कितनी दी गयी है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कम से कम की बात तो मैं नहीं बतला सकता, लेकिन दस बीघे से ज्यादा किसी को आमतौर से नहीं देते हैं।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या सरकार के पास ऐसी कोई शिकायतें आयी हैं कि भू-दान समिति द्वारा जो भूमि हरिजनों को दी गयी है उस पर वे काबिज नहीं हो पा रहे हैं। और दूसरे लोग कब्जा किये हुये हैं।

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस जिले से कोई शिकायत ऐसी नहीं आयी।

श्री राजनारायण—क्या माननीय माल मंत्री जी को ज्ञात है कि कुछ ऐसे भी हरिजन हैं, जिन्होंने प्रार्थना-पत्र दिये थे मगर उनको जमीन नहीं मिल पायी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह सारा कार्य भू-दान समिति करती है। इस तरह की तमाम डिटेल्स की इत्तला यहां नहीं है।

श्री बसन्तलाल—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि २०-२० बीघा जमीन जो परिवार को दी गयी है वह अभी लेखपालों के कागजों में उनके नाम इन्दराज नहीं हुई है ? अगर हां, तो उसका क्या कारण है ? और वह जमीन पट्टे पर जाती ....

श्री अध्यक्ष—यह तो आप कुछ सूचना भी देते जा रहे हैं। और कुछ प्रश्न भी पूछ रहे हैं। आप केवल प्रश्न कीजिये।

श्री बसन्तलाल—जो जमीन दी गयी है वह पटवारी के कागजात में अभी उनके नाम इन्दराज नहीं हुई है उसका क्या कारण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी तो कोई सूचना नहीं है, लेकिन अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो जांच करा ली जायगी।

श्री रामेश्वरलाल—इन भूमिहीनों द्वारा जो शहीदनगर नया ग्राम बसाया गया है भू-दान समिति से प्राप्त जमीन पर उस ग्राम को सरकार ने क्या सहायता दी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सरकार ने केवल मकान बनाने के लिये कुछ सामान वगैरह दिया है बाकी उन्होंने अपने श्रम से मकान बनाया।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि जो जमीन हरिजनों को दी गयी है भू-दान समिति के द्वारा वे नम्बरान लेखपाल द्वारा उन्हें नहीं बतलाये जाते हैं, बल्कि दूसरे ऐसे नम्बरान बतला दिये जाते हैं जो रहंकड़ या बेकार जमीन है इसलिये वे उसे नहीं जोत पा रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी तो कोई इत्तला है नहीं। लेकिन जो जिला जालौन में दी गयी वह ज्यादातर पटवारियों के सामने ही दी गयी तो उनको सबको इत्तिला है कि जिन-जिन को मिली।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि यह जमीन जो भू-दान समिति ने दी है उसमें काश्तकार जालौन जिले के बाहर के हैं या जालौन जिले के लोगों को ही दी गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जहां तक मुझे मालूम है सब जिला जालौन के काश्तकारों को ही दी गई है

इलाहाबाद जिले में बाढ़पीड़ितों को दिये गये धन का ब्योरा

*२०—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के लिए जितना रुपया केन्द्रीय सरकार तथा प्रदेशीय सरकार ने दिया था, उसमें से कितना रुपया व्यय हुआ तथा कितना धन बचा है ?

श्री चरणसिंह—गत वर्ष इलाहाबाद जिले के बाढ़पीड़ित क्षेत्रों में सहायता के लिये केन्द्रीय सरकार से अलग से कोई धनराशि नहीं प्राप्त हुई। सहायता की विभिन्न मदों पर व्यय के लिये प्रदेशीय सरकार ने १९५५-५६ में जो धनराशि निर्धारित की थी और जितना वस्तुतः व्यय हुआ उसका विवरण संलग्न सूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४२९ पर)

पूर्वी जिलों में अनावृष्टि के कारण उत्पन्न परिस्थिति पर विवादार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास आज दो कामरोको प्रस्ताव आये हैं। इनमें से श्री रामसुन्दर पांडेय जी का प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"देवरिया, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, बनारस, मिर्जापुर, आजमगढ़, जौनपुर आदि पूर्वी जिलों के अधिकांश भागों में वर्षा न होने के कारण ८० प्रतिशत पशुओं एवं मनुष्यों को चारा तथा दाना नहीं प्राप्त हो रहा है तथा सरकार की ओर से अब तक ऐसे परिवारों की रक्षा हेतु कोई कदम न उठाये जाने के कारण विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। इस संकटापन्न स्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

इस विषय में माननीय मंत्री जी (श्री चरणसिंह) को कुछ कहना है? कोई आपत्ति है उन्हें इस प्रस्ताव के संबंध में ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—मुझे आपत्ति है और वह यह कि यह एक बड़ा जनरल प्रश्न उठाया गया है। डेफिनिट इसको हर्गिज नहीं कहा जा सकता। यह तो एक ऐसा स्वीपिंग एलीगेशन है कि जो हमेशा, हर विषय की बाबत कहा जा सकता है। यह बात ठीक है कि वहां बारिश कम हुई है और लोगों को कुछ पाकेट्स में कष्ट भी है, लेकिन यह कहना कि सभी जगह भूंसा सादा भी नहीं मिल रहा है और दाना नहीं मिल रहा है, मेरी समझ में नहीं आया। और फिर यह घास-दाने की बात पशुओं के लिये है या मनुष्यों के लिये ? मनुष्यों को भोजन नहीं मिल रहा है या घास और दाना ?

श्री अध्यक्ष—मनुष्यों के लिये जो बात है वह शब्द 'दाने' में आ जाती है।

श्री चरणसिंह—मनुष्यों को दाना नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कोई रिपोर्ट मेरे पास जिलाधीश या अन्य कर्मचारियों के जरिये न महकमा माल में और न जहां तक मुझे मालूम है, महकमा खाद्य में ही आयी है और जैसा कि मैंने अर्ज किया कि यह बड़ा जनरल सवाल है इसको डेफिनिट हर्गिज नहीं कहा जा सकता।

श्री अध्यक्ष—माननीय रामसुन्दर जी बतलायें कि यह निश्चित कैसे है ?

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं और वहां से देख कर आया हूं कि इन जिलों के पास और दूसरे जिले जैसे फैजाबाद है, इलाहाबाद है,

वहां भी बहुत से हिस्से ऐसे हैं कि जहां पर वर्षा नहीं हुई है और मैं कहना चाहूंगा कि क्वारी फसल को जो होती थी, सांवा, टांगुन आदि, वह सारी फसल सूख गई है और जो इन जिलों में धान की फसल होती थी, जड़हन की पैदावार, वह भी वर्षा के अभाव में रोपनी नहीं हुई है। यह निश्चित है कि वर्षा नहीं हुई है।। एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि जो क्वारी की फसल होती है, अगर वर्षा होती है तो उसमें सोहनी होती है खेतों में और इससे बीज बोने वाले जो पूर्वी जिलों में गरीब आदमी हैं, उनको रोजी मिलती है। वह लोग वर्षा न होने के कारण अपाहिज होकर बैठ हुए है, बिल्कुल बेकार हो कर बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष--वह चीज तो बहस में आयेगी। आपका मतलब यह है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाने से वहां पर विषम परिस्थिति मौजूद है अब मैं माल माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वर्षा न होने के बारे में और उसकी वजह से वहां पर जो विषम परिस्थिति हो गयी है इस विषय में आप सदन को कुछ सूचना किसी रोज देंगे खुलासा तौर पर ?

श्री चरणसिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं। यह इत्तिला मुझको पहले सदन को देनी चाहिये थी, लेकिन अभी तक मेरे पास दफ्तर में नहीं आयी थी। वर्षा के सम्बन्ध में इत्तिला यह है कि पहली जून से लेकर ३१ जुलाई तक औसत वर्षा जो बनारस में हुई वह १६.३ इस वर्ष है.....

श्री अध्यक्ष--मैं सिर्फ यह पूछना चाहता था कि इसके बारे में वहां जो खास पारिस्थिति बताई गई कि बहुत विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है तो उसके विषय में खुलासा तौर पर आप किसी रोज स्टेटमेंट देना चाहते हैं ? इसके सिलसिले में जो इत्तिला हासिल की हो उसको देना चाहते हैं तो जब मैं फैसला करूं कि विषय निश्चित है और निश्चित विषय की वह चर्चा करना चाहते हैं तो उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि पहले आप तैयार नहीं थे और आपने अनिश्चित होने के कारण आपत्ति उठायी थी।

जो कामरोको प्रस्ताव है उसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि वर्षा न होने के कारण ऐसी गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है कि वहां पर फसल नहीं हो रही है और धान नहीं हो रहा है। इस विषय में तो सदन ही इजाजत देगा कि इसके ऊपर बहस हो, लेकिन 'विषम परिस्थिति' हो गई है वह विषय निश्चित है जिस विषय पर कि वह विचार करना चाहते हैं, क्योंकि माननीय माल मन्त्री ने यह तो स्वीकार किया है कि वर्षा कम हुई। यह उन्होंने स्वीकार कर लिया है तो कम से कम इतनी बात निश्चित हो जाती है कि वर्षा पूर्वी जिलों में कम हुई...

श्री चरणसिंह--श्रीमन्, मुझे क्षमा कीजियेगा मैंने यह कहा था कि किसी किसी पाकिट में वर्षा कम हुई होगी।

श्री अध्यक्ष--लेकिन वर्षा कम होने के बारे में आपने जानकारी होना स्वीकार किया है। मैं समझता हूं कि यदि माननीय सदस्य, जिन्होंने यह कामरोको प्रस्ताव दिया है, यह समझते हैं कि विषम परिस्थिति है और प्रत्यक्ष वह देख कर आये हैं तो ऐसी हालत में मैं इसको अनिश्चित नहीं कह सकता हूं तो मैं उनसे यह कहूंगा कि इसके लिये वह सदन से अपील करें कि वह उनको इस विषय में बहस करने के लिये अनुमति दें।

श्री रामसुन्दर पांडेय--श्रीमन्, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, बलिया, मिर्जापुर, बनारस और गाजीपुर, जौनपुर यानी यह कहा जाय कि फैजाबाद, इलाहाबाद, बनारस और गोरखपुर डिवीजन के अधिकांश भागों में वर्षा पिछले साल के मुकाबले में और खास कर क्वारी की जो फसल होती है उसके मुकाबले में वर्षा कम हुई है। श्रीमन्, सब से ज्यादा आपत्ति

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

जनक बात यह है कि वर्षा नहीं भी होती लेकिन सरकार के पास जो साधन है सिंचाई करने के नहर आदि, तो उसके द्वारा भी फसल की सिंचाई के लिये पानी दिया जा सकता है। कल अभी हमारे पास हमारे क्षेत्र के एक खास, हमारे यहां ताल को नहर. . .

श्री अध्यक्ष--दूसरी भिन्न बातें, जैसे नहर के बारे में, ऐसी बातें प्रस्तुत विषय में कृपया आप न मिलावें।

श्री रामसुन्दर पांडेय--मैं समझता हूं कि वर्षा इन जिलों के कुछ स्थानों में बहुत कम हुई है और फसल बिलकुल सूख गई है। ऐसे परिवारों के लोग जिनके पास जीविका चलाने का और कोई साधन नहीं है और लाखों की करोड़ों की संख्या में है, उनकी सरकार ने कोई सहायता नहीं की है। इसलिये जबकि करोड़ों व्यक्तियों का इस सूखा से संबंध है तो यह आवश्यक है। मैं सदन से स्वीकृति देने की सिफारिश जोरदार करता हूं।

श्री चरणसिंह--मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--यह तीसरा कामरोको प्रस्ताव इस विषय पर है, इसलिये मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--मैं पहले सदन की राय ले लूं। जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को उपस्थित करने की अनुमति देने के पक्ष में हों वे कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जायं।

(केवल १८ सदस्य खड़े हुए)

कम से कम ३६ होने चाहिये तब समझा जा सकता है कि सदन की अनुमति है, लेकिन केवल १८ होने के कारण यह सदन का निर्णय है कि इसके लिये अनुमति नहीं है।

श्री राजनारायण--किसी कामरोको प्रस्ताव के समुचित रूप से आने देने के लिये कोरम या स्ट्रेन्थ अभी तक कभी नहीं हो पायी है, यह आपको भलीभांति मालूम ही है। यह भी सत्य है कि परिस्थिति विषम है, क्योंकि इस प्रकार का यह तीसरा कामरोको प्रस्ताव पूर्वी जिलों के बारे में आया है। हम लोग अभी वहां से आये हैं और हमारे मित्र प्रभुनारायण जी आये हैं। सरकार भी अपने कर्मचारियों से वहां का पता लगा ले और हम लोग भी खबर ले आवें। कोई दिन निश्चय हो जाय इस पर विवाद के लिये।

श्री अध्यक्ष--अगर माननीय माल मंत्री जी, जांच करने के बाद, इस विषय में वक्तव्य देना चाहें तो मैं उनको इजाजत दे दूंगा। लेकिन अगर विवाद के लिये कोई प्रश्न रखना चाहें तो माननीय सदस्य मंत्री जी के कमरे में जाकर विचार-विनिमय कर लें और सदन के सामने यह सूचना उपस्थित कर दें कि माननीय मंत्री जी विवाद के लिये समय देना चाहते हैं, तो मैं समय दे सकूंगा, वर्ना नहीं।

श्री चरणसिंह--मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे पास भी इत्तिला है और जैसी परिस्थिति मेरे मित्र बतलाते हैं वैसी नहीं है। बल्कि चार जिलों में तो एवरेज वर्षा से अधिक हुई है। मार्च का महीना अब से ६,७ महीने दूर है और उसके लिये अभी से मेरे मित्र मचल रहे हैं....

श्री अध्यक्ष--यह आप आक्षेप कर रहे हैं।

श्री चरणसिंह--मैंने अपने सहयोगी से अभी कहा था कि कोई भी मित्र चाहें शार्ट नोटिस क्वैश्चन वर्षा और फसल की हालत के बारे में दे दें। हर जिले के बारे में मेरे पास क्राप की हालत और वर्षा के बारे में रिपोर्ट है।

एक अन्य कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---दूसरा जो कामरोको प्रस्ताव है उसको मैं कल लूंगा, दो प्रस्ताव एक दिन में अपने पास तो ले लेता हूं, लेकिन एक दिन में उन्हें सदन में उपस्थित नहीं करता। इस लिये इसके ऊपर कल मैं फैसला दूंगा।

स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के लिये मिस्र को बधाई का प्रस्ताव

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---अध्यक्ष महोदय, हमारा एक प्रस्ताव था इजिप्ट ने स्वेज नहर का जो ने नलाइजेशन किया है, उसके बारे में उसे बधाई देने का तथा ब्रिटिश के रुख की निन्दा करने का ?

श्री अध्यक्ष---मैंने उसके लिये इजाजत नहीं दी है, क्योंकि खाली वह बधाई देने के सिलसिले में नहीं है। नोटिस के बगैर वह प्रस्ताव आ गया था और बधाई की शक्ल में उसको लेना चाहता था, लेकिन जो विषय उसमें वे उठाना चाहते थे वह केवल बधाई का नहीं था बल्कि...

श्री राजनारायण---श्रीमन्, सरकार से पूछ तो लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---सरकार भी अगर चाहे तो उसके ऊपर बहस की इजाजत मैं नहीं दूंगा, क्योंकि यह केन्द्रीय सरकार के अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों का विषय है। उससे संबंधित होने के कारण और अन्तर्राष्ट्रीय नीति के जिन विषयों को केन्द्रीय सरकार ने अपने अधिकार में रक्खा है, वे उससे संबंधित हैं। संविधान में दिया हुआ है---शिड्यूल ७ में "सब विषय जिनके द्वारा संघ का किसी विदेश से संबंध होता है।"

इसके आगे भी दिया हुआ है---

"अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संस्थाओं और अन्य निकायों में भाग लेना तथा उनमें किये गये विनिश्चयों की अभिपूर्ति।

विदेशों से संधि और करार करना तथा विदेशों से की गयी संधियों, करारों और अभिसमयों की अभिपूर्ति।

युद्ध और शान्ति।"

यह सब विषय इस शिड्यूल या अनुसूची में आ जाते हैं। तो किसी विदेशी राज्य की नीति के बारे में अगर कोई आलोचना बधाई के रूप में होती है या टीका के रूप में होती है, एक किसी प्रश्न के उठाने की इजाजत मैं सदन में नहीं दूंगा। इसलिए इन विषयों को उठाना मैं अवैध करार देता हूं और उन्हें उपस्थित करने की इजाजत नहीं देता।

सदन के भावी कार्य-क्रम के सम्बन्ध में सूचना

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि यह मौजूदा सिटिंग कब तक चलेगी और किस तारीख को असेम्बली की छुट्टी होगी ?

कृषि मंत्री (श्री हुकमसिंह)---फिलहाल तो काम को देखकर यह जरूरत मालम होती है कि १४ अगस्त तक यह असेम्बली चले और यदि उसमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत हुई तो सदन को पहले से सूचना दे दी जायगी।

श्री अध्यक्ष---१४ तारीख के बाद २२ को बैठेगी, ऐसा कार्यक्रम पहले से ही निश्चित है।

अन्तर्राष्ट्रीय विषय से सम्बद्ध प्रस्ताव

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—अध्यक्ष महोदय, हमारा जो दूसरा प्रस्ताव था उसके संबंध में कोई व्यवस्था नहीं हुई। मैं निवेदन यह कर रहा था कि अफ्रीका में जब....

श्री अध्यक्ष—कृपा कर आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने आपके दोनों प्रस्तावों के लिये कहा था।

श्री राजनारायण—दूसरा प्रस्ताव तो हमारा विधान मंडल...

श्री अध्यक्ष—उसमें श्री एंथोनी ईडेन को कन्डेम किया गया है। (श्री राजनारायण के पुनः खड़े होने पर) आप कृपा करके बैठ जायं। फैसला हो जाने के बाद आप बहस करना शुरू कर देते हैं, यह तरीका ठीक नहीं है। अगर उसके बारे में और कुछ कहना है तो मेरे कमरे में आकर मुझसे कहें। उस प्रस्ताव में श्री एंथोनी ईडेन के ऊपर आक्षेप किया गया है इसलिये दोनों प्रस्तावों में अन्तर्राष्ट्रीय नीति का सवाल हुआ जाता है, इसलिये मैंने दोनों के विषय में ही फैसला दे दिया था।

†कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५६

*माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुमायूं जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५६, एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय। इस प्रवर समिति के सदस्यों के नाम मैं आज शाम तक भेज दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, हमारे इस सूबे में मैदानी इलाके की जमींदारी खत्म हो चुकी है और उन इलाकों में भी जो बुन्देलखंड की छोटी छोटी रियासतों से हमारे प्रदेश में मर्ज हो चुकी हैं, उनमें भी खत्म हो चुकी है। मैदान के उन ३२ जिलों में भी भूमि-व्यवस्था लागू हो चुकी है जहां गवर्नमेंट स्टेट्स थे, सरकारी आस्थान थे। मैदान के १५ जिलों में गवर्नमेंट इस्टेट्स कायम हैं, वहां बहुत कानूनी पेचीदगियां हैं जिससे वहां नयी व्यवस्था अभी कायम नहीं हो सकी है। मैदानी इलाकों में भी अभी जो शहरी इलाके हैं उनमें अभी नयी व्यवस्था कायम नहीं हो पायी है। उसके एक बिल पर सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आ गयी है और वह विधेयक सरकार के विचाराधीन है। मैं उम्मीद करता हूं कि सितम्बर के महीने में वह विधेयक अधिनियम का रूप धारण कर लेगा।

जहां तक पहाड़ों का ताल्लुक है वहां तक देहरादून जिले का एक परगना जो जौनसार बावर कहलाता है, वहां की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष एक अधिनियम विधान मंडल की तरफ से स्वीकृत हो चुका है। अब वह इलाका जहां कि पुरानी व्यवस्था ही चली जा रही है वह कुमायूं डिवीजन कहा जाता है। कुमायूं डिवीजन में मैं टेहरी-गढ़वाल को भी शामिल करता हूं यानी चार जिलों में टेहरी-गढ़वाल, जो पुराने जमाने में ब्रिटिश गढ़वाल कहलाता था वह गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल ये चार जिले इसमें शामिल हैं।

अध्यक्ष महोदय, बहुत दिनों से इस बात की मांग थी कि यहां भी नयी व्यवस्था कायम की जाय और जो आदमी स्वयं खेती करते हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित किया जाय और उनका सीधा सम्बन्ध गवर्नमेंट से जोड़ा जाय और बीच में जितने भी

---

† १० मई, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इंटरमीडियरीज हैं, मध्यवर्ती हैं. उनको निकाला जाय। अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा जवाब यह दिया जाता रहा है कि समस्या जरूर है कुमायूं के सिरतानों की या गरीब और कमजोर काश्तकारों के रक्षा करने की, लेकिन उससे भी ज्यादा विकट और गम्भीर समस्या और इलाकों की है। इसलिये गवर्नमेंट को जैसे फुर्सत और अवकाश मिलेगा वैसे ही वह कुमायूं में भी नयी व्यवस्था कायम करने की बात सोचेगी। तो अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने में बड़ी खुशी होती है कि आज उसका श्रीगणेश हो रहा है। गवर्नमेंट ने कोशिश की कि हमारे सूबे के एक कोने से दूसरे कोने तक मेहनती और परिश्रमी आदमी ही अपनी जमीन का अधिकारी हो, उसके ऊपर किसी तरह का दबाव न हो, वह अपना सर ऊंचा करके चल सके, चाहे उसके कपड़े फटे ही क्यों न हों, चाहे उसके घुटने तक मिट्टी चढ़ी हुई क्यों न हो, चाहे उसके पास जमीन एक एकड़ हो, चाहे आधी एकड़ हो, चाहे १० एकड़ हो, चाहे २५ एकड़ हो, वह समझे कि वाकई में वह जमीन उसकी है, उस जमीन का वही मालिक है। किसी दूसरे की जमीन वह अपने पास नहीं रखता, कोई दूसरा उसके रोजगार को नहीं ले सकता और अब वह किसी दूसरे के आसरे पर नहीं रहा, यह बात वह समझ ले। गवर्नमेंट की जो पालिसी है, जो नीति है, और जिन लोगों के राजनीतिक दल का या गवर्नमेंट के उन राजनीतिक दल का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करने के सिलसिले में आज इस बिल को पेश करके यह गवर्नमेंट बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, पहाड़ के इलाके की आबादी तो कम है यद्यपि वहां का रकबा बहुत ज्यादा है, तो उस तरीके से यानी आदमियों की तादाद की दृष्टि से यह समस्या कोई बड़ी नहीं थी लेकिन फिर भी जिन पर उसका असर है उनके लिये तो वह बड़ी ही है चाहे उनकी तादाद कितनी ही कम क्यों न हो। वहां अभी तक जो व्यवस्था कायम थी वह मैदान के इलाकों की व्यवस्था से सर्वथा भिन्न थी। इस सिलसिले में कि सीरतानों की बेदखली न हो उसके लिए एक बिल सन् ५४ में यहां आया था और उस भूमि व्यवस्था बिल पर काफी बहस भी उस वक्त हुई थी और यहां के भूतपूर्व मुख्य मंत्री माननीय गोविन्द वल्लभ जी पन्त ने और दूसरे मित्रों ने इस सम्बन्ध में काफी रोशनी डाली थी। मैं समझता हूं कि वहां पर हिस्सेदार, खायकर या सीरतान किसको कहते हैं अब बताने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर भी थोड़ी सी आवश्यकता इसकी इसलिये है कि जो बिल मैं पेश करने जा रहा हूं उसका मन्तव्य इस सदन के माननीय सदस्य अच्छी तरह से शायद न समझ सकेंगे जब तक कि वहां की मौजूदा व्यवस्था पर कुछ थोड़ा सा निवेदन न किया जाय। इसलिये आप की इजाजत से हिस्सेदार, खायकर, सीरतान, गूंठ सदावर्त वगैरा वगैरा इस बिल में जो आवेंगे उनके आज क्या क्या अधिकार हैं और जो इस तरह के खातेदार हैं उनके सम्बन्ध में कुछ थोड़ा सा निवेदन कर दूं।

अध्यक्ष महोदय, इस इलाके में कोई मोडिफाइड ला नहीं है जैसा कि मैदानी इलाके में यू० पी० टेनन्सी ऐक्ट था और इसीलिए मैं माननीय मित्रों को किसी वहां के ऐक्ट या अधिनियम का रिफ्रेन्स नहीं दे सकता, वहां का कानून अधिकतर कस्टमरी है। सिर्फ वहां के एक सेटिलमेंट कमिश्नर थे मि० स्टावेल्स, उन्होंने वहां के उन कस्टम्स को एक मैनुअल में इकट्ठा कर दिया है और जो यदाकदा अदालतों की नजीरें होती रहती हैं, उन्हीं से वहां के कानून का काम चलता रहा है।

'हिस्सेदार' वह लोग हैं जो कि अपनी जमीन के मालिक हैं, जैसे मैदान में जो लोग जमींदार कहलाते थे पहाड़ में यह हिस्सेदार कहलाते हैं लेकिन जो वहां अनक्लेम-रेबिल लैंड, गैर मजरुआ जमीन है उस जमीन के यहां जमींदार होते हैं और मैदान में एक एक इंच का मालिक कोई न कोई जमींदार होता था लेकिन पहाड़ में 'हिस्सेदार' अपनी जेरकाश्त जमीन, बागात या अपने निजी जंगलात का ही मालिक था और जो

[श्री चरणसिंह]

गैरमजरुआ जमींन है गांव पंचायत, उसकी मालिक टेक्निकली, कानूनन गवर्नमेंट है लेकिन वहां के किसानों को, ख्वाह वह किसी किस्म के हों, यह अधिकार है कि खेत से मुलहिक अगर कोई गांव पंचायत जमींन है तो वह खातेदार उस पर खेती के लिए कब्जा कर सकता है, यह वहां का कस्टम है और उसके उस जमीन में वही अधिकार होंगे जो उसकी उस जमीन से मुलहिक खेत में पहले से थे। अगर वह पहले से अपने खेत में खायकर है तो इस गैरमजरुआ नई जमींन में भी उसको खायकर के ही अख्तयारात होंगे और नयावाद ऐक्ट के मुताबिक भी उसको इस बात की ग्रान्ट्स दी जाती हैं कि जैसे यहां मैदान में नम्बरदार होते हैं वहां पर गांव प्रधान या मालगुजार कहलाते हैं जो सरकार को मालगुजारी वसूल करके देते हैं। सरकार की ओर से उनको छूट दी जाती है, हर एक को कुल मालगुजारी की ५ प्रतिशत का, वह उस खिदमत की एवज में उस गांव प्रधान या मालगुजार को जाती है। अगर उसके पास रकबा कम है तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से नकद रकम देती है ताकि ५ फीसदी तक उसको मुआविजा या उसकी सर्विसेज का एवज मिल जाय। यह उसका प्रधानाचारी हक कहलाता है।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद दूसरे लोग आते हैं खायकर। खायकर दो तरह के होते हैं—पक्के खायकर और कच्चे खायकर। इनको हेरिडिटरी राइट्स होते हैं यानी विरासती हक चलते हैं लेकिन ट्रान्सफर का हक नहीं है। जो पक्के खायकर लोगों के गांव हैं उनमें हिस्सेदारों की खुदकाश्त नहीं होती। कच्चे खायकरों के गांव में खुदकाश्त हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। दूसरा फर्क इन दोनों खायकरों में यह है कि पक्के खायकर का लावारिस मर जाने के बाद जो उस गांव की खायकर बाडी है उसको उस लावारिस खायकर की जमींन का इन्तजाम करने का अधिकार है। कच्चे खायकरों के गांव में यह अधिकार होता है हिस्सेदारों को। जिसका हिस्सेदार खायकर है वह लावारिस मर जाता है तो उसकी जमींन का इन्तजाम करने का हक उसके हिस्सेदार को होगा।

अध्यक्ष महोदय, वहां पहाड़ में ऐसे हिस्सेदार बहुत कम हैं जो कई गांवों के मालिक हों। बहुत छोटे-छोटे हिस्सेदार हैं। कुल १२ ऐसे हिस्सेदार हैं जिनकी ढाई सौ रुपये से ऊपर मालगुजारी है। ८ ऐसे हैं जिनकी २५० से ५०० मालगुजारी है। ३ ऐसे हैं जिनकी ५०० से १,००० मालगुजारी है और एक राजवरा असकोट है जिसकी एक हजार से ऊपर मालगुजारी है और बाकी जितने मालगुजार हैं प्रधान कहलाते हैं—उसका मतलब जमींदार से है। वे सब के सब ढाई सौ रुपये से कम मालगुजारी देने वाले हैं बल्कि ५ रुपये से कम मालगुजारी देने वालों की मेजारिटी है। इस तरह के बड़े जमींदार जैसे कि मैदान में थे वे वहां नहीं हैं। वहां इस तरह का नक्शा नहीं है, हो भी नहीं सकता था, क्योंकि जमींन बहुत थोड़ी है। मैदानी इलाके में एक गांव में कई-कई महाल होते हैं—एक गांव का एक महाल हो सकता था लेकिन वह बहुत कम। लेकिन आम तौर पर पहाड़ में एक महाल होता है।

खायकर के मुताल्लिक में एक बात अर्ज करना भूल गया कि खायकर, विशेषकर पक्के खायकर, वे लोग हैं जो किसी कारणवश पुराने जो सेटिलमेंट्स हुए उस वक्त अपने आपको हिस्सेदार दर्ज कराने से रह गये। उनकी गलती से या किसी राज्य कर्मचारी की गलती से वे खायकर दर्ज हो गये। खायकर लोग गढ़वाल, नैनीताल और अल्मोड़ा में हिस्सेदार को जो लगान देते हैं वह बहुत कम। हिस्सेदार को जो मालगुजारी देता है उस मालगुजारी पर एक मालिकाना देते हैं जो २० से २५ फीसदी तक आम तौर पर मालगुजारी का होता है। कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां २० फीसदी से १० फीसदी तक देते हैं। कुछ गांव ऐसे भी मिल जायंगे जहां १०० फीसदी मालगुजारी का दूना

दे देते हैं तो मालिकाना मालगुजारी के बराबर बैठ जाता है। लेकिन ऐसे केसेज बहुत कम हैं। आम तौर पर तीनों जिलों में २० या २५ फीसदी हिस्सेदार को खायकर मालगुजारी देता है, उसका २०, २५ फीसदी ही खायकर मालिकाना देता है और वह हिस्सेदार की आमदनी होती है।

अध्यक्ष महोदय, जहां मैंने यह अर्ज किया था कि प्रधान होता है और मालगुजार कहलाता है वहां कुछ लोग और हैं जो थोकदार कहलाते हैं। उनको पुराने जमाने में दोनों प्रकार के अधिकार थे--पुलिस पावर्स भी और रेवेन्यू पावर्स भी। रेवेन्यू की पावर्स तो अब उनकी नहीं रही और केवल पुलिस की पावर्स जो वहां के प्रधान की कुछ होती हैं उनका सुपरवीजन थोकदार करता है और थोकदार को तीन फीसदी, छः फीसदी या दस फीसदी जिस तरह से मालगुजार या प्रधान को पांच फीसदी वहां के हिस्सेदार की मालगुजारी में मिलता है, इस तरह से इन लोगों को तीन फीसदी, छः फीसदी या दस फीसदी मिलता है। इन लोगों की तादाद बहुत कम है। अध्यक्ष महोदय, जो मैंने अर्ज किया है उससे मेरे मित्र इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि यह खायकर और हिस्सेदार का वह वर्ग नहीं है जिसकी सुरक्षा करने की गवर्नमेंट को कोई फिक्र हो। चाहे माननीय नारायणदत्त जी तिवारी, चाहे माननीय खुशीराम, चाहे माननीय भूपालसिंह जी खाती, चाहे माननीय हरगोविन्द पन्त, जितने भी मेरे माननीय मित्र पहाड़ से आते हैं, मैं सबके नाम क्या गिनाऊं, उन्होंने जो भी पत्र लिखे या यह कहा कि वहां जमींदारी एबालिशन किया जाय और जल्दी से कदम उठाया जाय तो इन सब के दिमाग में केवल एक चीज थी--सीरतान की हिफाजत करना क्योंकि सीरतान के कोई अधिकार नहीं थे। वहां दो तरह के सीरतान हैं। एक मौरूसी सीरतान और दूसरे सिर्फ सीरतान। मौरूसी सीरतान वह लोग हैं जिनका लगान सेटिलमेंट पर मुकर्रर हुआ था और जब तक दूसरा सेटिलमेंट न हो उनका लगान घट बढ़ नहीं सकता और नस्लन व नस्लन ये लोग जमींन पर काबिज चले आते हैं। हिस्सेदार और खायकर को यह अधिकार है कि उनको बेदखल करा सकें। लेकिन कनवेंशन यह है या कस्टम कहो, वह आम तौर पर बेदखल किये नहीं जाते और उनका कब्जा चला आता है, अगर्चे हिस्सेदार और खायकर को कानूनन यह अधिकार हासिल है कि उनको बेदखल करा सकें। ये मौरूसी सीरतान हुये। यह हिस्सेदार भी हो सकता है और खायकर भी हो सकता है। कुछ सिर्फ सीरतान हैं। उनका सेटिलमेंट पर ही नहीं, बीच में भी, जबानी तरीके से या किसी तहरीर के जरिये, वह लोग सीरतान बना दिये जाते हैं और अधिकार यह है हिस्सेदार को या खायकर को कि उसका समरी इजेक्टमेंट कर दें, वैसे ही निकाल दें और अगर ऐसी सूरत में हिस्सेदार या खायकर उसको निकाल देता है, और उसने कोई खेत में इम्प्रूवमेंट किया है या उसकी फसल खड़ी है तो सिर्फ मुआविजा पा सकता है। टेन्योर को रेजिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन १९५४ में हमने एक छोटा सा ऐक्ट पास किया जिससे सीरतानों की बेदखली रोक दी गयी और कोई सीरतान ख्वाह वह मौरूसी हो या किसी किस्म का सीरतान हो आज बेदखल नहीं किया जा सकता सिवा तीन सूरतों के जिनमें एक यह है--अदम अदायगी लगान अगर हो तो बेशक बेदखल हो सकता है या जमींन का इस्तेमाल किसी ऐसी गरज के लिए करता है जो काश्त के मुनाफी हो, डेटरीमेन्टल टु ऐग्रीकल्चर हो यानी जिस गरज के लिए जमींन दी गयी है उसके अलावा किसी और गरज के लिये इस्तेमाल करता है। एक शर्त और है। इन तीन शर्तों को छोड़ कर सीरतान बेदखल नहीं किया जा सकता। १९५४ में लेजिस्लेचर से यह ऐक्ट पास किया जा चुका है। लेकिन अब तक जो सीरतानों की सूरत थी वह मैंने आपसे अर्ज की।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक टेहरी गढ़वाल का ताल्लुक है वहां कोई हिस्सेदार नहीं। वहां की सब जमींन की मालिक स्टेट थी और वहां हिस्सेदार नहीं थे। मौरूसीदार लोग थे उनको हेरिटेबिल राइट थे ही, उनके उत्तराधिकारी को अधिकार मिलता था, और

[श्री चरणसिंह]

अन रेस्ट्रिक्टेड राइट आफ ट्रांस्फर नहीं था कि जिसको चाहे मुन्तकिल कर दें। ऐसा अधिकार नहीं था। मौरूसीदार को सिर्फ चन्द सूरतों में अपनी जमींन मुन्तकिल करने का अधिकार था। कुछ सूरतों में स्टेट की रजामन्दी से कर सकता था। तो इनको रेस्ट्रिक्टेड राइट और हैरिटेबिल राइट थे। एक तरह से तीन और जो पहाड़ी जिले हैं उनके हिस्सेदार से इनकी मुशहबत की जा सकती है। इसके अलावा वहां भी खायकर और सीरतान थे और उनके प्रैक्टिकली वही अधिकार और जिम्मेदारियां हैं जो कि इन तीन जिलों में हैं। वह हिस्सेदार, यहां के जो मालगुजारी देते हैं, वहां के लोग जो गवर्नमेंट को रुपया देते हैं वह मामला कहलाता ह और मामले का १० फीसदी और बढ़ाकर खायकर देते हैं और सीरतानों के करीब २ वही अधिकार हैं।

तो अध्यक्ष महोदय, यह मोटी-सी तस्वीर जो हमारे पहाड़ी इलाके की है वहां सेटिलमेंट आपरेशन्स बाकायदा पूरे जिले में और उन्हीं नियमों के मुताबिक जिनके मुताबिक मैदान में हुए हैं, ऐसे वहां नहीं हुए हैपहजर्ड तरीके से। पारशल तरीके से और कहीं १८९० में, कभी १९०२-१९०३ में, १८६१-७२ में, १९२१-३९ में शुरू किया दो, तीन पट्टियों में गढ़वाल में। उसके बाद मालगुजारी बकाया फिर मंसूख कर दी। लेकिन मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। लेकिन जितना भी वहां की बाबत अध्ययन किया उनसे यह जाहिर होता है कि लैंड रिकार्ड्स की वह दशा नहीं है जो हमारे मैदानी इलाके में है। मालगुजारी वहां की बहुत कम है, १० आना, १२ आना, १४ आना फी एकड़। अध्यक्ष महोदय, यहां मैंने लफ्ज एकड़ का इस्तेमाल किया वहां एकड़ लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। वहां का मेजर बीसी कहलाता है। एक एकड़ में ४८४० मुरब्बा गज होते हैं, बीसी में ४८०० मुरबा गज और यहां ३२ बिस्वा होते हैं एक एकड़ में वहां एक बीसी में २० नाली होती हैं। तो २४० मुरब्बा गज की एक नाली हुई और जब यहां पश्चिमी जिलों में बीघे से जमींन नापी जाती है और पूर्वी जिलों में डेसीमल से जमीन कही जाती है, तो हमारे पहाड़ के मित्र जब अपनी जमीन का रकबा गिनाने बैठते हैं तो आम तौर पर वह कहते हैं कि कितनी नाली जमीन किसके पास है। तो वहां रिकार्ड और सर्वे आपरेशन्स आज कल चल रहे हैं।

सन् १९३७ में या सन् १९४७-४९ में जब कभी वहां लैंड रिफार्म्स इंट्रोड्यूस करने की बात हुई तो सब से बड़ी रुकावट जो गवर्नमेंट के सामने आयी वह यहां के लैंड रिकार्ड्स का ठीक न होना। खैर, ठीक तो किये जा सकते थे लेकिन ठीक किये जाने में जितना खर्चा होगा उसकी रकम का गवर्नमेंट के पास न होना ही देरी का कारण रहा। अब भी जो हिसाब है वह ८४ लाख रुपये का है इन चार जिलों में रिकार्ड और सर्वे आपरेशन्स में खर्च होगा। तो इतनी बड़ी रकम का गवर्नमेंट के लिये हर साल हर वक्त मुहैया न कर सकना ही एक कारण रहा है जिसकी वजह से देर हुई। लेकिन चूंकि हमको काम करना था लेकिन आम तौर से यह इसरार रहा था जल्दी करो। लिहाजा हमने रिकार्ड और सर्वे आपरेशन जारी कर दिया और जैसे ही मुकम्मिल हो जायगा वैसे ही दूसरा चैप्टर विधेयक का जब अधिनियम बन जायगा लागू होता जायगा। पहला चैप्टर वह तो लागू हो जायगा जब यह ऐक्ट पास किया जायगा लेकिन दूसरा चैप्टर और इसके और चैप्टर तब लागू होंगे उस तहसील में लागू किये जायंगे, जिस तहसील में रिकार्ड और सर्वे आपरेशन होता जायगा। वहां की कुल मालगुजारी सारे कुमायूं डिवीजन की ६, ७ लाख रुपया है और वहां के कागजों की दुरुस्ती करने के लिये ८४ लाख रुपये का खर्चा है। उसके लिये हमको बड़ा एफर्ट करना पड़ा है। उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट आफ इंडिया शायद हमको कुछ इमदाद दे। क्योंकि गवर्नमेंट आफ इंडिया चाहती यह है कि उनके पास अपना फाइव ईयर्स प्लान बनाने के लिये देश की पैदावार और दूसरी चीजों के संबंध में सही आंकड़े मौजूद हों। लेकिन हमारा पहाड़ का इलाका ऐसा था कि जो नानरिपोर्टिंग एजेंसी कहा जाता था, जिसके बाबत हम कोई

रिपोर्ट दे ही नहीं सकते थे कि यह फसल बोयी हुई है या किस किस्म की फसल बोयी गई है। तो गवर्नमेंट आफ इंडिया भी एंक्शस थी, बहुत उत्सुक थी कि हम अपने प्रदेश के हर हिस्से की बाबत उनको सही इत्तिला दे सकें। तो हमने उनसे कहा कि आप कुछ खर्चा दें तो हम रेकर्ड और सर्वे आपरेशंस करें। इससे गवर्नमेंट आफ इंडिया का भी परपज पूरा होगा और हमारी गरज भी पूरी हो जायगी कि हम लैन्ड रिफार्म सही तरीके पर इंट्रोड्यूस कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो मौजूदा इत्तिला हमारे पास है कागजात की वहां के लैन्ड रेकर्ड्स की उसके हिसाब से केवल पांच फीसदी रकबे पर वहां सीरतान काबिज हैं। माननीय हरगोविन्द पंत ने मुझको सन् ५४ में एक चिट्ठी लिखी थी कि ५ फीसदी बहुत कम है। कम से कम दस फीसदी है क्योंकि रेकर्ड्स गलत हैं इसलिये सही तस्वीर इन रेकर्ड्स के जरिये उस इलाके की मालूम नहीं होती। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने डबल किया रेकर्ड्स के हिसाब से जितना रकबा था लेकिन आपके जरिये मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि उन्होंने जो एस्टीमेट करके अपना भेजा था उसको भी और डबल करना होगा। मेरे पास १७ गांवों की रिपोर्ट आयी है जोकि नैनीताल जिले के हैं और जहां पर कि रेकर्ड और सर्वे आपरेशन कुछ हो चुका है। तो उसके जो आंकड़े मेरे पास हैं जो कि वहां के सेटिलमेंट कमिश्नर ने भेजे हैं उनके देखने से मालूम होता है कि २० फीसदी से २५ फीसदी हैं बशर्ते कि वह १७ गांव एवरेज गांव हों। उन १७ गांवों का एवरेज आता है २४ फीसदी, २४ फीसदी पर सीरतान काबिज है। मैं यह समझता हूं कि २० फीसदी हो सकते हैं। कहीं सत्रह अठारह भी हो सकते हैं कहीं २४, २५ भी हो सकते हैं। तो एवरेज सारे कुमायूं डिवीजन में २० फीसदी जमीन पर कब्जा उन गरीब और कमजोर लोगों का है जो सीरतान कहलाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, कुछ आम तौर पर एक ख्याल यह है कि जो सीरतान हैं यह हमारे सब भाई वह हैं कि जो शिड्यूल्ड कास्ट कहलाते हैं, जो शिल्पकार कहलाते हैं। यह ख्याल गलत है। मेरा भी कुछ कुछ यही ख्याल था पहले। लेकिन मैंने सेंसस की रिपोर्ट देखी कि उनकी आबादी कितनी है। उसके देखने से यह मालूम हुआ कि सारे कुमायूं डिवीजन में जो आबादी है शिड्यूल्ड कास्ट की जो वहां शिल्पकार कहलाते हैं वह आठ प्रतिशत पड़ती है कि हमारे मैदानी सारे प्रदेश का जो औसत है वह १९ फीसदी का है। तो वहां केवल ८ फीसदी आबादी उनकी पड़ती है। तो गांवों का जो हमारा रेकर्ड और सर्वे है अगर वह सही है तो उससे यह जाहिर होता है कि कम से कम शिल्पकारों से ड्यौढी तादाद उन लोगों की है जोकि सवर्ण हिन्दू कहलाते हैं। यह मैंने केवल इसलिये बतलाया ताकि हम जब बहस करें तो हमारे माइंड से यह चीज बिलकुल निकल जाय कि इसमें कोई कास्ट या वर्ण का कोई प्रश्न है। इसमें सब तरह के गरीब और कमजोर लोग शामिल हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से जो बिल है उसके जो सैलियेंट फीचर्स हैं उनको आपकी इजाजत से अर्ज करना चाहता हूं कानूनी भाषा पेचीदा होती है और वह लम्बी चीज हो जाती है, कोई भी बिल हो, कोई भी ऐक्ट हो लेकिन उसका जो आशय होता है, वह बहुत थोड़े में बयान किया जा सकता है। तो यों समझना चाहिये कि धारा ४ के मातहत जब नोटिफिकेशन वहां जारी किया जायगा तो हिस्सेदार और खायकर का जो संबंध है वह संबंध टूट जायगा। खायकर आजाद हो जायगा हिस्सेदार से। हिस्सेदार को और खायकर को हम भूमिधर डिक्लेयर कर देंगे। दोनों भूमिधर हो जायेंगे और एक दूसरे से संबंध टूट जायेंगे। खायकर की जमीन जो हिस्सेदारी की मिलकियत की थी उसका मुआवजा हमने बारह गुना उसके लगान का रखा है और वह भी ग्रौस रेंट पर रखा है, नैट असेट्स पर नहीं। जो हिस्सेदार खायकर से रेंट पाता रहा है उसका बारह गुना मुआवजा हिस्सेदार को मिलेगा। अब मैदानी इलाके से पहाड़ी इलाके में हमने क्या विशेषता रखी है, इसको मैं बाद में अर्ज करूंगा। इस समय तो मैं इस विधेयक की मोटी-मोटी बातें अर्ज कर रहा हूं। यह मुआवजा रेंट का बारह गुना मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, जितनी खायकर की जमीन है, और ग्रांट्स हैं, एक तो सदावर्त और दूसरी गूंठ। इन इलाकों का कुछ रकबा है। जैसे मंदिर केदारनाथ बद्रीनाथ हैं और भी अन्य मंदिर हो सकते हैं, यह तो गूंठ ग्रांट में आते हैं और सदावर्त ग्रांट वह है कि जो लोग यात्रा करने जाते हैं तो रास्ते में उन यात्रियों को उसमें से खाने पीने का प्रबन्ध हो जाय। इसमें

[श्री चरणसिंह]

कुछ गांवों का रफबा लगा दिया गया है। इन गांवों की आमदनी से उनको सहायता दी जाती है तो यह जो ग्रांट हैं वह खत्म हो जायगी। उनको इंनकम होती रहेगी लेकिन उनसे कोई ताल्लुक खायकर या हिस्सेदार का नहीं रहा।

प्राइवेट फारेस्ट्स को हमने मैदानी इलाकों में ऐक्वायर किया है लेकिन पहाड़ों में निजी जंगलात को नहीं लिया जा रहा है और इसमें कुछ कठिनाइयां हैं। हमने जब यहां प्राइवेट फारेस्ट्स लिये थे तो माननीय अध्यक्ष महोदय मेरे सब मित्रों को मालूम होगा कि उसमें कितनी कठिनाइयां आईं हजारों एकड़ दरख्त कट गये और लोगों ने काश्त करना शुरू कर दिया या उनको कानूनी अधिकार भूमिधरी और सीरदारी के हासिल हो गये। गवर्नमेंट को आर्डिनेंस जारी करना पड़ा और बाद में ऐक्ट आया था। यहां केवल आठ हजार एकड़ प्राइवेट फारेस्टस थे तो हमने उनको छोड़ दिया है। इसका कारण यह है कि यदि हम उनके लेने का ऐलान करते तो यहां पर भी उसी तरह से पेड़ कटने शुरू हो जाते जैसे कि मैदानी इलाके में हुआ। इससे हमारी इकोनामी को धक्का पहुंचता। इसलिये हम प्राइवेट फारेस्ट्स को नहीं ले रहे हैं।

खायकर अपने मकान और दरख्त और कुआं आदि के उसी तरह से मालिक हो जायेंगे जैसे कि हमारे यहां भूमिधर और सीरदार हो गये हैं और जो फर्क है उसको मैं बतलाने जा रहा हूं। हम यहां पर मुआवजा ४० साल के बांड्स में दे रहे हैं लेकिन पहाड़ी इलाके में दस साल में दे देंगे और नगद देंगे। बेशक जिसका ५० रुपये से कम पड़ेगा तो वह शुरू में ही अदा कर देंगे उसकी किस्तों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जमीन किसी हिस्सेदार या खायकर के वाकई कब्जे में हुई उसको भूमिधर डिक्लेयर कर देंगे और जो सीरदार है, चाहे हिस्सेदार हो या खायकर हो वह असामी डिक्लेयर कर दिया जायगा।

अध्यक्ष महोदय, सीरतान को वह अधिकार जो ५४ में पास कर चुके हैं पहले से ही हासिल है जो बटाई पर लगान दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं भूल गया अर्ज करना, जब मैंने जिक्र किया था कि सीरतान आमतौर पर जो लगान दे रहा है वह जिन्सी लगान दे रहा है, अधेल या तिहेल, आधा या तिहाई अपनी पैदावार का। तो वह लगान बहुत ऊंचा पड़ता था। सभी जगह अगर बटाई इस तरह होती है तो वह ऊंचा पड़ ही जाता है। तो जो ऐक्ट सन् ५४ में हमने पास किया था उसके जरिये सीरतानों को यह हक हासिल होगा कि वे एस० डी० ओ० के यहां दरख्वास्तें दें और उनका लगान लैन्ड रेवेन्यू के पांच गुना तक हो जायगा अगर वह हिस्सेदार का सीरतान है। अब जैसी जमीन होगी उस हिसाब से पांच गुना तक करने का एस० डी० ओ० को अधिकार है और अगर वह खायकर का सीरतान है तो मालगुजारी का साढ़े ७ गुना तक हो सकता है। तो इतना कम्युटेशन हो जायगा। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भूमिधर को, यानी जो खायकर और हिस्सेदार है, उसको अख्तियार यह होगा कि सीरतान से ढाई नाली जमीन जोकि उसके मकान के एपटिनेंट हो उसको छुड़ा दे। क्योंकि पहाड़ में इस तरह के गांव नहीं हैं जैसे कि मैदान में हैं। यहां तो एक क्लस्टर आफ हाउसेज है और वहां एक-एक दो-दो आदमी जंगल में ही रहते हैं, अपने खेत के बीच। तो हिस्सेदार को या खायकर को अगर हम कुछ जमीन उसके मकान के अलावा न छोड़ें जब कि उसका घर खेत के अन्दर बना हुआ है तो अपने मकान तक वह नहीं पहुंच सकता। इसलिये इस बिल के जरिये यह व्यवस्था की जा रही है कि ढाई नाली, २४० गज हुआ। एक नाली में यानी ६०० स्क्वायर यार्ड्स जमीन अगर खायकर या हिस्सेदार चाहे तो छुड़वा सकते हैं। इस जमीन का मुआवजा सीरतान को मिलेगा उसके रेंट का तिगुना तक और अगर उसने कोई इम्प्रूवमेंट उस जमीन में किया है तो उसका एवज भी मिलेगा।

मैं आपके द्वारा माननीय नारायणदत्त तिवारी को और दूसरे माननीय मित्रों को बताना चाहता हूं कि जिस वक्त हम मैदानी इलाके में अधिवासियों को अधिकार देने जा रहे थे तो उस वक्त हमने राइट आफ रिजम्पशन एक इंच भी जमीन का कहीं भी स्टेट में नहीं दिया था जबकि प्लानिंग कमीशन की सिफारिश यह थी कि राइट आफ रिजम्पशन दिया जाय। लेकिन इस गवर्नमेंट ने और इस सदन ने बहुत विचार के बाद यह राइट नहीं दिया। क्योंकि अगर राइट आफ रिजम्पशन देते तो अधिवासियों

को एक प्रकार से बेदखल करने के बराबर होता। साढे ५७ लाख अधिवासी मैदानी इलाके में हैं और जमीन साढे २५ लाख एकड़ है इसलिये हम इस नतीजे पर पहुंचे कि राइट आफ रिजम्पशन नहीं होना चाहिये। लेकिन पहाड़ की विशेष परिस्थितियां देख कर हमने ढाई नाली जमीन रिजम्पशन करने का अधिकार पुराने खायकर या हिस्सेदार को दिया। यह भी माननीय सदस्य देखेंगे कि मैदान में जमींदारी एबालिशन ऐक्ट के सेक्शन ४ के जरिये जो सारी जमीन हमने एकदम एक्वायर कर ली थी उस तरह की कार्यवाही हम पहाड़ में नहीं करने जा रहे हैं। हम केवल भूमि हिस्सेदार का हक सेक्शन ४ के जरिये उस जमीन में ले रहे हैं। जिस जमीन में कोई खायकर नहीं है और जो जमीन वाकई उसके अपने कब्जे में है, खुदकाश्त है, उसमें हम उसका हक एक्वायर कर रहे हैं। इसकी दो वजहें हैं। एक तो यह कि पहाड़ में ८० फीसदी जमीन हम उन्हीं लोगों के पास छोड़ रहे हैं, उन्हीं लोगों की है, जिनको हम भूमिधर बनाने जा रहे हैं, उनके जेरेकाश्त है, जबकि हमारे मैदान में कुल १४, १५ फीसदी जमीन ऐसी होगी कि जो जमींदारों के खुदकाश्त में हो। यहां जमींदारों की ८६ फीसदी जमीन काश्तकारों के कब्जे में थी। लेकिन यहां ठीक उसका उल्टा है कि ८० फीसदी जमीन उन्हीं लोगों के कब्जे में है अगर हम सारी जमीन को एक्वायर कर लें तो फिर जमीन को उन्हीं लोगों के कब्जे में छोड़ना पड़ेगा। यहां तो सारी जमीन सारे सूबे की जमीन एक्वायर कर ली गई और फिर लीगल जमनास्टिक की गई, लेकिन यहां यह सब इसलिये करना पड़ा कि जमीन जमींदार के कब्जे में थी, वहां यह बात नहीं है। वहां ठीक इसका उल्टा है और इसके लिये हमको इसकी कोई जरूरत नहीं दिखाई दी कि हम वहां सारी जमीन को एक्वायर करें।

दूसरा वजह यह है कि यहां अगर हम सारी जमीन को न एक्वायर करते तो हम अनकल्टीवेटेड लैंड को गांव समाज को नहीं दे सकते थे, वहां अनकल्टीवेटेड लैन्ड स्टेट में ही वेस्ट करती है और उस पर मैनेजमेंट विलेज कम्युनिटी का है। तो इसके लिये भी कोई जरूरत नहीं थी। यहां हमने जो जमीन एक्वायर की उसको पहले एक्वायर करके फिर लोगों को मुआवजा दिया, बड़ों को कम रेंट से और छोटों को ज्यादा रेट से। लेकिन पहाड़ में छोटे बड़े का सवाल नहीं है। सभी छोटे हैं या सभी बड़े हैं। इसलिये वहां मुआवजा डिफर करता है उनकी आमदनी के हिसाब से कि बड़े हैं तो कम मल्टिपिल, छोटे हैं तो बड़ा मल्टिपिल, इनकी वहां जरूरत नहीं। इन तीन कारणों से हम वहां की सारी जमीन को एक्वायर करने नहीं जा रहे हैं।

तो अब, जब यह असामी हो गये सेक्शन ४ के नोटीफिकेशन के बाद, सीरतान असामी हो गये तो हम, सीरतानों को क्या, अगर दोनों फरीक राजी हों तो दोनों को यह हक दे रहे हैं कि सीरतान अपने लगान का १५ गुना दाखिल कर दे और उसका भूमिधर जो नियत हुआ है, वह राजी हो जाय उस रकम को मंजूर करने के लिये तो यह सीरतान भूमिधर हो जायगा और आगे को वह लगान देने का जिम्मेदार होगा। जिस लगान को उसका भूमिधर, हिस्सेदार खायकर आजतक अदा करता आया है, यानी कमिटेड रेंट भी हो तो वह लैन्ड रेवेन्यू से पांच गुने से साढे सात गुना हुआ उसका १५ गुना दाखिल कर दे तो यह शख्स भूमिधर हो जायगा। खुद जमींदार हो जायगा और लगान देने का हक उसे हो जायगा जो आज तक उसका लैन्ड लार्ड मालगुजारी दे रहा है। इसके लिये साल भर का मौका है। अगर इस दौरान में दोनों फरीक उससे फायदा नहीं उठाते तो एक नोटीफिकेशन जारी होगा, सालभर की एक्सपायरी के बाद और उसके जरिये हम उस खायकर के अधिकार ले लेंगे जिसकी जमीन सीरतान के कब्जे में हो। पहले तो हमने प्रोप्राइटरी अधिकार एक्वायर किये और दूसरी स्टेज पर कल्टीवेटरी राइट्स एक्वायर कर लेंगे भूमिधर के उस जमीन में जो सीरतान के वाकई कब्जे में हो और सीरतान को डिक्लेयर कर देंगे सीरदार और मुआवजा देंगे। कल्टीवेटरी राइट्स का १२ गुना। जैसे पहले १२ गुना दिया था रेंट का, ऐसे ही रेंट का १२ गुना जो सीरतान दे रहा है, पहले तो खायकर दे रहा था उसको अब सीरतान जो

[श्री चरणसिंह]

हिस्सेदार या खायकर को देगा लगान का १२ गुना हिस्सेदार को देगा लेकिन खायकर को उस जमीन का मिलेगा जो सीरतान के कब्जे में है। अब सीरतान डिक्लेयर हो गया सीरदार। सीरदार होने पर वह अगर भूमिधर बनना चाहे तो वह १० गुना देकर बन सकता है। जो आज वह लगान देता है उसकी मालगुजारी आधी हो जायगी। मैं आपकी इजाजत से यह बात जरा अच्छी तरह से साफ करना चाहता हूं ताकि मेरे माननीय मित्र इसको समझ लें और बिला जरूरत इस पर बहस न हो? इसमें दोनों का इन्टरेस्ट है। एक साल के अन्दर उसको मौका रहा और हिस्सेदार को भी उतना ही मौका रहा। १५ गुना देकर सीरतान भूमिधर बन गया। उसका जो उस जमीन पर होल्ड है वह साल भर तक चलता रहा और उसने पहले ही छोड़ दिया। तो फायदा दोनों का हुआ। उसको १५ गुना रेंट का मिलेगा। उस वक्त जब बाद में साल भर बीत जाता है तो असामी सीरतान हो जाता है उसको १२ गुना मिलेगा। तो इसमें दोनों का इन्टरेस्ट हुआ। सीरतान को सालभर के अन्दर बन जाने का लाभ है यह १५ गुना अवश्य देता रहा लेकिन भूमिधर बनने पर लगान भी देगा जो कि आज वह अपने हिस्सेदार को देता है। बाद में वह १० गुना देगा उस लगान का जो वह देता रहा है। तो उसकी मालगुजारी ढाई गुना और दूसरे की पौने चार गुना हो गयी तो इस तरह से दोनों का इन्टरेस्ट है। साल भर के अन्दर यह भूमिधर राइट एक्वायर कर ले तो उसको भूमिधर बना देंगे। यह सालभर का उसको मौका है उसके बाद वह सीरतान हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय, यह जमींदारी अबालीशन एन्ड लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट के जो सेक्शन्स हैं वह वही हैं उनको हम स्थिति को देखते हुये अडाप्ट करना चाहते हैं। वह बाद को हमने लेजिस्लेटिव से अधिकार लिये हैं तो आगे वही कर सकेंगे। गांव पंचायत को भी वही अधिकार है जो जमींदारी अबलीशन ऐक्ट के अन्दर दिये हैं। कुछ मोडिफिकेशन करके उनको अडाप्ट कर लिया जायगा। वहीं यहां पर टर्मोलाजी रखी गयी है भूमिधर, सीरदार और असामी जैसा कि उसमें है। इसमें कोई फर्क नहीं है। जब से यह बिल यहां पर रखा गया है मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो भी अखबार पहाड़ी इलाके से निकलते हैं, मैं उन अखबारों का नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन उन अखबारों ने अनमिटीगेटेड अपोजीशन किया है और बड़ा मिसलीडिंग क्रटिसिज्म उन्होंने किया है। कहा जाता है कि साहब हिस्सेदारों को उखाड़ा जा रहा है और उसको भूमिधर बनाया जा रहा है। जैसे कि उनको डिग्रेडेशन किया जाता हो। अगर इलाके में भी वही भूमिधर और सीरदार बनाया जाता है तो उसका लाभ यह है कि प्रांत में एक कोने से दूसरे कोने तक यूनिफार्मिटी हो जाती है। इससे लोगों को कनफ्यूजन नहीं होगा। अगर हिस्सेदार कहें तो उसके राइट वही हैं जो कि भूमिधर के हैं इसको हिस्सेदार क्यों रखा जाय। १६ अक्टूबर, १९५४ को पहाड़ी प्रदेश के जितने मित्र हैं उन सब की मैंने दावत की और उनके मशविरे से जो इसके उसूल हैं उनको तय किया गया है उसमें एक यह भी था कि आगे को भूमिधर कहलायेंगे, यह खुद उन्हीं की तजवीज थी। खैर, यह कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन असल प्रौपैगेंडा इस सिलसिले में हुआ है कि लीजिये साहेब, ५ फीसदी आदमियों की खातिर ९५ आदमियों को बरबाद किया जा रहा है। अगर ९५ हिस्सेदार और खा कर हैं तो जो जमीन वाकई उनके कब्जे में है, वह रहेगी। अगर वे ८० फीसदी हैं तो ८० फीसदी उनके पास रहे। अदरवाइज वैरी ऐस्टीमेबिल जैन्टिलमैन "otherwise very estiemable gentlemen" जिन्हें कहना अंग्रजी में चाहिये, उन्होंने बड़ी कड़ुवी बातें लिखी हैं और व्यक्तिगत आक्षेप से भी दूर नहीं रहे हैं। यह कहा जाता है कि चूंकि पहाड़ के लोग छोटी जोत रखते हैं इसलिये वे बाहर नौकरी के लिये जाते हैं और अपनी जमीन किसी को उठा जाते हैं। जब वे वापस जावेंगे तो उन्हें वह जमीन मिलेगी। मैं इस कठिनाई और जज्बे की क़द्र करता हूं? यह बात बिलकुल ठीक है कि एक बहुत बड़ी तादाद हमारे पहाड़ी भाइयों की, चूंकि वहां की जमीन इतनी आबादी के बोझ को बरदाश्त नहीं कर सकती, वे केवल खेती पर भूमिधर नहीं रह पाते हैं, इसलिये मुगलों के जमाने से

नार्थ-वेस्टर्न फ्रंटियर के लोग रेड करके चले आये हैं लेकिन यहां के लोग रेड न करके नौकरी की तलाश में निकलते हैं। बेशक उन लोगों को तकलीफ होगी। लेकिन जहां कहीं कोई कानून या स्कीम मनुष्य की बनायी हुई होती है उसके दोनों ही पहलू होते हैं। तकलीफ उनको होगी, लेकिन क्या कोई मेरे मित्र ऐसा हल बतला सकते हैं कि आज जिनके दिल पर पत्थर रखा हुआ है उनको राहत मिल जाय और तकलीफ किसी को न हो? अगर ऐसा हो सकता है तो मुझे बहुत खुशी होगी और मुझे या इस गवर्नमेंट के किसी मेम्बर को या इस सदन के किसी माननीय सदस्य को, मैं समझता हूं, कि ऐसी स्कीम मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिये। हम सभी लोगों को इससे खुशी होगी। हम में से किसी को भी यह आग्रह नहीं है कि अपने किसी आदमी को तकलीफ पहुंचावें। लेकिन हमको कोई ऐसी स्कीम नहीं दीखती है जिससे कुछ को अधिकार मिल जावें बिना किन्हीं और कुछों से लिये हुये यह जो कहा जाता है कि सब लोग नौकरी के लिये जाते हैं, बहुत बड़ी तादाद बेशक जाती है लेकिन इस संबंध में ३, ४ फैक्टर्स ध्यान रखने योग्य हैं। इन तीन, चार बातों का हमें ख्याल करना ही होगा। एक तो यह है कि जो लोग मिलिटरी में नौकरी करने गये हैं उनको तो अधिकार अपने सीरतान को बेदखल करने का दिया है। यू० पी० में चार जिले ही हैवीली रैक्यूटेड एरियाज हैं। गढ़वाल, अल्मोड़ा, बुलन्दशहर और मेरठ। इनमें अल्मोड़ा का परसेंटेज के हिसाब से पहला नम्बर है, मेरठ का दूसरा तथा गढ़वाल का तीसरा है जब कि मेरठ की आबादी अकेले ही इतनी है जितनी कि कुमायूं डिवीजन की बल्कि सवाई है। इससे मैं केवल यह बतला रहा हूं कि इतनी बड़ी तादाद मिलिटरी में सर्विस वालों की है। जहां तक उनका सम्बन्ध है वे तो सीरतानों को बेदखल करा ही सकेंगे और ऐसे करीब आधे लोग होंगे। इसलिये जब हम यह कहें कि उन लोगों का क्या होगा तो हमें यह भलना चाहिये। इसके अलावा विद्यार्थी हैं जिनकी उम्र २५ साल से ज्यादा नहीं है, विडोज हैं, नाबालिग हैं इसके अतिरिक्त श्रीमन्, यह खुशी की बात है कि वहां जरायम कुछ कम होते हैं लेकिन कैदी भी होंगे। अब जिनको लंबी कैद हो जाय तो अगर वह भी अपने सीरतान को निकालना चाहे तो बेदखल करा सकता है। इसलिये जब हम इस प्रश्न पर विचार करें तो इन लोगों को निकाल दें।

श्री अध्यक्ष--अभी तो आप भाषण देना चाहेंगे इसलिये बाद में जारी रखियेगा।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री चरणसिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि पहाड़ के बहुत से लोग रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं। कहा यह जाता है कि वे लोग जो अपनी जमीन सीरतान को दे आये, फिर ये लोग जब पहाड़ में वापस जायेंगे तो उनको अपनी जमीन मिलेगी नहीं, तो उनको नुकसान होगा। इसमें संदेह नहीं कि उन लोगों को नुकसान होगा। लेकिन जिन वजूहात की बिना पर हमने अधिवासी को सीरदार बना दिया यहां सारे मैदान में, ख्वाह उसका क्षेत्रपति यानी वह सीरदार और भूमिधर जिसकी जमीन अधिवासी के पास थी जितना ही छोटा क्यों न रहा हो, जब हम ढाई नाली रिजम्पशन का अधिकार भी दे रहे हैं, वहां ऐसा अधिकार उनको नहीं दिया। तो फिर ऐसी कौन सी वजूहात है, खास, कौन से विशेष कारण हैं जिनकी वजह से पहाड़ों में अपवाद किया जाय? यह कि वे छोटे-छोटे हिस्सेदार हैं, मैदान में भी ऐसे छोटे-छोटे शिकमीदार रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया था कि साढ़े ५७ लाख अधिवासी थे मैदान में, जिनके पास साढ़े २५ लाख एकड़ जमीन थी। तो उनके जो लैण्ड होल्डर्स थे उनकी तादाद थी कोई ५१ लाख के करीब, ५१ लाख खाते थे। तो इससे यह जाहिर

[श्री चरणसिंह]

होता है कि यहां के अधिवासियों के क्षेत्रपति भी बहुत छोटे-छोटे थे। जिस तरह पहाड़ के लोग मैदान में आते हैं ऐसे ही यहां पूरब के किसान जिनके पास थोड़ी जमींन थी वे बम्बई, आसाम, कलकत्ता और कुछ दिन पहले वर्मा और मलाया जाया करते थे और उनके पास जो थोड़ी सी जमीन होती थी उसे अधिवासी और शिकमी को दे जाया करते थे। मसलन बम्बई में ५० हजार आदमी यू० पी० के हैं, शोलापुर, अहमदाबाद और इन्दौर में कितने होंगे, यह सब छोड़ दीजिये। अपने देश के दूसरे हिस्सों के अलावा केवल बम्बई स्टेट में ५० हजार आदमी यू० पी० के हैं और इन ५० हजार में करीब ४० हजार आदमी इस्टर्न यू० पी० के हैं। अगर दो भाई थे, एक भाई रह गया तो उसके लिये काश्त करने को छोड़ दिया या किसी दूसरे को दे दिया, तो क्या पहाड़ हुआ क्या मैदान हुआ, हमारा पैटर्न रूरल लाइफ का एग्रीकल्चर का बिल्कुल एक सा है। १०–२० परसेंट इधर-उधर हो सकता है। बल्कि एक बात पहाड़ वालों के हक में है कि जितने आदमी बाहर को गये हैं उसका लार्ज परसेंट मिलिटरी में है। और जितने आदमी यू० पी० के मैदानी इलाके से विशेष कर इस्टर्न डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाते हैं उनका १० क्या ५ परसेंट भी फौज में नहीं है। पहाड़ के जितने आदमी हैं उनका ५० परसेंट मिलिटरी में है और उन सभी को अधिकार होगा कि वे अपनी जमींन वापस ले लें। इसके अलावा जैसा मैंने अर्ज किया कि आखिर ऐसा नुस्खा कौन सा है जिससे सब को फायदा हो जाय ? तो इससे किसी के स्वत्व को आघात नहीं पहुंचता, ऐसी बात ह्यूमेन ब्रेन के परे है।

कुछ लोगों ने कहा कि बेदखली तो बन्द कर ही दी गई है तो यही कानून आगे रहे जो सन् ५४ में यहां बना है और वह रहे तो उससे वह सीरतान बेदखल नहीं होंगे। इसके अलावा २–३ दिन हुए एक बुजुर्ग मेरे से मिलने आए थे और उनका कहना था कि हमारे यहां ५०० रुपया प्रति नाली तक जमींन बिकती है। मैंने कहा कि भई होगी ठीक है लेकिन जैसा कि आप कहते हैं कि सीरतान को सिक्योर कर दिया जाय तब कितने की बिकती है जो आज डेढ़ सौ रुपया फी नाली बिकती है। श्री राजनारायण जी मेरी ताईद करेंगे कि बनारस में और मिर्जापुर के कुछ इलाकों में जमीन की बड़ी कीमत है, मैं उधर बाढ़ के समय गया था तो मुझे मालूम हुआ कि हजार रुपया फी एकड़ तक वहां बिकती है, मैं समझता हूं मैं ठीक ही अर्ज कर रहा हूं लेकिन यह रेट वहीं है कि जहां पर बेचने वाला पजेशन भी ट्रान्सफरी को दे सकता है जैसे बलरामपुर के काश्तकारों के कब्जे में जो जमींन है वह हजारों की नहीं हो सकती लेकिन जो खाली जमींन थी जिसका पजेशन भी ट्रान्सफर हो सका वह हो सकती है हजार रुपया एकड़ या ५०० रुपया नाली। तो अगर उनके लिए सिक्योरिटी देते हैं तो इतनी कीमत नहीं हो सकती क्योंकि इस सूरत से ट्रान्सफर के साथ पजेशन नहीं मिलता, उसको तो केवल लगान ही मिलेगा, फिर तो वह अपने रुपये के सूद का हिसाब लगा कर २५ रुपया नाली ही देगा। तो मैं समझता हूं कि यह ख्याल उनका गलत है कि नुकसान हो रहा है, नुकसान तो जो होना था वह ५४ में हो चुका और अगर अब भी ५४ का ऐक्ट रहता है तो जमींन की कीमत गिर गई। जब यह मालूम होगा कि काश्तकार बेदल नहीं होगा तो वह डेढ़ सौ रुपया फी नाली को भी नहीं बिकेगी। वह नुकसान तो हो चुका अब तो सवाल यह है कि लैंड लार्ड और टीनेन्ट का वही रिलेशन कायम रहे, यह कि मैं लूं तो साढ़े ७ या ५ रुपया के हिसाब से और सरकार को दूं सिर्फ १ रुपया। तो यह तो अब कोई पसन्द न करेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सब मित्रों को जो मुखतलिफ राय रखते हैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि मुझे किसी प्रकार का आग्रह या जिद्द नहीं है और न मुझे किसी से कोई पर्सनल एनिमिटी है, वहां के सीरतान की क्या हालत है वह मैं सुनाना नहीं चाहता, उनकी टीनेन्सी की कोई सीक्योरिटी नहीं है, उनके ऊपर बेदखली की तलवार लटकती रहती है, वे दूसरों के अधीन रहते हैं, उन्होंने देश के आजाद होने के बाद आजादी का लुत्फ अभी तक नहीं देखा है। अगर हम जमींन का अलटीमेट अनेलेसिस

करें तो जमीन प्रकृति की बनाई है और सारी जमींन की मालिक यहां की जनता है, लेकिन चूंकि सभी लोग खेती नहीं कर सकते और ८० प्रतिशत लोग ही खेती करें और वे भी मिल कर खेती नहीं कर सकते इसलिए प्रैक्टिस में हमें यही करना पड़ता है कि जिस के कब्जे में जो जमींन है वही उसके पास रहे और उसके मालिक जो आज खायकर, हिस्सेदार या जागीरदार हैं वह रहें या कि सरकार रहे यह प्रश्न है। अब तक जो कानून थे वह भी इन्सान के बनाये कानून थे लेकिन अब अल्टीमेट अनेलेसिस यह है कि जो अभी तक गलतफहमी पर मबनी प्रोप्राइटर रहे हैं वह क्यों रहें और जमींन सब जोतने वालों की क्यों न हो और सरकार से क्यों न सीधा सम्बन्ध उनका रहे? वह लोग जो २० फीसदी सीरतान हैं वह अधिकतर गरीब तबका है। न अखबार निकाल सकते हैं, न लखनऊ आ सकते हैं। न अखबारों में मजबून भेज सकते हैं। न एजीटेशन करते हैं। उनके इंट्रेस्ट्स के कस्टोडियन हैं, उपाध्यक्ष महोदय, वे लोग जो यहां इस सदन में हैं आज उनकी परवा करने वाला कोई नहीं है। कोई उनका एडवोकेट नहीं है। अगर कोई है तो बहुत कम । उनके पास मीन्स नहीं हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, हम जितने यहां बैठे हैं हम सबने आग लगाई थी अपने घर में और निकले थे देश का भला करने के लिये और "लैंड टु दी टिलर आफ दी स्वायल" यह नारा था। यह मौका आ गया है कि हम उस नारे को जल्द करके दिखला दें।

जितनी नुक्ताचीनी हुई है जो अखबारों में मैंने पढ़ा है १६ अक्तूबर से लेकर आज तक वे सब अखबार मैंने इकट्ठा कर लिये हैं। उन सबको मैंने पढ़ लिया है। सबमें वही रिपीटीशन है। एक बात यह कही गई है कि लीजिये साहब मालगुजारी बढ़ जायगी। जो रेकार्ड एण्ड सर्वे आपरेशंस हो रहे हैं नहीं होने चाहिये। रेकार्ड एंड सर्वे आपरेशंस की मंशा यह है कि जो कागजात में गलती हो उसकी दुरुस्ती कर दी जाय। जिस आदमी का कब्जा है वह कब्जा दर्ज कर दिया जाय। जहां सर्वे एंड रेकार्ड आपरेशंस नहीं हो रहे हैं और जहां हो रहे हैं उन दोनों इलाकों में एक फर्क है। हरिसिंह का मेरे खेत पर कब्जा है और नाम है दर्ज मेरा तो हरिसिंह को दावा दायर करना होगा। अपील होगी। सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा सकता है। कोई लीगल प्वाइंट होगा नहीं। गरीब आदमी जीत नहीं पाता। १३६५ में जिसका नाम दर्ज था वह मालिक, लेकिन उसमें भी १०० नुक्स निकले। सर्वे एन्ड रेकार्ड आपरेसंस में हमारे आफिसर्स मौके पर जाकर नाम दर्ज कर देंगे तो उसकी अपील का सवाल नहीं और इस परह आर्डिनरी कोर्स में वह मुकदमेबाजी और परेशानियों से बच जाता है। तो ये सर्वे एन्ड रेकार्ड आपरेशंश हो रहे हैं कब्जे को मौके के मुताल्लिक मुरत्तिब कराने के लिये । तो समझ में नहीं आता कि किसी आदमी को इसमें क्या एतराज हो सकता है जिसका कब्जा हो उसको कब्जा मान लेने में।

उपाध्यक्ष महोदय, एक्सटेंशन के मुताल्लिक जो मैंने अर्ज किया था वह यह कि हर आदमी की जो गैरमजरुआ जमीन पड़ी हुई है उसके ऊपर कब्जा कर सकता था। फिर उसके मुताल्लिक यह है कि जब तक सेटिलमेंट मालगुजारी नहीं ली जायगी न हो जाय। सन् १८ में एक बीसी, दो बीसी जमीन दबा ली। मालगुजारी नहीं दे रहे हैं तीस साल हो गये। तो और जगह ऐसा नहीं है। मैदान में ऐसा नहीं है। यह एक राइट है पहाड़ में। यह सब इसलिये हुआ कि बीच-बीच में वहां रेकार्ड एंड सर्वे आपरेशंस नहीं हो पाते थे। एक सेटिलमेंट हुआ। दूसरा सेटिलमेंट ८० या ९० साल के बाद हुआ। इस बीच में जिसने जितना कब्जा कर लिया उस पर मालगुजारी नहीं दी लेकिन अब मालगुजारी देनी होगी, उस जमींन पर मालगुजारी लगेगी।

तीसरे यह कि उसको चाहे जितना छिपा कर कहने की कोशिश की जाय १८६२ में रस्सी से नाप हुई थी, जो कि रोप सर्वे कहलाता है। १८९० में फिर सर्वे हुआ और उसमें लिखा हुआ है कि इसमें ५० फीसदी से १०० फीसदी तक गलतियां हैं।

[श्री चरणसिंह]

एक एकड़ जमीन है लेकिन रस्सी से नाप करके आधा एकड़ लिखा हुआ है। तो अब प्लैन टेबिल सर्वे होगा। सेटिलमेंट कमिश्नर का कहना है कि इसमें ४० फीसदी रकबा कम लिखा हुआ है। चौदह बीसी पर कब्जा है तो १० बीसी लिखा हुआ है। तो चार बीसी यह ज्यादा हुआ और जो एक्सटेंशन कर लिया वह अलग। न ४० फीसदी से ऊपर मालगुजारी है और न जो एक्सटेंशन कर लिया उस पर मालगुजारी है। उपाध्यक्ष महोदय, सेटिलमेंट सूबे भर में जहां हुआ हमेशा मालगुजारी बढ़ी। लेकिन हमें सेटिलमेंट नहीं करना है मालगुजारी बढ़ाने के अलावा और काम कर रहे हैं। लेकिन मालगुजारी के रेट नहीं बढ़ा रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट पूरी तरह एंटाइटिल्ड थी कि रेट बढ़ाये।

श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी गढ़वाल)--रेट पहले से ज्यादा थे।

श्री चरणसिंह--दस आने, बारह आने बीसी। मैं तीनों जिलों के लिए कह रहा हूं। टेहरी में भी बहुत कम हैं रेट। कहा जाता है कि हमें ८० रु० भी एकड़ की आमदनी होती रही है सीरतान से। डू यू वांट टु हैव इट बोथ वेज टिल परपिटचुटी। दोनों बातें मालगुजारी कम और अधिया या तिहाई पर जिंसी लगान मिलता रहे जो कि १०० या ८० रुपया फी एकड़ पड़ता है। मेरे जो मित्र पहाड़ से आये हैं वह इसकी तसदीक करेंगे कि बीस गुना, पचास गुना, अस्सी गुना, सौ गुना तक मालगुजारी का लगान पड़ता रहा जो अब तक सीरतान देते रहे। मतलब यह है कि चूंकि मालगुजारी कम है लगान ज्यादा मिलता है लिहाजा यह कोई वजह नहीं होगी कि सीरतान को हम अधिकार क्यों न दें, बल्कि यह कि सीरतान को अधिकार मिलने चाहिए और बिलकुल मिलने चाहिये। और गवर्नमेंट जस्टीफाइड होगी कि मालगुजारी भी बढ़ाये। लेकिन हमने तय किया है कि मालगुजारी का रेट नहीं बढ़ायेंगे। अगर दस आने, बारह आने एकड़ है तो वह रहेगा। जो मैंने और डिफरेंसिएशन किया और मैदानी इलाके के लैण्ड रेवेन्यू के मुकाबले में एक कंसेशन है कि मालगुजारी नहीं बढ़ाएंगे, वरना जो मालगुजारी और जिलों में है, सारे सूबे में है, उसके हिसाब से अगर यह मालगुजारी बढ़ायी जाय तो कहीं २ रु०, डेढ़ रुपया एकड़ पड़े। माननीय जगमोहनसिंह जी का खयाल है, और मुमकिन है कि उनका ख्याल सही हो, क्योंकि पहाड़ के मामलात से उस तरह वाकिफ नहीं हूं, लेकिन जो वाकिफ हैं जो रेवेन्यू ऐडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं कम से कम में यह मानूंगा कि माननीय जगमोहन सिंह जी जितना वाकिफ हैं उतना वह जरूर होंगे। किदवाई साहब कुछ भी कहते रहे हों। मैं तो फैक्ट्स ऐंड फीगर्स की बात कहता हूं। सेटिलमेंट कमिश्नर मौजूद हैं। रेवेन्यू आपरेशंस के मुताल्लिक मैंने शिकायतें सुनी थीं इसीलिए मैंने उनको बुला लिया और यह मौका दिया कि जो मेरे मित्र शंका समाधान करना चाहें वह कर लें। जितने भी नोट्स, फाइल्स, रेकार्ड्स मैंने देखे और मेरी जो बात उन दोस्तों से हुई जो इस बिल से नाखुश हैं उन्होंने यह दलीलें दी हैं कि हमको ८० रु० फी एकड़ मिलता है और बारह आने, १४ आने फीगर्स अब तक मालगुजारी की रही हैं। तो मालगुजारी बढ़ सकती है। लेकिन खैर बढ़े या न बढ़े हमने तय किया है कि मालगुजारी नहीं बढ़ायेंगे। रेट वहीं रहेंगे। लेकिन जो अन असेस्ड लैंड्स हैं उनके लिये कोई माकूल बात नहीं है कि जो अब तक मालगुजारी नहीं देते रहे हैं वह मालगुजारी न दे चाहे वह पुराना ही रेट क्यों न हो। कम से कम पुरना रेट तो दें। सेटिलमेंट के लिए यह है कि सीरतान का नाम दर्ज हो जाय और अनअसेस्ड लैंड्स जो हैं एक्सटेंशन वाले और जिनकी नाम कम लिखी हुई है उन पर असेसमेंट होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अर्ज किया यह मसला कोई बहुत बड़ा नहीं था। लेकिन जब भूमि व्यवस्था को एक समान करना है और फिर पहाड़ के हजारों, लाखों आदमियों की जिन्दगी पर असर पड़ता है, पुरानी भूमि व्यवस्था को मिटाना ही है।

उसको हमें मिटाना ही है। यह बात जरूर है कि कुछ कंडीशन्स पेक्यूलियर हों लेकिन जो मैदान में लैंड टैन्योर था वही वहां है। इन शब्दों के साथ मैं फिर अपना प्रस्ताव माननीय सदन के सामने पेश करता हूं और प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष, मैंने अब राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया तो कुमायूं प्रदेश के अन्दर जो सीरतानों की समस्या थी उसे लेकर के ही हम राजनीतिक अखाड़े में उतरे और हम सब का एक नारा जो उस वक्त सन् १९३० में बुलन्द करते थे वह था कि जमींन का जोतने वाला जमीन का मालिक होगा। उसकी पूर्ति आज हुई है और मैं समझता हूं कि कुमायूं प्रदेश के लिये स्वराज्य आज से आया है, इसके पहले कभी नहीं आया। मैं उपाध्यक्ष महोदय, क्या कहूं। बहुत ज्यादा तो मुझे इस पर कहना नहीं है क्योंकि हमारे माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से इस सबजेक्ट का अध्ययन किया है शायद ही हममें से किसी ने उतना किया हो। हमारे यहां के वकील लोग जो आजकल अदालतों में इसका काम करते हैं उन्होंने भी इसका इतना अध्ययन न किया हो। मैं तो आज यह कहने के लिये तैयार हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। यह बिल इतना साफ है, इस बिल में सारी चीजें पूरी हो गई हैं, सिवाय इसके कि इसमें थोड़े से चन्द डिफैक्ट्स हैं जिनको हम संशोधनों के द्वारा यहां सदन में पूरा कर सकते हैं। और अगर माननीय मंत्री जी इस बात की जिद्द करते हैं कि सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, वह कहेंगे तो फार्मल रिजोल्यूशन भी दे दूंगा, तो मैं मंत्री जी से अवश्य प्रार्थना करूंगा...

श्री उपाध्यक्ष:—क्या माननीय सदस्य मंत्री जी के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं?

श्री मदनमोहन उपाध्याय—उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका तो समर्थन करता हूं लेकिन जो दूसरा सुझाव दिया है कि इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाय उसका विरोध करता हूं। मेरे थोड़े अमेंडमेंट्स हैं, थोड़े सुझाव हैं, लेकिन जिन उद्देश्यों के लिए इस बिल को सदन के सामने लाया गया है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं ही नहीं इधर के और उधर के तमाम मेम्बरान जितने भी बैठे हुए हैं, इसका स्वागत करेंगे क्योंकि आज पहली मर्तबा इस विधान सभा के अन्दर कुमायूं के काश्तकारों की भलाई के लिए एक कानून लाया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, जब स्वराज्य की लड़ाई सन् १९३० से हमने लड़ी तब से इसकी चर्चा है। सन् १९३७ में जब कांग्रेस मिनिस्ट्री आयी उस वक्त से कुमायूं के लिये कानून बनाने के लिये एक कमेटी बनाई गई लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा वह कमेटी कभी काम नहीं कर पायी और कुमायूं का कानून वैसा ही पड़ा रहा गया। कुमायूं के लिये जो कमेटी बनी सन् १९३७ में। उसके बाद देश में आन्दोलन हुआ, असेम्बली छोड़ना पड़ी। सन् १९४६ में फिर असेम्बली का चुनाव हुआ और उस समय फिर से कुमायूं कानून की चर्चा की गई। सन् १९४६ से ५२ तक कुमायूं का कानून नहीं बना। फिर सन् १९५२ में जब चुनाव हुआ तब से और आज तक इस बात की हमने कोशिश की कि कुमायूं का कानून बनना चाहिये, वहां के किसानों को हक मिलना चाहिये। आज होता है, कल होता है। और अब यह आखिरी साल जब हमारा आ रहा है तब यह कुमायूं का कानून हमारे सामने पेश किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो ठीक है देर आये दुरुस्त आये, हमें इस बात का मलाल नहीं है ज्यादा। लेकिन जिस बात की चर्चा हमारे माननीय मंत्री जी ने की है, मंत्री जी ने हमारी ओर इशारा किया। हमारे पर्वतीय प्रदेश के जो अखबारात निकलते हैं उनकी ओर इशारा करके यह कहा कि लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं और वह क्यों विरोध कर रहे हैं यह जानना चाहते थे माननीय मन्त्री जी। उसी को बताने के लिए मैं आज इस सदन के सामने खड़ा हुआ हूं।

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां के जितने अखबारात हैं थोड़े ही हैं, बहुत ज्यादा तो हैं नहीं, दो तीन हैं वह सारे वेस्टेड इंटरेस्ट्स जो हमारे यहां के हैं वह उसको कंट्रोल करते हैं। उन्हीं के अखबार हैं वह। उपाध्यक्ष महोदय, खुद बेचारे नहीं कह सकते हैं क्योंकि कोई सोशलिस्ट है, कोई प्रजासोशलिस्ट है, कोई कांग्रेसी है, कोई कम्युनिस्ट। उपाध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे यही एक ऐसा बिल है जिसमें हमारे अल्मोड़े के कम्युनिस्ट भाई भी विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हीं की जमीनें सीरतानों के पास हैं और आज जा रही हैं। झारखंडे राय जी इस वक्त यहां नहीं हैं। मेरा तो सजेशन होगा अगर सेलेक्ट कमेटी में जाने की बात हुई तो कम्यूनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधियों को भी उस सेलेक्ट कमेटी में जरूर रखा जाय ताकि अल्मोड़े जिले के कम्यूनिस्ट भाइयों की राय उसमें आ जायगी। (एक आवाज) अब मैं माननीय नारायणदत्त जी को कैसे कहूं। वह तो खुद बोल सकते हैं। वह तो मेम्बर हैं यहां पर और मुझे आशा है कि वह भी कभी इस बिल का विरोध नहीं करेंगे। हां इसकी खामियां जो हैं उनको अवश्य बतायेंगे। और मैं तो यही समझता हूं कि इस हाउस का कोई भी मेम्बर जो पर्वतीय प्रदेश से यहां आया है और जो सचमुच यह समझता है कि हम अपने इलाके का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनमें शायद ही कोई ऐसा सदस्य हो जो कि इसका विरोध करें। कोई इसका विरोध नहीं कर सकता, जिसको वहां का प्रतिनिधित्व करना है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बड़ा भारी टेस्ट है हमारे लिए। आज तो सबको आजमाना है। आज सबके इज्म का पता लग जायगा, कम्यूनिज्म, गान्धीज्म, कांग्रेसिज्म और जितने इज्म्स हैं उन सबका पता लग जायगा।

जहां तक इसे उद्देश्यों का ताल्लुक है कोई इसका विरोध नहीं करेगा और अगर माननीय मन्त्री जी हमारी दो एक बातों को मान लें जो कि सेंटीमेंटल हैं तो इसके सेलेक्ट कमेटी में जाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। अब ये अखबार वाले या कम्यूनिस्ट क्यों खिलाफ हैं यह जानना चाहेंगे माननीय मन्त्री जी। इसलिए खिलाफ हैं कि अखबार इनके हैं, पालिटीशियंश इनके हैं, कान्फरेंसेज में चले जाते हैं, प्रस्ताव पास करा देते हैं। उनको यह पता नहीं कि किसान की हालत क्या है। अखबार में छप जाता है। और वही अखबार माननीय मन्त्री जी के पास जाते हैं। यही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को रोकने के लिये कहीं कहा जाता है कि सेंटिलमेंट न हो, सेटिलमेंट खराब है, कहीं कुछ कहा जाता है यहां तक कोशिश की जा रही है कि यह एलेक्शन अगर किसी तरह निकल जाता तो फिर अगले पांच साल के लिए यह बिल भी टल जाता। और मैंने यह सुना कि जब असेम्बली के मेम्बरान के ऊपर कोई असर नहीं हुआ वेस्टेड इन्टरेस्ट्स का तो अब कोशिश की गई दिल्ली में पार्लियामेंट के मेम्बरों के पास और मैंने एक अखबार में पढ़ा कि दिल्ली के पार्लियामेंट के मेम्बरों ने एक तार दे रखा है सरकार को कि इस बिल पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। इसे मुल्तवी कर देना चाहिए थोड़े दिनों के लिए। आप इससे सब अन्दाज लगा सकते हैं उपाध्यक्ष महोदय, कि यह देर क्यों की जा रही है, इस बिल के लाने में. इसमें जल्दी क्यों नहीं की जाती, कितने दुख की बात है कि रोड़े लगा रहे हैं फिर सेलेक्ट कमेटी की क्या जरूरत है। हम इस हाउस के अन्दर पास करें। दो दिन बैठें। अमेंडमेंट्स हम दें और माननीय मन्त्री जी उन अमेंडमेंट्स को स्वीकार कर लें। हमारे सब भाई कुमायूं के जितने भी मेम्बर हैं शायद ही कोई ऐसा मेम्बर हो जो कि माननीय मन्त्री जी की इन बातों को मानता हो, हम उनके साथ हैं और मैं उनको आगाह करता हूं इस बात के लिए कि अगर सेलेक्ट कमेटी बैठे भी उपाध्यक्ष महोदय, तो सात दिन के अन्दर सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आ जानी चाहिए ताकि २२ को जब हम बैठे तो इसी कानून के ऊपर बहस हो। नहीं तो फिर डिलेइंग टैक्टिस चलेगी। बड़ी मुश्किल से तो टेनेंसी ला इतने दिनों बाद आया और उसके बाद जब आया तो तमाम अखबारों ने इसका विरोध किया। ऐसा मालूम होता है कि न जाने कितनी भारी मुसीबत पहाड़ के लोगों के लिए लायी जा रही है।

अब उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पास बहुत से रिप्रिजेंटेशन्स लोगों के आये हैं और एक बड़ा इंटरेस्टिंग आया है। एक साहब ने हमको लिखा है कि जब आपने विडोज को राइट्स दिये हैं मैं समझता हूं माननीय मन्त्री जी मेरी तरफ ध्यान दे ही रहे होंगे---वह कहते हैं कि जब आपने विडोज को राइट्स दिये हैं जमीन को लगान पर उठाने के तो विडोअर्स का भी ख्याल आपको रखना चाहिए। उनको भी कुछ औरतें चाहिए झाड़ू वगैरह लगाने के लिए। उन साहब ने लिख कर हमें दे रखा है। मेरी राय तो यह है कि अगर दो चार बातें माननीय मंत्री जी मान लें जो सेंटीमेंट्स की बातें हैं तो किसी को कोई विरोध नहीं होगा। बिल बहुत अच्छा बना है, कौन कह सकता है कि खराब बना है। हम इसका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि मंत्री जी कहीं ढीले ढाले न हो जायं क्योंकि पार्लियामेंट के मेम्बर्स बराबर उन पर जोर डाल रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनके तार देने से काम नहीं चलेगा। उनको यहां बुलाया जाय और उनकी भी बातें सुनी जायं।

श्री चरणसिंह---हमने ५-६ ऐम० पीज को चिट्ठी लिखी है कि उन्हें अपने सजेशन्स देना हों तो दे दें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---यह तो आपने बहुत अच्छा किया। पता नहीं किस-किस के तार हैं अगर वह अपनी राय भेज देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। पहले वह हम लोगों को कंविन्स करें बाद को मंत्री जी को राय भेजें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतनी बातें कह कर और ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा और आशा करूंगा कि वह इस बिल को जल्द से जल्द पास कराने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे।

अब उपाध्यक्ष महोदय, आप भी कुमायूं प्रदेश के रहने वाले हैं और हमसे आप बहुत ज्यादा तजुर्बेकार हैं। आपके नेतृत्व में हमने इन किसानों के लिये अनेकों लड़ाइयां लड़ी हैं और मेरा ही इलाका ऐसा है कि जहां यह सब से ज्यादा है। जहां सयाने लोग हैं और अगर मैं उनके पुराने अत्याचारों का वर्णन करूं तो मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा और लोग कहेंगे कि ऐक्जाज रेशन है। खैर अब वह दिन चले गये।

माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि वहां के लोग ८० गुना तक लगान लेते थे। मंत्री जी यदि आज भी मेरे साथ चलने को तैयार हों तो मैं उनको दिखा सकता हूं कि आज भी यह लोग सौ गुना लगान ले रहे हैं। एक जमींदार मेरे यहां है अल्मोड़े में। वह १/२० एकड़ पर सीरतानों से १६ सेर गेहूं और ३२ सेर धान लेता है यानी एक एकड़ में ८ मन गेहूं और १६ मन धान लेता है। पीठ पर लाद कर वह लाता है और तीन दिन तक हिस्सेदार के घर रहना पड़ता है, और उसके मकान की पुताई वगैरा करता है, कील वगैरा ठोक जाता है और घुइयां के पत्ते काट कर बड़ियां बना जाता है। फिर कहीं जा कर उसको छुट्टी दी जाती है कि इसी तरह से दूसरी फसल पर लाना।

आज भी यही हालत है, आप भी जानते हैं, कोई छिपी हुई बात नहीं है उपाध्यक्ष महोदय, आप भी हिस्सेदार हैं, मैं भी हूं और सब लेते हैं। जब कानून बनेगा तब छोड़ेंगे। जब यह कानून बना तो मेरे अपने इलाके में लोगों से कहा कि तुम अपनी जमीन सीरतानों को दे दो और मार्केट वैल्यू अगर २०० रुपये है तो मैं १०० रुपये तक दिला सकता हूं। जो सीरतान पैसा देने के लिये तैयार थे। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है? कोई कानून ऐसा बन सकता है? हम लड़ेंगे और यह करेंगे वह करेंगे। इसलिये वे जमीन बेंचने के लिये तैयार नहीं हुये। जो कुछ समझदार लोग थे उन्होंने एक दूसरा रास्ता अख्तियार किया। क्योंकि जब जमीन बेचने की जरूरत होती है तो सरकार से इजाजत लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो उन्हें डर इस बात का हुआ कि हम जमीन बेंच नहीं सकेंगे। इसलिये उन्होंने यह किया कि जितने हिस्सेदार लोग थे और उनके जो सीरतान लोग थे उनको खायकर बना दिया और उनसे वही १०० रुपये ले लिये। खायकर का जो टीका होता है वह लेकर के जमीन उनके नाम पर कर दिया। तो अगर इस बिल में कोई कमी है तो वह यह है कि इसमें यह भी प्राविजन होना चाहिये कि इन दो सालों के अन्दर जिन्होंने इस तरह से जमीन बेंची है

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

वह नल ऐड वायड डिक्लेयर होनी चाहिये। और जितने रुपये इस सिलसिले में दिये गये हैं वे सब रजिस्ट्रार के यहां दर्ज हैं। माननीय मंत्री जी इसका पता लगवा लें कि इस बीच कितने खायकर हुये हैं और कितना रुपया वसूल किया है। तो जो खायकर को कम्पेन्सेशन देने की बात इस बिल में कही गयी है यह मेरी समझ में नहीं आया। उनको किस चीज का कम्पेन्सेशन ? उन्होंने जमीन की कीमत तो पहले ले ली और उसके बाद जो एडिशनल रेवेन्यू देते हैं उसका थोड़ा हिस्सा सरकार को जमा करते हैं और थोड़ा हिस्सा जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, अपने पास रख लेते हैं। इसलिये खायकर को कोई कम्पेन्सेशन देने का प्रश्न पैदा नहीं होता। और अगर पैदा होता भी है तो एक टाइम खायकर वाला जमीन के लिये मिल सकता है तब १५ टाइम्स सीरतान दे तब वह भूमिधर हो सकता है। ऐसा हो सकता है। यह नहीं कि खायकर को १२ टाइम्स और सीरतान को १५ टाइम्स देना पड़े। लेकिन जिन जमीनों पर खायकरी राइट्स दे दिये गये हैं उन पर किसी हिस्सेदार ने किसी को खायकर आजतक नहीं बनाया है। पुरानी गलती से रह गये हों तो यह दूसरी बात है। उपाध्यक्ष महोदय, आज वही वेस्टेड इंटरेस्ट्स नौकरियों पर हैं, वही वकालत करते हैं, शहरों में वही रहते हैं, धान का पौदा कैसा होता है यह नहीं देखा है, लड़के उन्हीं के पढ़ते हैं और वह किसान जिसके लड़के हल जोतने में रह गये, जो आगे बढ़ नहीं सकते, जिसके पास कोई जरिया नहीं है, वह जो कमाता है सब उनको दे आता है, उन किसानों को जब कुछ हक मिल रहा है तो वेस्टेड इंटरेस्ट्स उसका विरोध करते हैं, कांग्रेस के अखबारों से करते हैं और कांग्रेस कमेटियों में करते हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो नहीं सकती है।

श्री चरणसिंह--सभी राजनीतिक दलों ने विरोध किया है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--मुझे नहीं मालूम।

श्री चरणसिंह--आप ही ने कहा कि कम्युनिस्ट विरोध करते हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--कम्युनिस्ट की बात तो ठीक कही लेकिन मैं तो पी० एस० पी० का बोल ही रहा हूं और राजनारायण जी, सोशलिस्ट पार्टी के बोलेंगे ही। तो परख तो यहां पर बोलने की है कि कौन चाहता है वहां के किसानों की भलाई।

उपाध्यक्ष महोदय, कहा यह जाता है कि पहाड़ की परिस्थिति ऐसी है कि थोड़ी जमीन है, गुजर नहीं होती इसलिये नौकरी करते हैं। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। लेकिन यह हमारी बदकिस्मती है, अगर मैं इसको कहूं, क्योंकि यह बात छिपी हुई नहीं है कि हमारे सारे कुमायूं डिवीजन में अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल और टेहरी में--खेती का सारा काम औरतें करती हैं। यह बड़े दु:ख की बात है, लेकिन जो असलियत है उसमें छिपाने की कोई बात नहीं है। मर्द तो सिर्फ हल जोतते हैं और इसके अलावा वह हुक्का पीते हैं, ताश खेलते हैं और दूकानों पर बैठ कर चाय पीते हैं। खेती का सारा काम महिलायें करती हैं। जो लोग शहरों में आये हैं उनकी मिसाल उपाध्यक्ष महोदय, आप ही बता दें कि जो यह दलील दिया करते हैं कि हम कमाई करने देश में चले आये हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वह साबित कर दें कि अगर एक परसेंट भी उनमें ऐसे आदमी हों जिनकी मातायें, बहनें और बीबियां घर पर न रहती हों और खेती का काम न देखती हों। सिर्फ जाड़ों में जब गेहूं की फसल का कोई काम नहीं होता है, अक्तूबर में गेहूं बोकर दिवाली के करीब वह लोग नीचे चले आते हैं और मार्च में फिर ऊपर चले जाते हैं, पहाड़ों पर फसल काटने के लिये। शायद ही कोई ऐसी फेमिली जो ऐसा न करती हो। फौज वालों को जरूर रियायत दे दी गई है लेकिन हमारे यहां तो फौज वालों की औरतें भी घर पर ही हैं। जमीन ज्यादा होती है तो तीन, तीन शादियां हो जाती हैं और वह औरतें सब मिल कर खेती का काम देखती हैं। तो यह हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन यह प्लीं लेना और इस बिल पर कोई रियायत मांगना मेरी समझ

में यह बात नहीं आयी। सब नौकरी बाहर करते हैं और सभी लोगों की औरतें घर पर हैं और अगर हमारी हालत ऐसी है कि हम अपने बाल बच्चों को लखनऊ में लाकर रख सकते हैं और वहां पर जो हमारी जमीन पड़ी हुई है उसको हम अपने काम में नहीं ला रहे हैं तो वह लोग जो उस जमीन से अपनी जिन्दगी बसर कर रहे हैं उनको क्या आप चाहते हैं कि वह उससे बाहर निकाल दिये जायं? यही इंसाफ है? इसलिये हम चाहते हैं कि जो लोग इस तरह की रियायतें मांगते हैं वह न दी जायं और जो जमीन पर काबिज हैं उन्हें मालिक बना दिया जावे।

अब एक नया प्राविजन, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें किया गया कि हिस्सेदार को यह अधिकार दे दिया गया है कि अगर वह वापस अपने गांव में जाना चाहता है जहां पर कि उसकी जमीन है तो वहां पर वह २.५ नाली जमीन को एक्वायर कर सकता है सीरतान से। पर मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आया यह उन्हीं के लिये लागू होता है कि जिनके वहां पर मकान है या वह उन लोगों के लिये भी लागू होगा कि जिनके वहां पर कोई मकान ही नहीं है। माननीय मंत्री जी इसको जरा नोट कर लें और जबाव साफ-साफ दे दें। हां, मकान से मिली हुई जमीन का मामला जरूर है। मकान अगर हिस्सेदार का है तो जमीन अवश्य मिलनी चाहिये। इसमें मैं माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि मान लीजिये हम लखनऊ में यहां नौकरी करने आये हैं। कोई हमारा वहां मकान है ही, तो जहां तक उसके आस-पास, हम लोग उसे बाड़ा कहते हैं, उसका ताल्लुक है वह हमारा होना चाहिये उसके बारे में हमारे कुछ माननीय सदस्य और भी सजेशन देंगे। इसके लिये बहुत ज्यादा जमीन होना अच्छा नहीं है। वह गलत बात हो जायगी, लेकिन थोड़ा देने के लिये, जैसा कि प्राविजन किया जा रहा है वह किया जाय तो मैं समझता हूं कि उसमें हमारा विरोध न होगा। फिर उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि हम सब लोग जमीन कमाने वाले हैं। हम लोग सब खेती करने वाले हैं, सब हिस्सेदार भी हैं, सीरतान भी हैं और हम लोगों का जो घर में काम होता है तो अपने हलइये को रख लेते हैं। हमारे यहां तो ऐसा रिवाज भी है। बहुत सी जाति वाले हल नहीं जोतते इसलिये उन्होंने अपने यहां हलइये को रख लिया है और जो लोग यहां नौकरी पर आते हैं उनका काम अधिकतर यह हलइये ही करते हैं और बाकी काम महिलायें करती हैं। हलइये को हम थोड़ी सी जमीन दे देते हैं। क्योंकि उससे वह खुश होता है और उसके अलावा जिस दिन हलिया हमारा खेत जोतता है उसे खाना खिलाते हैं, सुबह से शाम तक, और जो फसल होती है उसमें से हमारे यहां एक सूपा होता है वह गेहूं की फसल में से एक सूपा और धान की फसल का दो सूपा उसे दिया जाता है। यह उसके अलावा उजरत के रूप में उसको देते हैं। इसके अलावा उसको कुछ जमीन भी दी हुई है जो कि हल जोतने के एवज में है। यह पता नहीं है कि उसकी डेफिनिशन सीरतान में माननीय मंत्री जी ने यहां पर पर दी है या नहीं। स्टावल्स मैनुअल में वह डेफिनिशन नहीं है लेकिन उसमें हलिये को बिलकुल स्लेव बताया गया है। जो जमीन उस हलिये को दी गयी है उसको कौन सी जमीन कही जाय? सीरतानी कही जाय या दूसरी कही जाय, क्योंकि अगर उस हलिये ने काम बन्द कर दिया तो फिर दूसरा हलिया रखना पड़ेगा। होना तो यही चाहिये कि जो जमीन का मालिक है उसको खुद जोतनी चाहिये लेकिन एक प्रथा बहुत दिनों से चली आ रही है और यह हलिये उसी तरह से जोतते चले आ रहे हैं। तो उन हलिये को अगर कोई जमीन दी जाय तो उस जमीन को सीरतानी जमीन कही जाय या क्या कहा जाय वह इस स्टावल्स मैनुअल में तो है नहीं। इसलिये इस बिल में थोड़ी सी कमी है और वह यह है कि इस सीरतान की डेफिनिशन साफ नहीं दी गयी है कि सीरतान किसको कहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रार्थना करूंगा कि हमारे लिये यह बड़ा मुश्किल हो गया है। अब यह जो कानून बन रहा है तो उसमें तीन किताबों को देखना पड़ता है। कहीं जमींदारी अबालीशन को देखना पड़ता है, कुमायूं मैनुअल को देखना पड़ता है और स्टावेल्स मैनुअल को देखना पड़ता है तो मेरी उनसे यह प्रार्थना है कि किताब खरीदी तो जा सकती है लेकिन अपने लोगों का वक्त बच सकता है कि एक किताब इस तरह की लिख दी जाय जिसमें वह सब बातें

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

हों और उन बातों को इस किताब में लिख दिया जाय जैसे कि इस बिल की दफा २६ में लिखा है कि कुछ लोग अपने पास जमीन रख सकते हैं। विधवा रख सकती है, फौजवाले रख सकते हैं और जमींदारी अबालीशन ऐक्ट की १५७ धारा के अन्दर लिखा है तो इन सब किताबों को इधर उधर से लाने में दिक्कत होती है। अगर यहां पर रख दिया जाय कि ये खास-खास चीजें हैं और सीरतान की यह डेफीनिशन है और किन-किन लोगों की जमीन सीरतानी में दी जा सकती है तो हमको यह तीन किताब जो ढूढ़नी पड़ती हैं उनके ढूढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमको मालूम होगा तो हम गांवों में लोगों को जाकर बतायेंगे कि तुमको इतना हक मिलेगा। इसलिये हमारी मंत्री जी से प्रार्थना है कि लोगों की सहूलियत के लिये उनको पूरे तरीके से मालूम हो जाय कि कितना हक उनको मिलेगा अगर इसी कानून में कंसोलिडेट करके रख दिया जाय तो बहुत अच्छी बात होगी। फिर हमारी समझ में यह आ जायगा कि सीरतानी जमीन कौन है और स्टावेल्स मैनुअल में उसके लिये क्या कहा गया है और इसके समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मालूम नहीं कि साझी जमीन को आप सीरतान में गिनते हैं या नहीं जैसा कि बहुत सी जगहों पर अधिये सीरतान होते हैं उनकी जमीन को सीरतान जमीन में गिना जाय या नहीं या क्या होगा? इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इन सब बातों की सफाई करने की कृपा करें कि सीरतान कौन होगा ताकि उसके मुताबिक हमारे लोग उसको जान सकें।

जहां तक खायकर के राइट्स एक्वायर करने का सवाल है उसकी बाबत हमने कहा कि अक्वायर किये जायं लेकिन जो कम्पन्सेशन का प्रश्न है उसको भी समझ लिया जाय कि उन हिस्सेदारों को कम्पन्सेशन दिया जाय या नहीं। हमारे बहुत से दोस्त पहाड़ी प्रदेश से आये हैं वह कहेंगे कि कोई कम्पेन्सेशन देने की बात नहीं होनी चाहिये बल्कि इसका सवाल ही पदा नहीं होता। लेकिन मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि कम्पेन्सेशन देने का मैं हामी नहीं हूं। लेकिन ला में अगर कोई डिफैक्ट रह जाय और कान्सटीट्यूशन के मुताबिक मुआवजा दिया जाना जरूरी हो कोई डेफिनिशन न रखी जाय तो कोर्ट में चैलेंज होने पर यह सारी चीज खत्म हो सकती है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि कम्पेन्सेशन जरूरी हो तो जरूर दिया जाय। वह हमारा कम्पन्सेशन इतना थोड़ा है कि शायद उसको कोई लेना भी पसन्द नहीं करेगा। जो लोग अपनी जमीन को १०० पर भी बेचने को तैयार न थे वह दो ढाई रुपया उनको दिया जायगा तो शायद वह लेने के लिये ही तैयार न होंगे तो बजाय इसके कि इसे लेंगे वे कहीं इस कानून को चैलेन्ज करने की बात करेंगे। उसके लिये हमसे यह न कहा जाय कि तुमने कल मुआवजा न देने की बात कहीं थी, तो ऐसा हो गया। इसके लिये खायकर और सीरतान के मुआविजे में लम्बी चौड़ी डिसपैरिटी होनी चाहिये यह नहीं है कि १२ गुना खायकरी के लिये दिया जावे तो सीरतान १५ गुना दें। मैं तो चाहता हूं कि कुमायूं डिवीजन का हरएक माननीय सदस्य इस पर प्रकाश डाले। हमारे माननीय नेगी जी हैं जो बड़े भारी जमींदार, जमींदार तो मैं नहीं कहूंगा, हिस्सेदार हैं, नरेंद्रसिंह जी हैं, वह भी बहुत बड़े हिस्सेदार हैं और हम भी हैं, सभी की जमीन जायगी। मैं समझता हूं कि उससे किसी को मलाल नहीं होना चाहिये। लेकिन यह कहना कि आज हमारे यहां किसी तरह की ज्यादती नहीं हो रही है, गलत बात है। अल्मोड़ा शहर में जितने लोग हैं वे सब वहां वकालत करते हैं और उधर उनकी जमीनें हैं। उन लोगों ने अपनी जमीनों को खायकरी में बेंच डाला है। अगर सीरतानों ने कहा कि उनके पास रुपया नहीं है तो कहा कि अच्छा, तुम प्रोनोट ही लिख दो चूंकि वकील हैं, होशियार हैं और जानते हैं कानून को कि वैसे कुछ मिलने वाला नहीं है। यदि सचमुच माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि इस बिल का फायदा हमारे उन किसानों को मिले तो ऐसा कोई प्रावीजन इसमें होना चाहिये कि अक्टूबर ५४ से ही ले लीजिये जबकि वह कुमायूं वाला कानून बना है, उसके बाद से सब ट्रांजैक्शंस नल ऐंड वायड होंगे। तभी इस कानून का लाभ हमारे यहां के लोग उठा सकते हैं।

मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि वैसे तो हम लोगों के बारे में अखबार में काफी लिखा गया कि अपोजीशन हो रहा है और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपने भी जो बयान अखबार में निकाला उससे और हमारे बयान से कुछ सफाई हो गई। बाकी सफाई सदन के सामने होगी। हमारे कुमायूं डिवीजन का कोई भी प्रतिनिधि आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो यह कहे कि वह इस बिल का विरोध करता है। यह प्रौपैगेंडा है। मेरे पास भी दूसरा अखबार है जिसमें लिखा है कि जनता द्वारा जमींदारी विनाश अधिनियम का स्वागत सरकार गैरहाजिर हिस्सेदार का शिकार न बने, स्वार्थों के लिये सिद्धांत की हत्या। तो ऐसे अखबारों की भी चर्चा होनी चाहिये जिन्होंने यह कहा कि यह सरकार स्वार्थी लोगों का शिकार न बन जावे कि पंडित गोविन्द बल्लभ पंत जिस अखबार के पैट्रन हैं और जो कांग्रेस के अखबारों में ऐसा लिखा है, और बिल का विरोध किया है मुझे इसका दुख है। हमने इस सदन में कहा था कि टिलर आफ दि लैन्ड इज़ दि मास्टर आफ दि सायल (tiller of the land is the master of the soil) लेकिन आज हम थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि सारे हिस्सेदार मुझसे नाराज होंगे। जब कांग्रेस ने जमींदारी का विनाश किया था तो क्या उसने यह नहीं सोचा था कि जमींदार उससे नाराज होंगे और वे इलेक्शन के लिये रुपया दे सकते थे? लेकिन कांग्रेस ने एक सिद्धांत को लेकर जमींदारी अबालीशन का प्रश्न यहां पर रखा और उसे पास किया। फिर आज कांग्रेस क्यों कुमायूं के बिल का विरोध कर रही है? हम परवाह करें हिस्सेदार की इसलिये कि वह अगले चुनाव में हमारी मदद नहीं करेंगे? उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत धारणा है। हम तो वह करते हैं जो ठीक समझते हैं और जिसको गलत समझते हैं उसका विरोध करते हैं। आज मैं यह साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि आज तक ऐसा अच्छा कानून थोड़े बहुत डिफेक्ट्स के होते हुये नहीं बना। यह आज तक के कानूनों में सबसे अच्छा है।

एक प्रचार हमारे यहां किया कि ९० प्रतिशत हिस्सेदार भूमिधर हो जायेंगे। भूमिधर के मानी यह समझे गये कि हमारे पास जो जमींदारी हिस्सा है उसको सरकार लेकर विनाश कर फिर से दे रही है। यानी भूमिहरन कानून यह है। ऐसा गलत प्रचार किया जाता है, उपाध्यक्ष महोदय, वेस्टेड इंटरेस्ट्स की तरफ से। यह केवल सेंटीमेंट्स की बात है इसलिये माननीय मंत्री जी को हमारी बात मान लेनी चाहिये और भूमिधर के स्थान पर हिस्सेदार रहने देना चाहिये, लोगों से परचे पर दस्तखत कराये गये। ऊपर क्या लिखा है कुछ भी नहीं बताया गया और जबरदस्ती लोगों के दस्तखत और अंगूठे लगवाये गये। उपाध्यक्ष महोदय, जो चिट्ठियां मेरे पास आयी हैं उनको पढ़ कर हंसी आती है। एक साहब का तो यह कहना है कि १५ एकड़ तक न छूइये। हमारे यहां एक मीटिंग हुई उसमें हमारे गोविन्द बल्लभ पंत जी भी थे उसके अलावा वहां सब वेस्टेड इंटरेस्ट वाले बैठे हुये थे। एक ने कहा कि १५ एकड़ तक, दूसरे ने कहा कि १० एकड़ तक छूना भी न चाहिये। हिस्सेदार के पास १५ एकड़ तक रहने दी जाय और उसके बाद जो बचे वह सीरतान को दे दी जाय। हमारे यहां २२ लाख की आबादी है उसमें १०० ऐसे होंगे जिनके पास १५ एकड़ जमीन होगी। अगर १५ एकड़ को माफ कर दिया जाय और उसे छुआ न जाय तो फिर कानून बनाने की आवश्यकता क्या है? एक साहब और भी होशियार हैं और उनका एक सजेशन मेरे पास बाकायदा आया है। आप कहते हैं कि लैन्ड रेवेन्यू की बात करिये और ५० रुपया तक लैन्ड रेवेन्यू को टच नहीं कीजिये और उसके बाद टच कीजिये। इसको मैं आपको पढ़कर सुनाये देता हूं।

"Maximum ceiling if any for recorded *khudkasht* may be Rs.50 revenue paying land and for future purchase Rs.25 revenue paying land . Their would be equal to protected land."

१२ आना एक एकड़ का लगान है तो अगर ५० रु० रेवेन्यू पेंडिग रक्खा जाय तो ६६ एकड़ आता है। आप का कहना है कि उस हद तक तो टच ही न कीजिये। नैनीताल में कुमायूं की कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, मैं तो कहता हूं कि ऐसी मीटिंग में अगर कोई कांग्रेसी भाई थे भी जिसमें यह

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

कहा गया कि १५ एकड़ तक न छुआ जावे तो उनको वहां से उठ कर चले आना चाहिये था। लेकिन आज तो कांग्रेस कमेटी से कई प्रस्ताव पास होते हैं कि कानून ग़लत है। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया जो अखबारों में छपा हुआ है। अल्मोड़ा में भी एक कांग्रेस सम्मेलन हुआ उसमें भी सारे वेस्टेड इंटरेस्ट्स थे उसमें भी यही प्रस्ताव पास हुआ और उसके ड्राफ्ट करने वाले सब वही लोग थे। वहां के इलाके में बड़ा ग़लत प्रचार कर रक्खा है। यही वैस्टेड इंटरैस्ट दिल्ली में पहुंच गये, पार्लियामेंट के मेम्बरों के पास पहुंच गये और उन्होंने तार दे दिया कि बिल को रोक दिया जाय। वे भी तो पार्लियामेंट के मेम्बर हैं, जिम्मेदारी उनकी भी है, उनको भी जनता ने छांटा है। हमको लिख देते कि यह अमेंडमेंट कर दो, हमको सजेशन दे देते लेकिन वे कैसे हमसे कह सकते हैं? वे खुद इस बात को जानते हैं। उनका यह कहने का सिर्फ एक उद्देश्य है, मैं माननीय मंत्री जी को आगाह करना चाहता हूं और इस हाउस को आगाह करना चाहता हूं कि यह सारी तिकड़मबाजी इसलिये है कि अभी कानून न बने तो इस एलेक्शन में काम बन जाय फिर बाद वाले एलेक्शन में देखा जायगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसी महीने के अन्दर यानी अगस्त में ही यह बिल पास हो जाय, इसमें कोई देर न होनी चाहिये। हम तो और भी जल्दी चाहते थे। माननीय मंत्री जी परसों भी बैठ जायं, हम शनिश्चर को भी बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसको जल्दी पास कर दें क्योंकि देहली से दौड़धूप होने लगेगी और ऐसा न हो कि माननीय मंत्री जी भी वहां के हवाई चक्कर में पड़ जायं और सब गड़बड़ हो जाय। श्रीमन्, हम डरते हैं क्योंकि आखिर कांग्रेस हुकूमत है, कांग्रेस वाले प्रचार कर रहे हैं, एलेक्शन आ रहा है, फिर उनको पैसे कहां से मिलेंगे, क्योंकि अल्मोड़ा में कांग्रेस तो कुछ है नहीं। रुपये के जरिये से वहां वोट खरीदेंगे, जमींदार लोग पैसा देंगे, शहर वालों से रुपया लेंगे और देहात के गरीबों से वोट खरीदेंगे। उनसे कहा जाता है कि तुमको भी स्वराज्य का फायदा मिलेगा और तुम हिस्सेदार बन जाओगे। श्रीमन्, हिस्सेदार भी जिले में तैयार हैं, लेकिन उनको ठगने के लिये यह सब तिकड़म किये जा रहे हैं। हममें से इस बिल की खिलाफत करने के लिये कोई भी तैयार नहीं होगा। मेरे इतना कहने के बाद जिस किसी में आधी जान होगी कहने की वह भी अब नहीं कह सकेगा, यह आप विश्वास रखें, इसलिये कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय भी वहां की सब परिस्थितियों को जानते हैं, माननीय नेगी जी भी जानते हैं, हम सब तैयार हैं जमीन देने को लेकिन इसकी डैफिनिशन भूमिधर के बजाय हिस्सेदार ही रहने दीजिये क्योंकि यह सब की यूनैनिमस राय है। हमको आप हिस्सेदार रहने दीजिये, राइट्स चाहे भूमिधर के ही रहें इसकी हमें कोई परवाह नहीं। लेकिन यह सेंटिमेंटल चीज़ है जिसको आप मान लें और ब्रैकेट में भूमिधर भी लिख दें।

इसके अलावा साल भर का जो आपने टाइम दे दिया है कि इस बीच में असामी हिस्सेदार से मिल कर एग्रीमेंट कर ले तो साल भर में तो हिस्सेदार उसको पीस डालेगा। अब आप बतलायें कि वह किसान से १० रुपये के बदले में १०० रु० तक लेगा और कहेगा कि अभी कुछ होता जाता नहीं है तुम हमको इतना रुपया दे दो, तुम इसके मालिक बन जाओगे। जिनका काम प्रचार करने का है वे इसी तरह का प्रचार करते फिरते हैं। मैं तो अकेला हूं, क्या बताऊं, जिले में कहां तक जाऊं? आप इस तरह से मौक़ा देते हैं तो इस तरह से उनको ज्यादा रुपया मिलेगा। इस कानून का जो फायदा होना चाहिये था लोगों को वह नहीं हो पायेगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि आउट राइट इस चीज को कर दें कि सारे सीरतान भूमिधर हो गये। मैं कहता हूं हूं कि मैं स्वयं सारे सीरतानों के पास जाऊंगा और कहूंगा कि तुम लोग गवर्नमेंट के पास चलो, तुम जमीन के मालिक हो गये और पन्द्रह गुना क्या मैं बीस गुना तक पैसा उनसे दिलाने के लिये राजी कर लूंगा। लेकिन आप एक साल का समय दे कर सीरतानों को चक्कर में न डालें। कब इसका नोटिफिकेशन होगा? एलेक्शन के पहले ही करा दीजियेगा क्योंकि बाद में काफी झगड़ा हो जायगा। हमारे पी० सी० जोशी जो हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं उनका कहना है कि इस कानून की वजह से पहाड़ के लोगों में खुखुड़ी चल जायगी, क्योंकि श्री पूरन चन्द्र जोशी जी व उनके नातेदारों की सारी जमीन सीरतानों के पास है और वह औरों

के हाथ में चली जायगी। कम्युनिस्ट पार्टी को क्या कहें, कुमायूं में कांग्रेस पार्टी का हाल देखिये। कम्युनिस्ट पार्टी का हाल देखिये, (अवाजें, आप की क्या हालत है ?) हमारी हालत तो बहुत अच्छी है। जो बात मैं साफ समझता हूं उसे कह देता हूं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ सकती कि जो मैं कह रहा हूं उस का कोई विरोध करे। क्योंकि कांग्रेस वाले तो बदनाम हैं। कांग्रेसी एम० एल० एज० को मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कांग्रेस कमेटी की शिकायत कर रहा हूं जिन्होंने, बिल के विरोध में प्रस्ताव पास किये हैं। कांग्रेस एम० एल० एज० जो हैं वे तो हमारे साथी हैं वे हमारा समर्थन करते हैं। जहां तक हरिजनों की बात है कोई यह न समझे कि शिल्पकारों का हमें ख्याल नहीं है काफ़ी बड़ी तादाद सीरतानों में शिल्पकारी की है। जब मैं अपने यहां जाता हूं तो वहां के सारे शिल्पकार जो गरीब हैं वे इस बात को हमसे पूछते हैं कि महाराज, आप बहुत दिनों से कहते हैं कि हम हिस्सेदार हो जायेंगे, आखिर बतलाइये कि हम लोग हिस्सेदार कब होंगे ? सन् ३० से सुनते थे कि वह हिस्सेदार बनाये जायेंगे लेकिन अभी तक कांग्रेस वाले कुछ नहीं कर सके और हमेशा कहते रहते हैं कि अब होता है, अब होता है और अब अगले चुनाव तक हो जायगा। ये कांग्रेस वाले उन गरीबों से कह देते हैं कि भाई तुम्हारा कानून यह इसी वजह से नहीं बन रहा है कि तुम्हारे यहां से सोशलिस्ट चुन कर असेम्बली में आ गया है। मेरी तो इसमें बड़ी मुसीबत है। मैंने कह दिया कि भाई अब की बार कांग्रेस वाले को ही वोट देना और तब तुम्हारा कानून शायद जल्दी से बन जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को इस चीज के लिये बगैर बधाई दिये नहीं रह सकता कि उन्होंने हमारी इस समस्या को बढ़ने की, उसको समझने की कोशिश की और वहां की तकलीफ को देखने की कोशिश की और वह ऐसा शायद इसलिये कर पाये क्योंकि वह भी एक किसान के लड़के हैं और वह उसकी तकलीफ का शायद ठीक से अन्दाजा लगा सकते हैं और इसी वजह से यह बिल आया है। हम से ऐसा बिल ड्राफ्ट करने को कहा जाय तो हम भी नहीं कर सकते थे लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत से इसको तैयार किया है। वैसे तो कोई भी हक अपने सीरतानों को देने वाला नहीं है हमारे भी घर वालों ने कहा कि अब यह हक़ जाने वाले तो हैं ही वैसे ही दे दो, लेकिन मैंने कहा कि अभी से क्यों दे दें, अभी तो हमें उनसे रुपया मिलता ही है, अभी तो वह रोज़ आते हैं और सेवा हमारी करते हैं, जो दिन चले ठीक है, जब हम कानून से यह सब उनसे ले सकते हैं तो अभी और लेते रहें जब तक कानून से कर सकते हैं। इसलिये कानून का बनना जल्दी जरूरी है लोग बेदखल नहीं कर सकते थे फिर भी लोग बेदखल उनको कर रहे हैं, लेकिन उन बेचारों की अदालत में भी कोई मदद नहीं करता। अल्मोड़े के ही इनटीरियर में व मेरे यहां पाली पछाऊं में ही लोग यकीन नहीं करते, अल्मोड़ा के कांग्रेस वाले तो यही कहते हैं कि मदनमोहन कुछ नहीं करता। कांग्रेस वाले मेरे खिलाफ हैं और वह बेकार का आदमी है, यह कहने में अधिक रहते हैं। लेकिन मैं श्रीमन्, उपाध्यक्ष जी आप से निवेदन करूंगा कि कांग्रेस कमेटियों को आप भी वहां जाकर समझा दें कि वह भी वहां चल कर इस काम को करें बजाय इसके कि मुझे गालियां भी दें। अब एलेक्शन्स के दिन आ गए, अच्छा है बेचारे यह जो खायकर और सीरतान हैं उनको लाभ होगा तो वह ज्यादा वोट कांग्रेस को देने को तैयार होंगे फिर क्यों कांग्रेस विरोध करती हैं ? इसलिये जरा शीघ्रता की जाय, हम बिल का स्वागत करते हैं और इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर भेजा ही जाय तो ७ दिन के अन्दर वहां जा कर यह वापस आये। हम रात दिन इसके लिये बैठने को तैयार हैं ताकि यह वहां से आकर जल्द ही यहां से और कौंसिल से पास हो कर कानून बन लागू हो जाय। मैं आशा करता हूं कि सभी साथी इस बिल का समर्थन करेंगे और इसको जल्दी पास कराने में मदद करेंगे।

श्री सत्यसिंह राणा—उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा विषय सदन में प्रस्तुत है कि जिसके विषय में न तो राजनैतिक अखाड़ा होने की और न किसी प्रकार की भावना या आवेश की जरूरत है। असल में प्रश्न यह है कि कुमायूं जमींदारी जिसका कि विनाश इस बिल के द्वारा होने वाला है वह सही है या गलत है। यह बात सभी को मान्य है कि माल मंत्री जी ने कुमायूं की टिन्योर्स को जानने के लिये बहुत मेहनत की है और उन्होंने बड़े एलेबोरेट ढंग से, जो उसको न समझते हों उनको समझाने के दृष्टिकोण से सारी बातें सदन में कहीं, इसके लिये हम

[श्री सत्य सिंह राणा]

उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। हम जहां तक देखते हैं कि कमायूं में बहुत लम्बे अर्से से कोई कोडिफाइड कानून नहीं था, जहां पर कि कस्टम्स के आधार पर ही प्रणाली बनी हुई थी और उन्हीं के आधार पर टीन्योर्स स्थापित थीं। उसके सम्बन्ध में उन्होंने अब यह विधेयक ला कर समस्या हल की, उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। इसके साथ ही साथ इस विधेयक के द्वारा जो उनका इरादा है कि कुमायूं में जो काश्तकारों का कमजोर तबका है उनको स्वत्व मिलें, अधिकार मिलें उसका भी हम स्वागत करते हैं। सिर्फ प्रश्न चन्द बातों का है और वह बात वही है जो कि माननीय उपाध्यक्ष जी ने अभी इस सदन के सामने रक्खीं, आया जमींदारी एबोलीशन कुमायूं में होना चाहिये या नहीं? आया हिस्सेदारी उसमें रहना चाहिये या नहीं। मैं इस सदन को अच्छी तरह यह बता देना चाहता हूं कि मेरा कोई प्रतिगामी खयाल नहीं है। मैं इस बात के लिये तैयार हूं जैसा कि मैंने कहा कि जो काश्तकारों का कमजोर तबका है उसको पूरे अधिकार दिये जायं, यहां तक कि संविधान अगर इस बात की इजाजत दे दे तो बिना कम्पेनसेशन के भी। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आती है कि वह यह कि जब से इस असेम्बली के पहाड़ के मेम्बरों ने बैठ कर १६ अक्तूबर, १९५४ को इस बात पर विचार किया तब से कुमायूं डिवीजन के लोगों में एक किस्म का एजीटेशन पैदा हो गया और उस एजीटेशन का आधार मैं यह सही नहीं मानता कि जो हिस्सेदार हैं वे अपने लिये बड़ी-बड़ी सीलिंग जमीन की फिक्स करें--उससे मैं सहमत नहीं। मैं यह देखता हूं कि आखिर कुमायूं में सभी प्रजा सोशलिस्ट वाले नहीं हैं--सभी कांग्रेस वाले नहीं हैं-- सभी कम्युनिस्ट नहीं हैं। सवाल हिस्सेदारों का है वहां। उनकी इस मांग के तहत में कौन सी बात है कि वह जमींदारी एबोलिशन नहीं चाहते बल्कि हिस्सेदारी को रिटेन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि गरीब तबकों को भी हिस्सेदार बना दें। तो फिर बात क्या है, इस पर हमें गौर करना है।

इसमें न तो राजनीतिक की बात है और जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा न इसमें कोई जिद की बात है। वह तैयार हैं इस बात के लिये कि अगर ऐसी कोई बात हो तो वह सिलेक्ट कमेटी के सामने जा कर तस्फिया हो जाय। जमींदारी अगर कुमायूं डिवीजन में किसी सूरत में है तो उसका अबोलीशन जरूर करना चाहिये। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। लेकिन अगर नहीं है तो फिर जमींदार का नाम ले कर उसको एबोलिश करना कोई अक्लमन्दी की बात नहीं होगी। प्लेन्स में जमींदारों की परिभाषा दूसरी है लेकिन हमारे यहां जमींदार की परिभाषा स्टावेल मैनुअल में है। उस परिभाषा में जमींदार वह जमींदार नहीं है जो कि इंटरमीडियरी था और मनमानी कर लेता था। जमींदार की डेफिनीशन यह है:

"An agriculturist, a villager (not being a Crahman or a Com); the term has none of the connotation that it has in the plains; it is often used with a flavour of contempt, a mere villager."

तो जमींदारी लफ्ज की हमारे यहां जो सिगनिफिकेन्स हैं वह काश्तकार से है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और कोरम पूरा होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री सत्यसिंह राणा--तो श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि जमींदार की जो परिभाषा प्लेन्स में है पहाड़ में उसकी परिभाषा उसके बिलकुल विपरीत है। फिर प्लेन्स में माननीय माल मंत्री ने जैसा कहा जमींदार के पास जो जमीन थी उसकी लगभग ८६ फीसदी काश्तकारों के पास थी और उस पर जो लैंड रेवेन्यु एसेस थी उसे लेते थे और न मालूम मनमाना कितना काश्तकारों से रेन्ट लिया करते थे। लेकिन हमें देखना है कि आया यह व्यवस्था इन्टरमीडियरी की जिसको जमींदार कहते हैं हमारे कुमायूं डिवीजन में है या नहीं। जो फीगर्स माननीय माल मंत्री जी ने दी हैं और जो मैनुअल हमारे सामने है और जो थोड़ी बहुत जानकारी हमें है। हम कह सकते हैं कि वहां पर जमींदारी सिस्टम है ही नहीं। अगर जमीं-

दारी सिस्टम नहीं है तो जमींदारी अबालिशन इसका नाम देना गलत होगा। ऐसा मेरा ख्याल है। इस कानून में मैं सदन के सामने स्टावेल मैनुअल का कुछ हिस्सा पढ़ देना चाहता हूं। यह कहते हैं—

"In the most common type of village, however, we still find a proprietary body representing the original community of cultivators and thus often all of one caste and more or less inter-related. The village is parcelled out into small holdings (expressed in areas and not in fractions). In such villages the settlement is practically, a 'raiyatwari' on....."

आगे चल कर उन्होंने कहा है कि मैदान में जो जमींदारी है वैसी व्यवस्था यहां नहीं है और वह कहते हैं—

"There is thus very little 'zamindari' in the plain sense of the term, the term, pattidari' and 'bhaiyachara' are also unknown in the hills and the classification of proprietors under these heads or their sub-divi-sions would be only confusing."

आगे चल कर थोड़ा सा और कहते हैं—

"Mr. Batten in his Kumaun Settlement Report, paragraphs 20 and 21, discussed this point and gave a comparison of the hill proprietary interests with the pattidari and zamindari of the plains, remarking that the application of these classifications to Kumaun would be unnecessary and even mischievous."

तो इस सिलसिले में स्टावेल मैनुअल कहती है कि यह एक कन्फ्यूजन ही नहीं है बल्कि वह कहती है मुकाबला अनावश्यक है और मिस्चीवियस भी है। ऐसी सूरत में जो प्रोपराइटर्स के गांव हैं वह रायतवाड़ी सिस्टम से गवर्न होते हैं। सब गवर्नमेंट को डाइरेक्टली रेवेन्यु देते हैं। कुछ ऐसे गांव हैं जो कि माफीदारों और थोकदारों के हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी तहत में खायकर सीरतान हैं और हमारे माल मंत्री जी शायद इसी आधार पर कह रहे हैं कि वह प्रोपराइटर जिनकी तहत में ये लोग हैं शायद जमींदारी टाइप की कुछ क्वालिफिकेशन रखते हैं। मैनुअल से साफ है वे जमींदार नहीं हैं। इसलिये कि जितने भी इस किस्म के इंटरमीडियरी, थोकदार, प्रधान, सेना आदि से. वह कोई इस्टेट नहीं रखते थे बल्कि वह तो उनका आफिस था वर्क करने का। और उसके एवज में लैन्ड रेवेन्यु का कुछ हिस्सा या रेन्ट जो सेटिलमेंट में तय हो जाय उनको मिलता था। मैं तो यह समझा कि जिन लोगों ने इस बिल को फ्रेम किया है बावजूद मेहनत करने के भी उनका ध्यान प्लेन्स के जमींदारी अबालिशन ऐक्ट की तरफ ज्यादा रहा बजाय इसके कि पहाड़ की परिस्थिति को अच्छी तरह देखते और समझते ऐसी परिस्थिति में मेरा तो कहना यह है कि जमींदारी अबालिशन का सवाल इसमें उपस्थित नहीं होता।

अब मैं और थोड़े से आंकड़े भी आपके सामने प्रस्तुत करूं तो उससे और भी साफ हो जायगा, क्योंकि उन्हीं के आंकड़ों के मुताबिक जो कि गवर्नमेंट ने पिछली मर्तबा हम को दिये हैं वह यह कहते हैं कि ७२ प्रतिशत जमीन जो हैं वह हिस्सेदार कल्टीवेट करते हैं कुमायूं में, २१ प्रतिशत खायकर हैं, सात प्रतिशत सीरतान हैं जिसमें गूंठ और सदाव्रत भी सम्मिलित हैं। हैं। फिर कहते हैं कि ९५ प्रतिशत हिस्सेदार ऐसे हैं जो कि पांच रुपये से कम रेवेन्यू देते हैं यानी ऐवरेज निकालकर देखें तो हर एक हिस्सेदार लगभग डेढ़ रुपया रकम देता है और लगभग दो बीसी एवरेज जमीन कामाना हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—किस सन् के आंकड़े हैं?

श्री सत्यसिंह राणा—१६ अक्तूबर सन् १९५४ को हमारे सामने रखे गये। अगर ५० वर्ष पहले के सरकार ने दे दिये हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि अभी जो नैनीताल में सेटिलमेंट हो रहा है शायद १६,१७ गांवों के आंकड़े उनके पास आये उनका ख्याल है कि २०, २४ परसेंट सीरतान निकल रहे हैं। होगा। किन्हीं गांवों में

[श्री सत्यसिंह राणा]

सीरतान ज्यादा भी होते हैं और एक फ्रेक्शन में जहां पर उन्होंने सेटिलमेंट चलाया उसके आधार पर जनरेलाइज कर देना कि सारे कुमायूं डिवीजन में २४ परसेंट से बढ़कर ही सीरतान होंगे, मैं नहीं मानता। थोड़ा सा जिक्र टेहरी का भी मंत्री जी ने किया वहां पर महाराजा साहब थे उनकी तहत में जिस तरह से आपके हिस्सेदार हैं वहां मौरूसीदार थे और फिर उसके नीचे खायकर और सीरतान तो जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि सीरतान और खायकर जो विद कमपेन्सेशन और विद आउट कमपेन्सेशन उन्हें हिस्सेदार बनाइये यह कुछ गलत न होगा। जमींदारी एबोलिशन ऐक्ट, १९५० को आप दुनिया भर के संशोधनों और परिवर्तनों या परिवर्तनों के साथ उसको कुमायूं में फिट न करें। यह तो इस तरह से हो जायगा "पुटिंग ए स्क्वायर पैग इन्टू ए राउन्ड होल।" और लोगों के जितने सेटिलमेंट्स हैं वह भी हल हो जाते हैं। मैंने थोड़ा सा पसन्द भी किया, लेकिन थोड़ा आश्चर्य भी हुआ। मंत्री जी ने कहा वह ऐसा इसलिये चाहते हैं कि वहां भी जमींदारी एबोलिशन हो। कोई माकूल बात नहीं होगी। वह चाहते हैं यूनीफार्मिटी हो। जरूर हो। अगर जैसा मंत्री जी ने कहा फोर्ड फाउन्डेशन का कोई आदमी यहां पर आ जाय और मंत्री जी से पूछे कि यहां पर क्यों जमींदारी एबालिशन हुयी और पहाड़ में हिस्सेदारी क्यों? तो मेरा ख्याल है सीधा सादा जवाब यह होगा वह मैदान है और वह पहाड़ है। वहां पर कभी जमींदारी थी ही नहीं .....

श्री चरणसिंह—जमींदार और हिस्सेदार में क्या फर्क है कानूनी?

श्री सत्यसिंह राणा—मैं बता रहा हूं इंटरमीडियरी हिस्सेदार नहीं है। मैंने बयान किया वह डायरेक्ट रेवेन्यू पे करता है और मैं यह भी अर्ज करता हूं कि आपके यहां जमींदार को सब-लेट करने का कोई अख्तियार नहीं है, हिस्सेदार को पूरा अख्तियार है सब-लेट करने का यह तो डिफरेंस है ही। लेकिन इससे बड़ा यह है कि सेंटीमेंटल। उस जगह ऐग्जिस्ट ही नहीं करता जमींदारी सिस्टम तो उसको मानने में आपको क्या नुकसान है?

अब जैसे सीरतान का मसला है जो कि सबसे वीकेस्ट सेक्शन है। सीरतान की परिभाषा सभी जगह मिसलीडिंग है। सीरतान जैसा स्टौवल मैनुअल में है, सीरतान उसको कहते हैं जो सिरकी देता है, कैश में दे सकता है, काइन्ड में दे सकता है। आमतौर पर एक तिहाई आफ दी ग्रौस प्राड्यूस वह देगा। लेकिन इसमें जो आइडिया मेन है वह रेंट का है। हमारे टेहरी गढ़वाल में सीरतान जो है वह चाहे काइन्ड में हो, कैश में हो, रेंट देता है। टेहरी-गढ़वाल में जो भूमि सम्बन्धी नियम हैं उसके मुताबिक जिसको हल लगाने के लिये जमीन दी जाती है वह आदमी जिसको कि तिहाई पर या आधे पर जमीन दी जाती है वह आदमी सीरतान में नहीं आता। हमारे यहां तो टेहरी-गढ़वाल में यह कानून रायज है कि जो सीरतान है वह असामी फिक्स्ड रेट कैश या काइन्ड में देता रहे उसको फिर आगे एक अधिकार हो जाता है। अगर कोई असामी इन कैश और काइन्ड फिक्स्ड रेट जो है वह लगातार १२ साल तक देता जाय तो उसको खायकरी अधिकार मिल जाता है। वह शायद कुमायूं में नहीं है। वह आटोमेटिकली खायकर हो जाता है। तो यह सीरतान असामी का जो डेफिनीशन है बड़ा मिसलीडिंग है। नहीं जानता कि अब क्या डेफिनीशन सरकार की है। उसको क्लीअर तो करना ही पड़ेगा लेकिन जैसा स्टावेल में भी है साझी या ऐसे लोग सीरतान नहीं होते, सीरतान वह नहीं कहे जाते। मैंने सन् ५४ में जो एक मिसलेनियस बिल पास हुआ था उसको देखा। उसमें भी "टेनेंट इन्क्लूड्स ए सीरतान" इसका मतलब है कि कई किस्म के टेनेंट्स हैं। सीरतान उनमें से एक है। हम चाहते हैं कि जिनके पास इस किस्म की जमीन है कई वर्षों से जनरेशंस से है, उनको उनके हक से महरूम न किया जाय। लेकिन जब तक कि डेफीनीशन बिलकुल क्लीअर नहीं हो जाती किसी भी कोर्ट आफ़ ला में जाकर सारा मामला चैलेंज हो सकता है। तो जहां आप सीरतान को कुछ अधिकार देना चाहते हैं वहां उनके बारे में पहले क्लीअर तो हो जायं और श्रीमन्, एक अजीब बात मुझको यह भी जंची सीरतान के सम्बन्ध में कि हमारे यहां का सीरतान जो पिछले बन्दोबस्त में जो कि रेकर्डेड हैं और कुमायूं में भी जो सीरतान हैं उसमें मौरूसी सीरतान भी रेकर्डेड हैं और

मौरूसी सीरतान के तहत में कहा यह जाता है कि मौरूसी सीरतान वह हैं कि जिनका जनरेशंस से कब्जा है और किन्हीं वजहों से उनको नीचे कर दिया गया है, ऐसे सीरतानों में जो रेकर्डेड हैं और खायकरों में कौन सा अन्तर पड़ता है। कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिये और ऐसे सीरतानों को भी खायकरों के साथ भी भूमिधरी या हिस्सेदार के अधिकार मिल जाने चाहिये कोई वजह नहीं है कि उनको यह अधिकार न मिले। वह सीरतान हैं रेकर्डेड, वह बहुत पुराने सीरतान हैं। उनकी कमजोरी के कारण, उनकी गरीबी के कारण, उनको दबाया गया है। वह बहुत पुराने सीरतान हैं। इसलिये मेरा सुझाव यह होगा कि जहां आप खायकरों को यह मान लेते हैं कि उनको भूमिधरी या जो भी तय हो वह अधिकार दिये जायं उनके साथ ही साथ रेकर्डेड जो सीरतान हैं उनको भी उन्हीं के समकक्ष लाया जाय। बाकी किस्म के सीरतान के लिये सरकार को या तो यह तय करना पड़ेगा कि एनी सार्ट आफ आक्युपेंट वह सीरतान माना जाय। ठीक है। एक कानून बन जाय तो उसमें हम कभी नाराज नहीं होंगे। सबके लिये होगा वह कानून। सबको तसल्ली होगी इस बात से कि सब लोगों के लिये एक कानून तो होगा। बहरहाल इस सीरतान के मामले में काफी कन्फ्यूजन है। उसको ठीक कर लेना चाहिये।

अब श्रीमन्, मैं टेहरी गढ़वाल के बाबत थोड़ा सा अर्ज कर देना चाहता हूं। मैं यह नहीं जानता कि किसी बुरे ख्याल से ऐसा किया गया हो, लेकिन मैं यह समझता हूं कि जरा इनजस्टिस सा हुआ है टेहरी-गढ़वाल वालों के साथ और वह यह कि इस बिल में जहां खायकरों की डेफिनीशन है, जो बिल हमारे सामने प्रस्तुत है उसमें मौरूसीदारों को भी खायकर माना गया है। फार दी परपजेज आफ दिस बिल। क्यों माना गया है उनको हिस्सेदार क्यों नहीं माना गया है, यह सवाल है मेरा। हमारे यहां मौरूसीदार के वही राइट्स हैं, जो आपके प्रोप्राइटर्स को हैं कुमायूं में। सिर्फ यह है कि सेल विदाउट दी परमीशन आफ दी स्टेट नहीं कर सकते। लेकिन उससे हमें नुकसान नहीं हुआ। फायदा हुआ है। उस कानून की वजह से साहूकारों की जितनी डिग्रियां हुयीं इसके लिये प्रापर्टी के साथ भूमि अटैच नहीं हो पायीं और वह सेल नहीं हो पायीं। मैं चाहता तो यह हूं कि इस प्रकार की बन्दिश आप इस बिल के जरिये भी कर दें तो वहां के काश्तकारों के लिये बड़ी राहत मिल जायगी। नहीं तो होता क्या है? थोड़ी सी जमीन उनके पास होती है। साहूकारों से रुपया लेते हैं। २५ परसेंट ब्याज उनको देना पड़ता है। ऐसी हालत में बाद को जमीन बेचनी पड़ती है, इसलिये हम उसमें फायदा समझते हैं और इस प्रकार का रेस्ट्रिक्शन सब जगह हो तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम खाने के लिये तो जगह या भूमि बनी रहे।

अब मैं यह पूछना चाहता हूं कि प्रोप्राइटरी राइट्स और मौरूसीदार में क्या फर्क है? क्या उनको खायकर बनाया गया है? स्टावेल मैनुअल या जो हमको नोट दिया गया है उसमें यह है कि पहले सारा गढ़वाल एक राजा के तहत में था और जमीन महाराजा साहब की थी और उन्होंने जो जमीन दी थी और राजा साहब के हट जाने के बाद जो पुराने कल्टीवेटर्स थे ब्रिटिश रिजीम में वह हिस्सेदार हो गये। स्टौवेल ने कहा था कि ऐसा मान लिया गया है कि वही राजा साहब जो वहां गढ़वाल में राज्य करत थे उसी के वंशज यहां टेहरी में राज्य कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि जरा गौर करें कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। मैं यहां पर यह अर्ज कर रहा हूं कि जब राजा साहब का डाउनफाल हुआ तो ब्रिटिश रिजीम ने बड़ी उदारता के साथ कहा कि ओल्ड कल्टीवेटर्स को प्रोप्राइटरी राइट्स दिये जायं तो क्या हमारी सरकार जो प्रजातंत्र सरकार है ऐसा नहीं कर सकती थी कि अब टेहरी में भी प्रोप्राइटरी राइट्स को देती औटोक्रेटिक रिजीम में तो जो राजा होता है, जो रूलर होता है, वह प्रजा को तंग करने की कोशिश करता ही है। राजा साहब हिस्सेदार नहीं हैं तो स्टेट हिस्सेदार होगी उस सूरत में हम क्या हुये, अगर हम खायकर हुये तो इंटरमीडियरी कौन हुआ। आज राजा साहब लैन्ड लार्ड नहीं हैं। वह तो सिंगल परसन यानी राजा होने के कारण जबरदस्ती यह टाइटिल रखे हुये थे और जब उनके राइट्स खत्म किये जाते हैं तो क्या स्टेट लैन्ड लार्ड होनी चाहिये, जो आदमी स्टेट को डाइरेक्ट रेवेन्यू देता है वह प्रोप्राइटरी राइट्स रखने वाला होगा यानी प्रोप्राइटर

[श्री सत्यसिंह राणा]

होगा। अब हम राजा साहब को रेवेन्यू नहीं देते हैं स्टेट को देते हैं तो फिर हमें हक है कि हमें प्रोप्राइटरी राइट्स दिये जाने चाहिये। इसलिये हमारे अर्ज करने का मतलब यह है कि कि हमें जल्दी से जल्दी प्रोप्राइटरी राइट्स दिये जाने चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, अब इस विधेयक की अन्य बातों को देखें और इसको यहीं छोड़कर आगे चलें, इस विधेयक की धारा ४ का जो जिक्र किया गया है उसमें माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा है कि इस विधेयक में यह लिखा हुआ है कि जो खायकर हैं उनको भूमिधर बना दिया जायगा। और हिस्सेदार को कम्पेन्सेशन दिया जायगा बारह गुना आदि जो कुछ भी हो, और हम मौरूसी दार हैं। कितनी अजीबोगरीब बात है कि स्टेट हमारी लैन्ड लार्ड है, जमींदार है और वहां जो मौरूसीदार हैं, खायकर हो गये तो उनका कम्पेन्सेशन किसको दिया जायगा? यह पोजीशन टेहरी के मामले में, उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी एनामोलस है और इसका कोई हल नहीं निकल सकता है। ऐसी सूरत में मेरा ख्याल यह है कि और गवर्नमेंट से मेरी अर्ज है कि इसमें इस बात का अमेंडमेंट लाने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी कि जहां अब टेहरी का मौरूसीदार खायकर है वहां पर उन्हें भी प्रोप्राइटर माना जाय। यह बहुत सही होगा, इसमें गलती नहीं होगी।

अब एक बड़ा भारी प्रश्न हमारे सामने यह आता है कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने विधेयक के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव किये, अल्मोड़ा से, नैनीताल से, गढ़वाल से हमारी टेहरी से बहुत कम हुआ होगा, शायद ही किसी ने ऐसा प्रस्ताव कर दिया हो, किसी ने भी गवर्नमेंट के पास लिख कर विरोध में नहीं भेजा होगा जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि हम इसके प्रिंसिपल से पूरी तरह सहमत होते हैं। तो प्रश्न इस बात का है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हिस्सेदार का क्या गड़बड़ हो रहा है? इसलिये नहीं कि वह हिस्सेदार बनाये जायं या भूमिधर बनाये जायं बल्कि सही बात तो यह है कि कुछ लोग तो हैं गवर्नमेंट पोस्ट्स पर पहले से जो अपने परिवारों को लेकर नीचे रहते हैं, कुछ लोग हैं छोटी-मोटी गवर्नमेंट पोस्ट्स पर, जो अपने लड़कों की एजूकेशन के लिये यहां पर रहते हैं। तीसरा तबका मिलिटरी वालों को छोड़ कर वह है जैसे इंडियन सिविल सर्विस के लोग होते हैं वैसे ही हम उनको इंडियन कुकिंग सर्विस वाले कहते हैं। तो उनकी आड़ में यह खतरा जरूर है कि जब उनको थोड़ा सा भी अधिकार सबलेट करने का या साझीदारी रखने का नहीं है और अगर महज कब्जे की बुनियाद पर ही उनकी जमीन छूट जाती है तो वे तो कम से कम एक किस्म का डिपार्टमेंट समझते हैं। ठीक है, टिलर इज दि ओनर, होना भी यही चाहिये। लेकिन अगर उससे जमीन लेकर आप दूसरे को जिसे आप लैन्डलेस कहते हैं, दे देते हैं तो फिर प्रश्न यही आता है कि वह भी तो लैंडलेस हो जाता है। बैलेन्स तो वही रहा कोई फर्क नहीं पड़ा। पर्सनली मैं इस बात का हामी हूं कि जो टिलर हो उसको जमीन दी जाय। लेकिन ऐसी दिक्कतें हमारे सामने हैं। इसका मैं चाहता था कि कोई हल जरूर होना चाहिये।

श्री चरणसिंह---आपकी राय क्या है?

श्री सत्य सिंह राणा---मेरी राय यह है कि जहां तक मेरा ख्याल है जमींदारी एबालिशन ऐक्ट जो मैंने पढ़ा उसमें कुछ क्राप शेयरिंग वाली व्यवस्था की गयी है तो उसी प्रकार की व्यवस्था कुछ संशोधन के साथ वहां पर भी रहे। जो ऐबसेंन्टी लैन्ड लार्ड्स हैं, जिन्होंने कई वर्षों से छोड़ दिया है, उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन ऐसे लोग जो कुछ अर्से के लिये छोड़ जाते हैं और फिर घर आ जाते हैं उनके लिये क्राप शेयरिंग की वहां भी स्थान के अनुरूप कोई व्यवस्था इस बिल में हो जानी चाहिये। जैसा कि जमींदारी एबालिशन में आप लोगों ने किया है उन्हीं लाइन्स पर इसमें भी होना चाहिये।

इसके अलावा मैं अर्ज यह करूंगा कि कुमायूं में एक बड़ा भारी जमींदार असकोट का आता है। अगर वह हिस्सेदारी सिस्टम के अन्दर फिट नहीं होता है तो उसके लिये एक अलग बिल आ सकता है और वहां जमींदारी एबालिशन लागू कर दें। तराई, भावर, खाम वगैरह में तो आपने ऐसा किया है।

इसके अलावा माननीय मंत्री जी ने सेटिलमेंट के बारे में भी थोड़ा सा जिक्र किया। उन्होंने बताया कि बीसी रेट जो है वह वही कायम रहेगा, बढ़ेगा नहीं। मैं उसका कोई प्रतिवाद करना चाहता हूं। सिर्फ इतना अर्ज कर देता हूं कि टेहरी-गढ़वाल में शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां पर १२-१४ आने बीसी का रेट होगा। ऐसे तो गांव हैं जहां पर ४, साढ़े चार रुपये बीसी का रेट है। सेटिलमेंट के दौरान यह हुआ कि रेवेन्यू बढ़ाया जाय। रेवेन्यू बढ़ गया। आप देख लीजिये, मेरा ख्याल है कि ५, ६ लाख से ज्यादा नहीं है अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल में और हमारे टेहरी में ३ लाख १८ हजार है, केवल एक जिले में। सेटिलमेंट के सम्बन्ध में, यह जरूर है कि सर्वे हो रहा है और यह एक साइंटिफिक सर्वे है। यह एक साइंटिफिक और सही नकशा हमारे सामने रख देगा और भविष्य में, सेटिलमेंट के खत्म हो जाने के बाद, हमको आसानी से नकशे मिल सकेंगे और हमें अपने कामों में सहूलियत होगी।

इसलिये जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि अगर जनता के इस सेंटीमेंट को माननीय मंत्री जी मान लें कि बजाय जमींदारी एबालिशन के हिस्सेदारी सिस्टम रखा जाय और जो कमजोर तबका है उसको भी हिस्सेदार बनाया जाय तो मैं समझता हूं कि इससे कोई उज्र नहीं करेगा और यह बिल आज ही पास हो सकता है या इसमें और जो खामियां हैं और जिनके लिये कि वह समझते हैं कि यह प्रवर समिति में जाय तो उसके लिये मेरा यह सजेशन होगा कि यहां पर जितने भी गढ़वाल और कुमायूं से आने वाले एम० एल० एज० और एम० एल० सीज० हैं उनको बुला लिया जाय और उनकी राय ली जाय। क्योंकि जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि १६, अक्टूबर ५४ को बैठक हुयी थी, उसमें मेम्बर आये थे, उसमें राय हमारी यही थी कि भूमिधरी हो। लेकिन मेरी समझ में उस समय कोई डेफिनिट बात नहीं हुयी थी और अगर उस दिन मान भी लिया था और आज भी मानते हैं तो जनता के एजीटेशनों का ख्याल रखते हुये हमें इस पर दुबारा विचार करना चाहिये। उस एजीटेशन को क्यों रहने दिया जाय? इसलिये अपने सुझाव को रखते हुये मैं उनके साथ हूं, हमारा कोई प्रतिगामी मूव नहीं है, यह उनसे प्रार्थना करूंगा कि जनता को जितनी ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें मिल सकती हों वह मिलें, यही हमारी प्रार्थना है।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और हार्दिक बधाई देता हूं माननीय मंत्री महोदय को कि उन्होंने इस मौके पर इस सदन में इस बिल को पेश किया है। इस बिल की प्रतीक्षा हमारे कुमायूं की जनता को १९३७ में थी और वह आशा करती थी कि १९३९ में यह बिल आ जायगा। आज वही बिल यहां इस सदन में पेश हुआ है। इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को हार्दिक बधाई दिये बिना नहीं रह सकता। मैं चाहता हूं कि कुमायूं के जमींदारी विनाश बिल का, जो कि इस सदन में आज पेश हुआ है, जल्दी से जल्दी फैसला किया जाना चाहिये। वह पालिसी जो कि गुजिशता जमाने में बरती गयी है, सन् १९४९ में एक समिति कुमायूं रिफार्म्स और टेनेन्सी रिफार्म के लिये बनाई गयी और उस समिति की रिपोर्ट गवर्नमेंट तक पहुंची, लेकिन उस का पता नहीं चला कि क्या हुआ मैं समझता हूं कि इस तरह की पालिसी ठीक नहीं और आज कोई भी रिफार्म होने जा रहा हो या जमींदारी एबालिशन होने जा रहा हो उसको कोई ऐसी वजह नहीं है कि रोका जा सकता हो। मैंने देखा, बहुत से कुमायूं के भाई जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन है, वह इस बात का थ्रेट गवर्नमेंट को देते हैं कि पहाड़ के अन्दर खून खच्चर हो जायगा। हम इस थ्रेट्स से डरने वाले नहीं हैं। ऐसी थ्रेट्स को गवर्नमेंट ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, लेकिन अगर वह थ्रेट्स मेटिरियलाइज होती हैं तो गवर्नमेंट उसको मीट करने के लिये तैयार है

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

और गवर्नमेंट इस तरह से घुटने नहीं झुका सकती है। मैं तो उन लोगों को दावत देता हूं वह फ्री हैं, लिबर्टी पर हैं कि वह जैसा चाहें करें, अगर वह मुल्क के अन्दर बगावत करना चाहते हैं तो करें, लेकिन गवर्नमेंट हर ऐसी थ्रेट के सामने सिर नहीं झुका सकती और घुटने नहीं टेक सकती। मैं बताना चाहता हूं कि अगर चन्द लोगों के लिये ही इस मुल्क के अन्दर व्यवस्था होनी चाहिये और हो रही है तो इस बिल को रोक दिया जाय, लेकिन अगर आम जनता के लिये, उसकी सहूलियतों के लिये, उसके हक, हकूकों के लिये, उसके मकान के लिये, उसकी रोटी के लिये और इस मुल्क की तरक्की के लिये हमारी यह विधान-सभा व्यवस्था करने जा रही है तो कोई कारण नहीं है कि काश्तकारों के इस जमींदारी विनाश बिल को रोका जाय। जिनके तार आये हैं कि इस बिल को फिलहाल रोक दिया जाय, उन्होंने बुद्धि से काम नहीं लिया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम यहां पर जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके हितों पर परदा डालकर अगर कदम उठाना चाहते हैं तो हम वास्तव में जनता के हितों का प्रतिनिधित्व यहां पर नहीं करते हैं। अगर वह चाहते हैं कि हजारों और लाखों का गला काट कर सदन इस प्रकर का कानून पास करे कि वे लोग जनता के परिश्रम का फायदा उठाते रहें तो यह बात साफ हो जानी चाहिये। मैं कहता हूं कि कांग्रेस जमात किसी एक व्यक्ति के लाभ के लिये बनी नहीं है। कांग्रेस का मैनडेट आम जनता के लाभ और बहबूदी के लिये है। जिसने कसमें खायी हैं और जिनके लिये वायदा किया है उससे पीछे कांग्रेस हटने वाली नहीं है। जो कानून जनता के लाभ के लिये पहले आना चाहिये था उसमें इतनी देर क्यों की गयी? इसका हम कारण जानना चाहते हैं। वह कारण जनता में गुजिश्ता जमाने में रहा है। आज वह कारण नहीं है। अगर इसके लिये कोई कारण दिया जाय तो आज वह कारण नहीं माना जा सकता और वह एक बनावटी कारण है जिसके कारण बिल को पीछे रोक दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन को यह बताना चाहता हूं कि कुमायूं की जनता की यह आम धारणा है कि कुमायूं में जल्दी जमींदारी का विनाश किया जाना चाहिये। जो लोग इससे इन्टरेस्ट रखते हैं उनका कहना यह है कि कुमायूं के अन्दर जमींदारी का विनाश नहीं हो सकता है। क्योंकि वहां पर जमींदारी नहीं है। अगर कुमायूं में जमींदारी का विनाश नहीं होता है तो फिर उनकी जमींदारी का विनाश कैसे हो सकता है। उनका कहना है कि वहां पर जमींदारी नहीं है तो फिर विनाश कैसे हो। मैं यह समझता हूं इसमें कोई तथ्य नहीं है। अगर वहां पर कोई विनाश नहीं हो सकता है तो फिर आप खुश रहें और आप अपनी जमीन पर काबिज रहें। जो यह समझते हैं कि कुमायूं में जमींदारी का विनाश नहीं हो सकता है वह इस जमींदारी विनाश बिल को इनएफेक्टिव बनाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि इस बिल का कोई असर वहां पर न हो। क्या आप यह समझते हैं कि विधान सभा इस प्रकार का कानून पास करने की व्यवस्था करेगी जिस कानून का कोई असर हमारी सामाजिक व्यवस्था पर, हमारे लैण्ड टैन्योर पर न पड़े? हम चाहते हैं कि कानून ऐसा बनाया जाय जिसका असर हमारी कुमायूं की जनता पर और वहां के लैंड टैन्योर पर अवश्य पड़े, क्योंकि आज संसार में इस प्रकार के बुद्धिहीन लोग नहीं हो सकते जो इस प्रकार के कानून को बनाना चाहें कि जो कानून इफेक्टिव न हो और जिससे कोई असर आगे आने वाली हमारी व्यवस्था पर न हो सके। इसलिये जो यह समझते हैं कि उस कानून का असर नहीं होगा वे गलतफहमी में हैं। कानून ऐसा बनाया जाता है जिसका असर हो और उन लोगों के लिये व्यवस्था की जाती है जिनके लिये कोई व्यवस्था नहीं होती है। जो जमीन जोतते थे वह यह समझते थे कि जमीन तो हम जरूर जोतते हैं, लेकिन वह जमीन उनकी नहीं है। हम चाहते हैं कि वह जमीन उनको मिले। टिलर आफ दि स्वायल जमीन का मालिक होना चाहिये। जो उसको जोतते हैं उनके हाथ में वह जमीन चाहिये, यह उसी प्रिन्सिपुल के अनुसार है जो कि प्लेन में अपनाया गया है। इसकी क्या

वजह है कि उस प्रिंसिपुल को पहाड़ी प्रदेश के लिये स्वीकार न किया जाय? मैं कहता हूं कि हमारे देश के अन्दर बड़े-बड़े रजवाड़े खत्म कर दिये गये हैं, बड़ी-बड़ी जमींदारियां समाप्त कर दी गयीं। तो वहां के लिये क्यों न इस चीज को लागू किया जाय? जो इस बिल का विरोध करते हैं वह खुद उस जमाने में मौजूद थे मगर आज वह इसका विरोध करते हैं और जमींदारी का खत्म करना गुनाह समझते हैं। यदि यहां पर इस प्रकार से रजवाड़ों को समाप्त किया गया है तो फिर थोड़ी सी अपनी जमींन के लिये इस बिल का विरोध करना उचित नहीं है और इसका मुझे बड़ा खेद है।

(इस समय ४ बजकर १० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

अध्यक्ष महोदय, जिस सीरतान के लिये इतनी देर कर दी गयी है, वह चौपट हो गया है। आज उनके पास छोटे-छोटे खेत हैं और नाम मात्र के खेत हैं। अगर वहां पर वर्षा नहीं होती है तो उनके खेत सूख जाते हैं और अगर अधिक वर्षा हो जाती है तो वह खेत की सारी मिट्टी को बहाकर प्लेन में ले आती है और पत्थर ही वहां पर रह जाते हैं। उन छोटे-छोटे टुकड़ों को और छोटे-छोटे खेतों को लोग छोड़ने के लिये तैयार नहीं हैं। यह सदन उनकी भावनाओं की क़दर नहीं कर सकता, हमें दुख है कि मैं उन भावनाओं का ज़ोरदार विरोध करता हूं। जो मुल्क को उजाड़ कर नया संसार बनाना चाहते हैं उस छोटी सी जमींदारी को जैसा का तैसा रखना चाहते हैं, वे जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं। हमारे कुमायूं के जितने एम० एल० एज० हैं वे बतलावें कि कौन सी कुमायूं की जनता जमींदारी अबालीशन नहीं चाहती है या इस तरह की कोई अव्यवस्था कुमायूं में है या नहीं जिसे जल्द से जल्द समाप्त करना चाहिये? अगर कोई व्यक्ति यहां ऐसा है तो, अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि वह वहां की ग़रीब जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। वह अपना या अपने हिस्सेदारों का ही प्रतिनिधित्व करता है। अगर वह ग़रीब जनता के पेट में छुरा भोंकने के लिये तैयार है तो वह उस जनता का प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता है। हमारे कमिश्नर महोदय यहां मौजूद हैं, वह कुमायूं की लिटिगेशन की फाइल को देखें। कुमायूं की लिटिगेशन का तीन-चौथाई हिस्सा वहां के टैनेन्ट्स का है और अदालतों में उन लोगों को सदियों के लड़ने ने चौपट कर दिया है। हमारे पुराने लीडर हरगोविन्द पन्त जी की, जिनकी इतने अधिक सालों की हजारों रुपये साल की प्रैक्टिस है वह अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से उन गरीब लोगों का रुपया बरबाद किया गया है। हिस्सेदार उनसे नाजायज फायदा उठाते हैं। अगर हम यह सोचते हैं कि हमको हिस्सेदारों के वोट नहीं मिलेंगे तो हम लोग कभी भी वोट के लिये इस सदन में नहीं आये हैं। हम जनता का काम करेंगे, जो मुल्क को, हमारी जनता को, ताक़त पहुंचाकर तगड़ी से तगड़ी बनावें, हमारे देश के अन्दर सद्बुद्धि पैदा करे, हमारे देश को नया जीवन दे, ऐसा काम हम करेंगे। यह सोचकर कि जमींदारी विनाश की भावना से जनता हमको वोट नहीं देगी अगर कोई अपने सच्चे विचारों को इस सदन में नहीं रखता है तो मैं समझता हूं कि वह जनता के प्रति अविश्वास पैदा करता है।

मंत्री महोदय ने जो कुमायूं टैनेन्सी ला की कोने-कोने की छानबीन की है उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। मैंने भी कुमायूं की कोर्ट्स में २२ साल प्रैक्टिस की है और मैंने देखा कि बहुत सी बातें जो कभी भी हमारी नजरों में नहीं आईं, हमने माननीय मंत्री जी से उन बातों को सुना है और हमने समझा है कि वह कुमायूं की जनता की दिक्कतें हैं और उन्हें दूर किया जाना चाहिये। इन सदन का कर्तव्य है कि वह अपना पूरा-पूरा समर्थन इस बिल को दे। कोई भी बात अभी तक इस सदन में किसी वक्ता महोदय ने नहीं बताई है कि कोई भी ऐसी फंडामेन्टल बात कुमायूं की टैनेन्सी के मुताल्लिक रह गई है, जिसको इस बिल के जरिये हल करने का प्रयास न किया गया हो।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

क्या कोई ऐसी ग़लती है, कोई ऐसी फंडामेन्टल ग़लती है, जिसे अमेंडमेन्ट लाकर दुरुस्त नहीं किया जा सकता है ? अध्यक्ष महोदय, मैं दरख्वास्त कर देना चाहता हूं कि इन बातों को सफाई के साथ सदन में रख देना चाहिये। कि यह प्वाइंट्स हैं जो बिल के अन्दर फंडामेंटली ग़लत तरीके से रख दिये गये हैं। लेकिन अभी तक कोई भी इस तरह की बात इस सदन में नहीं कही गयी। केवल अपनी फेंसी को सेटिसफाई करने के लिये यह कहा गया है कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय, ताकि बिल को टाल दिया जाय और फिर हमेशा के लिये साल्व कर दिया है।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य इस बिल के सिद्धान्तों पर विचार करें। किसी व्यक्ति की मूर्ति को सामने रख कर वे आलोचना न करें।

श्री चन्द्रसिंह रावत--मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं केवल उस मनोवृत्ति पर अटैक कर रहा हूं जो सन् ३७ से लेकर आज तक चली आ रही है।

श्री अध्यक्ष--लेकिन इस विधेयक में किसी की मनोवृत्ति लिखी हुई नहीं है।

श्री चन्द्रसिंह रावत--इसलिये अध्यक्ष महोदय, जब तक इस प्रकार की ग्राउन्ड्स इस सदन में नहीं रक्खी जाती हैं, इस सदन को संतोष हो, इस प्रकार की कोई बात नहीं बतायी जाती है, तब तक इस बिल को प्रवर समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं है और अगर ऐसा ग्राउन्ड बता भी दिया जाता है कि प्रवर समिति में भेज दिया जाय तो उसको भेजा भी जा सकता है, लेकिन अभी तक इस सदन में जो भाषण हुए हैं उनसे ऐसी कोई बात नहीं मालूम होती है कि इस बिल में कोई ऐसी बात रह गयी हो जो इस बिल में न आयी हो, जो कि आनी चाहिये थी। अगर्चे उसमें कोई कमियां हैं तो उन्हें अमेंडमेंट के द्वारा दूर किया जा सकता है। इसलिये मेरा सदन के सम्मुख यह निवेदन है कि इस बिल को प्रवर समिति में न भेजा जाय। अगर भेजा भी जाय तो जल्द से जल्द वापिस आना चाहिये। ज्यादा से ज्यादा ७ दिन प्रवर समिति के लिये फैसला करने को रख दिये जायं।

हमारे यहां जो बहुत से सीरतान हैं उनका नाम कागजात में दर्ज नहीं है और सदियों से वे उन जमीनों पर काबिज हैं। उन्हीं जमीनों पर उनके मकानात हैं बाग बगीचे हैं, उन्हीं जमीनों को वे जोतते हैं। उनकी सारी चीजें उनके चक पर ही हैं। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि उन जमीनों को सीरतानों ने जोता, आबाद किया और बंजरों से उनको खेतों में तब्दील किया, लेकिन उनसे लेकर इन पंडितों ने अपनी बुद्धि के बल से उसका फायदा उठाया। जिले गढ़वाल में ३ बन्दोबस्त हो चुके हैं। लेकिन ये गरीब अपनी जमीनों पर नाम दर्ज किये जाने से वंचित किये गये। नाम दर्ज किये जाने के लिये आन दी स्पाट समरी इंक्वायरी होनी चाहिये और जिनका कब्जा सदियों से है उनका नाम पट्टी सीरतानी में दर्ज होना चाहिये तथा उनको भूमिधर बनाया जाना चाहिये और जो कुछ कंपेंसेशन यह सदन मुकर्रर कर दे वह ठीक होगा।

अब जहां तक उन जमीनों का ताल्लुक है जो कैसरेहिंद की थीं ये पढ़े-लिखे लोगों की थीं जो सरकारी नौकरी में थे। इसके बारे में अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि गांवों की जितनी कैसरे हिन्द जमीन थी उसके बेहतर से बेहतर टुकड़े को उन्होंने कई जिलों में जाकर और रुपया देकर अपने नाम बन्दोबस्त करा लिया और उसके ऊपर अपना जंगल खड़ा कर दिया। जो जंगल उनके नाम पर दर्ज नहीं थे, कहीं-कहीं उन लोगों ने गांव के लोगों को बहका कर एक दरख्वास्त देकर जो जंगल थे हिस्सेदारी दर्ज करा दी। इस प्रकार की ज्यादती विलेज कम्युनिटी के साथ चन्द लोगों न की जो या तो पढ़े लिखे थे या पैसे वाले थे। मैं समझता हूं कि इस तरह से उन लोगों ने सारे विलेज कम्युनिटी के गोचर भूमि को हड़प लिया। मैं चाहता हूं कि

इस बिल के अन्दर कोई ऐसा प्रोविजन होना चाहिये जिससे गांवों की वह पुरानी कैसरे हिन्द जमीन जिस पर कस्टमरी राइट्स आफ यूजेज विलेज कम्युनिटी का है उससे कोई वंचित न हो। चन्द व्यक्तियों ने बेईमानी करके पैसे रुपये के जोर से यह काम किया, लेकिन उस बेईमानी को परपैचुएट न कराया जाय और यह सदन अपनी स्वीकृति की मुहर उस बेईमानी को जायज करार देने में न लगावे, बल्कि इस प्रकार की बेईमानी जो जमींदारों ने की है उसके लिये यह सदन जो विलेज कम्युनिटी का कस्टमरी राइट्स और यूजेज है उसे रिवाइव करावे, उस राइट्स को फिर चालू करावे, उस कानून पर हमारे इस सदन की स्वीकृति मिलनी चाहिये।

अब मैं यह बतला देना चाहता हूं कि हमारे यहां जो खायकर हैं वे भी दो किस्म के हैं। एक पक्के खायकर कहे जाते हैं, दूसरे कच्चे खायकर कहलाते हैं। पक्के खायकर वे हैं जो फुल प्रोप्राइटर अपनी जमीन के थे, लेकिन वे पढ़े-लिखे नहीं थे। उनके पड़ोसी बड़े होशियार लोग थे जो केवल हिस्सेदार होते हुए भी उन लोगों को तो बन्दोबस्त में अंडर प्रोप्राइटर खायकर बनवा दिया और वे उनके अपने आप हिस्सेदार बन गये। मैं चाहता हूं कि उनके साथ जो ज्यादती और बेईमानी की गयी, उस बेईमानी को तरजीह न दी जाय। बल्कि उस बेईमानी को जब कि हम मुल्क के भाग्य का फैसला करने जा रहे हैं, जब मुल्क के साथ न्याय करने जा रहे हैं, तो जिनके साथ अन्याय किया गया है उनकी प्रोप्राइटरशिप न ली जाय बल्कि बिना कोई कम्पेन्सेशन हिस्सेदारों को दिये हुए उसका प्रोप्राइटर फिर उनको बना देना चाहिये। कच्चे खायकर वे कहलाते हैं, जिन्होंने बेईमानी करके अपनी खुदकाश्त चन्द खेतों की लिखा रखी है जो बस्ती से कई मील दूर हैं जहां पर कि उनके बाप दादे या उनके पुरखे उस जमीन को कभी आबाद नहीं किये और न आज तक उनके कब्जे में है, लेकिन बन्दोबस्त के कागज में तीन बन्दोबस्त से बराबर कब्जा लिखा चला आ रहा है। इसीलिये वे कच्चे खायकर कहलाते हैं। जब कोई खायकर बिना औलाद के मर जाता है तो खायकर की वह जमीन हिस्सेदार को रिवर्ट हो जाती है और वह हिस्सेदार उस जमीन का मालिक हो जाता है। कुछ खायकर तो कच्चे खायकर की तरह रजिस्टर्ड डीड के जरिये भी जमीन हासिल किये हैं और रजिस्ट्रेशन आफिस के कागज में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस खायकर जमीन को मैं फलां फलां हिस्सेदार से इतना रुपया देकर खरीदता हूं। जब उसने जमीन को खरीद लिया और उसके लिये हिस्सेदार को रुपया भी दे दिया तो मैं कहता हूं कि एक बार उसकी कीमत दे ही चुका है तो फिर हिस्सेदारों को नाजायज फायदा न उठाने दिया जाय। इस बिना पर कि उनका नाम खायकर में दर्ज है। आखिर यह कौन सा जस्टिफिकेशन है कि उस जमीन का कम्पेन्सेशन उनको दिया जाय?

अध्यक्ष महोदय, मेरी तो स्पष्ट राय है कि जिस जमीन की कीमत हिस्सेदार एक बार खा चुके हैं और जिस जमीन की कीमत का कई गुना मुआविजे का फायदा ये हिस्सेदार कई सदियों तक उठा चुके हैं तो फिर बिना किसी कम्पेनसेशन के दिये हुए उन खायकर को उस जमीन का भूमिधर बना दिया जाय। अब इनको आप हिस्सेदार कहें, चाहे भूमिधर कहें इससे कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार से वे सीरतान हैं जिनको मौरूसी सीरतान कहा जाता है। वह मौरूसी सीरतान हर बन्दोबस्त में बराबर चले आते हैं। मि० बकेट्स सेटिलमेंट में, मि० पाज सेटिलमेंट में और मि० एबटसन्स सेटिलमेंट में बराबर वह हर सेटिलमेंट में, यहां तक कि सन् ३७ में जो सेटिलमेंट गढ़वाल में हुआ है उसमें भी वह लोग मौरूसी सीरतान दर्ज हैं और वहां वह कानूनी हैसियत रखते हैं। अदालतों में भी खायकर और इनका एक ही स्टेटस है और उनके राइट्स भी मौरूसी हैं और जिस तरीके से कि खायकर के लावारिश मरने पर जमीन हिस्सेदार को वापस हो जाती है उसी प्रकार मौरूसी सीरतान की जमीन भी लावारिस के मर जाने पर हिस्सेदार को वापस हो जाती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस कानून में जो भी कानून या प्राविजन

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

खायकर और इन मौरूसी सीरतानों के लिये रखा जाय वह एक ही लेबिल पर और एक ही कन्डीशन्स में तय हो, क्योंकि अदालतों में और हाई कोर्ट में कोई अन्तर नहीं समझा गया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उनसे पता चलता है कि उन दोनों का स्टेटस हमेशा एक ही माना गया है। इन बातों को कहते हुए मैं फिर दरख्वास्त करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस बिल को जल्दी से जल्दी इस सदन से पास कराने का कष्ट करें और वह इसलिए भी हमारी बधाई के पात्र हैं कि जिस लगन, मेहनत और चातुर्य के साथ उन्होंने यह कुमायूं का बिल तैयार किया है उसके लिए मैं उनको फिर एक बार बधाई दिये बगैर नहीं रह सकता।

श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, यह बिल जो सदन में हमारे सम्मुख पेश हुआ यह बिल क्या है, यह बिल मेरी समझ में तो वह चीज है जो कि कुमायूं में भूमि सम्बन्धी खराबियों को दूर करने की बहुत सी प्रणालियां थीं और जो जनता के शुभचिन्तकों का खयाल था, विचार था कि कोई ऐसी चीज बने जिससे यह खराबियां दूर हो जायं, उन खराबियों को दूर करने का यह एक साधन है। वही साधन मंत्री महोदय ने सदन के सामने रखे हैं इसलिए माननीय मंत्री महोदय इस बिल को लाने के लिए और इस उपकार के करने के लिए बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस बिल को पेश करके यह काम किया है कि जिससे कुमायूं में वास्तविक सुधार होगा। मैं इस बिल के बारे में तरह-तरह की भावनायें सुन चुका और तरह-तरह के विष फैलाये जा रहे हैं, उनके बारे में तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, मेरे पूर्व वक्ता काफी कह चुके हैं। मैं तो इस सम्बन्ध में यह कहता हूं कि यह बिल जो आया है यह वह चीज आई है जिससे कि कुमायूं की भलाई होगी और जो स्वार्थी थोड़े से इसके विरोध में बोल रहे हैं उन को इसका ज्ञान कम है। इस बिल में जहां सीरतानों की भलाई है वहां खायकरों की भी भलाई है। अगर वह अच्छी तरह से इस पर विचार करें और देखें तो उनको यह मालूम होगा कि वास्तव में यह वहां की जनता के लिए एक राहत का साधन है और विशेष कर जो सीरतानों के लिए किया गया है वह सब चाहते थे और जो देश के हितचिन्तक हैं उनको इससे प्रसन्न होना चाहिए। इससे उन्हीं की भलाई है जिन की भलाई हम बहुत दिन से करना चाहते थे, जिन की भलाई के लिए आप सदन में आये और देश में नेता इसी आधार से बने और जो भी सबकी भलाई चाहेगा वह इस बिल का समर्थन करेगा। बहुत सी बातें तो इसमें सब कह चुके उनको दोहराऊं तो वक्त ज्यादा लगेगा। इसलिये मैं सदन का ज्यादा वक्त न लेकर यह कहता हूं कि मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और साथ ही साथ जो माननीय माल मंत्री ने जो यह संकेत किया है कि जो खराबियां हैं वे प्रवर समिति में दूर की जायंगी तो उनको हम संशोधन में भी पेश कर सकते हैं अगर कोई खराबी है तो, नहीं तो मेरी समझ से और मेरे पूर्व-वक्ताओं की समझ से जिन्होंने खुले हृदय से इसका समर्थन किया है इसमें कोई खामी नहीं है और इसके पास होने में कोई विलम्ब होना अनुचित है। अगर प्रवर समिति में इसका जाना जरूरी है तो उस प्रस्ताव का भी मैं समर्थन करता हूं। इस के सम्बन्ध में मुझे और अधिक नहीं कहना है। मैं इस बिल का हृदय से स्वागत और सत्कार करते हुए मंत्री महोदय को बधाई देता हूं।

***श्री गंगाधर मैठाणी** (जिला गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, आज यह विधेयक जो सदन के सामने प्रस्तुत है इस सम्बन्ध में माननीय माल मंत्री महोदय ने करीब एक साल पूर्व कुमायूं डिवीजन के विधायकों की सभा भी बुलाई थी और उसमें कुछ सिद्धान्तों पर बातचीत भी की थी। उसके फलस्वरूप आप आज एक विधेयक लाये हैं और प्रस्ताव किया गया है कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय। यद्यपि अभी माननीय उपाध्याय जी ने और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चन्द्र सिंह रावत जी ने इसका विरोध किया है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय, क्योंकि सिद्धान्तन इसमें सभी बातें आ गई हैं और जो कुछ त्रुटियां हैं उनको यहां पर साफ किया जा सकता है। उसके साथ यहां पर बहुत सी बातें ऐसी भी कही गई हैं अखबारों के सम्बन्ध में। गढ़वाल जब मैं जाता हूं तो मैंने देखा कि वहां लोगों को भ्रमात्मक संदेह था कि बिल की क्या रूपरेखा होगी, कैसे जमींदारी-विनाश होगा, क्योंकि वहां हिस्सेदार को ही साधारणतया जमींदार कहा जाता है और जब यह कहा गया कि जमींदारी विनाश होगा तो बहुत से लोगों में भ्रम फैल गया। वहां काश्तकारों को जमींदार कहा जाता है और यहां प्लेन्स में जमींदार के जो मतलब हैं वे वहां नहीं है। जब लोगों को विदित हुआ कि जमींदारी-विनाश कानून पास हो रहा है तो एक भ्रम सा वहां फैला। जो हिस्सेदार थे वे सोचने लगे कि हमारी जो जमींदारी है वह चली जायगी। उस भ्रम के फैलने में कुछ यह बात भी अवश्य हुई कि सरकार की तरफ से बहुत सी ऐसी गलतियां हुई--उसने कुछ ऐसा प्रचार वहां नहीं किया, जिससे लोगों में यह भ्रम न फैलता। लेकिन बावजूद इसके भी हम यह देखते हैं कि गढ़वाल के अन्दर उतना विरोध आज हम नहीं पाते हैं जब कि लोगों को इस विधेयक का रूप मालूम हुआ। हमारे भाई उपाध्याय जी ने बहुत से अखबारों का जिक्र किया। मुझे भी अखबार देखने को मिले हैं। वहां पर कुमायूं, अल्मोड़ा और नैनीताल में कुछ अधिक इसका विरोध हुआ है और माननीय मंत्री महोदय को मैं आपके द्वारा अध्यक्ष महोदय, बतलाऊं कि पिछले बजट के समय पर मैंने मंत्री महोदय से अनुरोध किया था कि सेटिलमेंट जल्दी प्रारम्भ होना चाहिये और इसके अतिरिक्त बिल भी जल्दी आ जाना चाहिये जिससे लोगों में जो यह सन्देह फैला हुआ है वह न रहे और लोगों को यह मालूम हो जाय कि भविष्य में उनकी स्थिति काश्तकारी के सम्बन्ध में या जमीन के सम्बन्ध में क्या होगी और उसके मुताबिक लोग अपनी स्थिति को बनायेंगे।

कुमायूं के अन्दर गढ़वाल में जो सन् ४६ में सेटिलमेंट हुआ उसमें आप देखेंगे कि वहां कोई क्वालीफाइड ला नहीं है, लेकिन जो स्टावेल लैन्ड मैनुअल है एक किस्म से जो काश्तकारों की प्रथा है--टिनेंट्स को धीरे-धीरे अपग्रेड, एबोल्यूशन के स्टेज से कर दिया गया है। जैसा कि बतलाया गया है कि खायकर वह है जो कि अपने को सेटिलमेंट के समय हिस्सेदार दर्ज नहीं करा पाये। सेटिलमेंट में हमने देखा कि खायकर तो हुए ही, उसके अतिरिक्त सीरतान भी काफी तादाद में रेकार्ड कर दिये गये और यहां तक कि जिन लोगों के पास कब्जा था मौरूसी सीरतान नहीं थे वह भी दर्ज कर दिये गये। उनको भी कागजों में सीरतान दिखाया गया है। अब वहां पर आपरेशन कर रहे हैं। मैंने देखा कि वहां पर कुछ इलाकों में आपरेशन हो रहा है उससे वास्तविक स्थिति मालूम होगी। पिछली मर्तबे जो आंकड़े टिनेंट्स के दिये गये उनमें बताया गया कि कितने-कितने प्रतिशत कौन से टिनेंट्स हैं। इसी प्रकार जो आज माल मन्त्री जी ने आंकड़े दिये उसमें काफी अन्तर मालूम पड़ता है और उसके अलावा जो आपने अभी नैनीताल के सत्रह गांवों का जिक्र किया उसमें २४ या २० प्रति सैकड़ा सीरतानों को बतलाया गया है। वहां का रिकर्ड ठीक नहीं है यह हम भी मानते हैं और वह ठीक बन जाना चाहिए। उससे वहां के काश्तकारों की वास्तविक स्थिति भी मालूम हो सकेगी अगर ऐन्युअली या सिक्स मंथली रिकार्डिंग हो उससे पता लग सकेगा कि वहां की क्या पैदावार होती है और उनकी क्या स्थिति है।

सेटिलमेंट का मैं ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता हूं। लेकिन सेटिलमेंट प्रारम्भ करने के पूर्व सेटिलमेंट के नियम पूरे नहीं बनाये गये और एक दफा सेटिलमेंट प्रारम्भ किया गया और उसके बाद फिर रिवाइज कर दिया गया। कुछ लोगों का कहना था कि वहां प्रारम्भ से ऐसी बात रही है कि बरसात के दिनों में सेटिलमेंट आपरेशंस नहीं होते हैं। उससे गांवों के लोगों को भी दिक्कत होती है और रिकर्ड भी ठीक ढंग से नहीं बनते। अभी पेपर्स में मैंने देखा है और मेरे पास पत्र भी आये हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस ओर ध्यान दें। उनका कहना है कि सेटिलमेंट आपरेशन हों, लेकिन बरसात में न हों, क्योंकि लोगों की फसल भी खड़ी रहती है और रेकार्ड भी ठीक नहीं हो पाते हैं। उसके अलावा सेटिलमेंट के जो कर्मचारी जो कुछ स्थानों में गये हैं--मैं इस बात को इस लिए कह रहा हूं

[श्री गंगाधर मैठाणी]

कि माननीय मन्त्री महोदय ने सेटिलमेंट का जिक्र किया है यद्यपि विधेयक में सेटिलमेंट का जिक्र नहीं है, लेकिन एक दो बातें अगर मैं कह दूं तो अप्रासंगिक नहीं होगा। सेटिलमेंट के कर्मचारियों के भोजन और रहने की व्यवस्था अच्छी तरह नहीं की गई है। यह पिछले बजट के समय में भी मैंने कहा था। यह कस्टम सा रहा है कि जो गवर्नमेंट के वेतन भोगी कर्मचारी हैं उनके भोजन आदि की व्यवस्था गांव के लोगों को करनी है जब कि सरकार की तरफ से उनको वेतन वगैरह अच्छी तरह दिया जाता है और जो कि अमीन रखा जाता है जिसकी क्वालिफिकेशन दर्जा आठ पास है उसके लिए ९०, ९५ रु० पर्याप्त है। उसकी तरफ आपको ध्यान देना है आपरेशंस का विरोध नहीं है, लेकिन बरसात में कष्ट होता है। आपरेशंस की यूटिलिटी धीरे-धीरे लोग समझेंगे जब कि हर छः महीने में रेकार्डिंग होती जायगी।

अब अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा इस बिल के कुछ सिद्धान्तों पर आना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त जब काश्तकारों के प्रत्येक अंग पर जायं, वहां की टिनैन्सी जो कि स्टावेल मैनुअल में दी हुई है प्रदेश के और हिस्सों से वह बिल्कुल भिन्न है। वहां पर मदरास जैसा रैयतवाड़ी सिस्टम है। इसलिए विनाश का उतना प्रश्न नहीं आता है। वहां पर खेत एक बाद के दूसरे के हाथ में चला जाता है और उसके बाद अधिकार और स्वत्व दूसरे के पास हो जाता है।

जो लोग पढ़े-लिखे हैं और जिन लोगों के पास कुछ जमीन भी होगी, उनके पास आय के दूसरे साधन भी हैं, बाहर आते-जाते हैं, व्यापार करते हैं, पल्टन में नौकरी करते हैं उसके द्वारा वे अपनी जीविका चलाते हैं। लेकिन जो छोटे तबके के लोग हैं और उनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता थी, इसको हम बार-बार कहते जाते थे आपने वह काम किया। लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सी इसमें महत्वपूर्ण बातें थीं उन पर तो कुछ पूर्व वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट किये। लेकिन मैं समझता हूं वहां के जो गांव हैं वह एक किस्म से जैसे हम ग्रीस के इतिहास में देखते हैं एक रिपब्लिक सी स्टेट थी, उसी प्रकार गढ़वाल में थी। और उनके अधिकार उस गांव के अन्दर जो यू० पी० जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट बनाया होगा आपने उसमें भी शायद आपने कुछ दिया होगा। लेकिन उस के अतिरिक्त हम देखते हैं उन गांवों वालों के बहुत से अधिकार थे। अपने गांव के अन्दर यद्यपि हम जानते हैं जितनी कैसरे हिन्द जमीन है गवर्नमेंट की मानी जाती है उस पर अगर कोई खेती करता था ग्रान्ट के द्वारा तो गवर्नमेंट की इजाजत से करता था। लेकिन उस जमीन के अन्दर जो उसके गांव की सरहद के अन्दर है उसके अन्दर जितनी चीजें पैदा होती थीं, चाहे पत्थर हो या लकड़ी हो, उसका उपयोग गांव का आदमी करता था उसके द्वारा वह फौडर के लिये या मकान बनाने के लिये उसका उपयोग करता था। इसके द्वारा आप जहां तक गांव समाज, ग्राम सभा बनायेंगे उस गांव की जमीन के अन्दर उसके वे अधिकार उस प्रकार से सुरक्षित रहें। लेकिन हम देखते हैं स्टोवेल मैनुअल के अधिकार भी जो डिस्ट्रिक्ट फौरेस्ट हैं उसके अन्दर भी लोगों के अधिकार हैं, अगर पेड़ नहीं काट सकते लेकिन पत्तियां ले जा सकते हैं, टिम्बर ले जा सकते हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त उनके ग्रेजिंग राइट्स हैं। हम तो देखते हैं कि गढ़वाल के अन्दर और कुमायूं के अन्दर भी और पहाड़ के जितने गांव होंगे गरीबी बहुत अधिक है। केवल खेती ही से गुजर नहीं होती मवेशी पाले जाते हैं। इसलिये डिस्ट्रिक्ट फौरेस्ट के अन्दर और रिजर्व फौरेस्ट के अन्दर भी अधिकार दें, कोडीफाई लाज नहीं बल्कि कस्टमरी राइट थे। और मैं समझता हूं जो कानून बन रहा है उसके द्वारा गांव वालों के काफी अधिकारों का हनन होगा, क्योंकि नियत नहीं है। यद्यपि मंत्री जी कहेंगे कि गांव समाज बनायेंगे। १८८० में विलेज बाउन्ड्री बनाई गई है वे अभी तक हैं। यह माना जायगा विलेज बाउन्ड्री के अन्दर जितनी जमीन है उसके ऊपर उनका उतना ही अधिकार रहेगा।

लेकिन उसके अतिरिक्त जो डिस्ट्रिक्ट फौरेस्ट है या रिजर्व फौरेस्ट हैं उसके अन्दर भी गांव वालों के अधिकार जाते हैं। तो उन अधिकारों की सुरक्षा का क्या प्रबन्ध है ? यह सही है कि वह फ्रंटियर भी है। लेकिन मंत्री ने कहा कि जैसे पेशावर के फ्रंटियर से रेड हुआ करते थे उत्तर के फ्रंटियर से रेड नहीं हो सकते हैं। यह हम मानते हैं कि यहां के लोग अपने देश को अपना देश मानते हैं। यह भी हम मानने को तैयार हैं कि यहां पर एक यूनीफाइड लेजिस्लेशन हो, तमाम उत्तर प्रदेश के अन्दर एक जमीन का लेजिस्लेशन हो। लेकिन यह बात अवश्य कहूंगा कि वहां के गांव वालों के पास इतने साधन मुहइया नहीं हैं, यद्यपि मैं समझता हूं गांव बाउन्ड्री का दूसरा प्रश्न है, लेकिन गांव की बाउन्ड्री के बाहर उनके अधिकार डिस्ट्रिक्ट फौरेस्ट के अन्दर या फौरेस्ट डिपार्टमेंट के जंगल के अन्दर भी इससे सुरक्षित नहीं मालूम होते हैं। इसके ऊपर मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये। बहुत से लोग कहते हैं कि जंगलात के कारण से वहां बहुत सी बगावतें हुई हैं और आज जैसा उपाध्याय जी ने कहा कम्यूनिस्ट कहते हैं वहां पर तलवारें चलेंगी; वह इन प्वाइंटों से एजीटेशन फैलायेंगे और लोगों को बतायेंगे कि यह आपके अधिकार हैं और लोगों को यह बतायेंगे कि यह अधिकार आपके सुरक्षित नहीं हैं। वहां पर मवेशी पालने को तो लोग गए ही हैं, एक्सटेंशन बहुत हुआ है, इल्लीगल कल्टीवेशन भी हुआ है और जिनके पास पैसे हैं उन्होंने उनका दुरुपयोग भी किया है जैसा अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे। आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारी जो हैं उनके पास रिपोर्ट के लिए जाता होगा वह सही बात देते भी नहीं होंगे। इसके कारण एक्सटेंशन बढ़ता गया और इल्लीगल कब्जा भी बहुत सा लोगों ने कर लिया। इसके अतिरिक्त जो बाहरी लोगों के अधिकार हैं, कुछ ऐसे जंगल है जहां पर एक गांव के नहीं कम से कम दस बारह पट्टियों के लोग वहां पर जाते हैं और बहुत से ऐसे स्थान है आठ हजार से अधिक ऊंचाई के हैं वहां पर जब बरफ गिर जाती है तो कम से कम चार-पांच पट्टियों के लोग अपने मवेशियों को लेकर जाते हैं और वहां पर छोटी-छोटी चीजें अपने उपयोग की बनाते जैसे रंगीला की चीजें होती हैं, या घास की चीजें बनाते हैं और उनका उपयोग करते हैं। उन सब चीजों पर अब प्रतिबन्ध होगा। कोडीफिकेशन आप कर रहे हैं। हम आपकी भावना की कद्र करते हैं और इस लेजिस्लेशन का स्वागत करते हैं। लेकिन वहां के लोगों के सम्बन्ध में अच्छे ढंग से कुछ विचार कर लिया जाय, ताकि उनके अधिकारों का हनन न हो।

अब इतना कहने के बाद मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूं। मैं टेनेंसी के क्लासिफिकेशन के ऊपर माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाऊंगा। जहां तक खायकरों का प्रश्न है, हम यह देखते हैं कि खायकरों से मुआवजा लिया जायगा और हिस्सेदारों को दिया जायगा ट्वेल्व टाइम्स होगा.....

श्री चरणसिंह--कहां है इसमें ?

श्री गंगाधर मैठाणी--इसमें यह है तो, कि खायकरों से आप मुआवजा लेंगे और उसके बाद हिस्सेदारों को देंगे। उसके बाद तब उनको भूमिधर बनायेंगे खायकारों को।

श्री चरणसिंह--यह कहीं नहीं है इसमें। जो जमीन हिस्सेदारों की खायकरों के पास है तो हिस्सेदारों को उसका मुआवजा मिलेगा, लेकिन खायकरों से लेकर नहीं दिया जायगा उनको।

श्री गंगाधर मैठाणी--यह अच्छा है कि खायकरों से नहीं लिया जायगा। लेकिन यह प्वाइंट आपने क्लीअर नहीं किया कि वह देगा कौन ?

एक सदस्य--गवर्नमेंट देगी।

श्री गंगाधर मैठाणी--यह अच्छी बात है कि गवर्नमेंट उसको देगी, खायकरों को वह मुआवजा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन हिस्सेदारों को मुआवजा मिलेगा। तो उसको गवर्नमेंट देगी। यह प्रसन्नता की बात है। अब मैं दूसरे प्वाइंट पर आता हूं कि जो सीरतान

[श्री गंगाधर मैठाणी]

हैं उनका मुआवजा कौन देगा ? अगर उनसे मुआवजा लिया जायगा जो कि वीकर सेक्शंस हैं तो यह तो उचित नहीं है। जो वीकर सेक्सन है उसे तो छूट देने की जरूरत है। इस वास्ते जो उन्होंने मुआवजा लेने का प्राविजन किया है कि साल भर के अन्दर अगर वह भूमिधर न हो पाया तो उनसे आप मुआवजा लेंगे....

श्री चरणसिंह--आपने उसको पढ़ा नहीं। सीरतान सीरदार हो जायगा, आटोमेटिकली साल भर के बाद बिना किसी कम्पेन्सेशन के दिये।

श्री गंगाधर मैठाणी--यह भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह प्वाइंट फिर भी क्लीअर नहीं हुआ कि हिस्सेदारों को कम्पेंसेशन कौन देगा ? इस प्वाइंट को हम पूछना चाहेंगे कि हिस्सेदारों को जो कम्पेंसेशन मिलेगा, उसको कौन देगा, चाहे वह सीरतान से मिलेगा या खायकर से मिलेगा, किसी से मिलेगा, लेकिन कौन देगा, इस प्वाइंट को क्लीअर नहीं किया है। इसको मैंने पढ़ा भी तो यही समझा कि...

श्री चरणसिंह--अब इसको समझने के लिए आपको सीधा लेकर मेरे दफ्तर में आना पड़ेगा।

श्री गंगाधर मैठाणी--अध्यक्ष महोदय, यद्यपि मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि हिस्सेदारों को तो मिलेगा ही, लेकिन खायकरों और सीरतानों को नहीं देना पड़ेगा। अच्छा है बड़ी खुशी की बात है। लेकिन हिस्सेदारों को मिलेगा और जैसा उपाध्याय जी ने कहा कि हमारे जितने भी सदस्य आये हैं वह हिस्सेदारों में से ही यहां आये हैं, तो उन्हें प्रसन्नता है कि उन्हें मुआवजा मिलता जायगा, लेकिन हम तो यह समझते हैं कि उनको कहीं से भी मिलेगा, वास्तव में हमने तो पहले भी कहा था कि हिस्सेदारों को मुआवजा मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम स्टौवेल मैनुअल में देखते हैं कि खायकर कैसे एराइज होते हैं तो जैसा कि लोगों ने कहा कि वह हिस्सेदार ही थे और वह रिकार्ड में किसी वजह से नहीं लिखा सके और वह खायकर लिखे गये, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि ऐसा भी हुआ होगा कुछ केसेज में, हमने देखा है कि खायकरी राइट्स जब दिये जाते हैं जब कोई खायकर बनता है और उसमें काफी किस्म के ड्यूज लिये जाते हैं। इसका स्टौवेल मैनुअल में काफी डिस्क्रिप्शन दिया है कि भेंट ली जाती है, दस्तूर लिया जाता है और इसके अलावा काफी रुपया भी देना पड़ता है। किस प्रकार से खायकारी राइट्स प्राप्त होते हैं इसको हमें देखना है। जब कोई बाहर से आदमी आता है और वह कहता है कि मैं आपके यहां बसूंगा तो उसको काफी रुपया देना पड़ता है तब कहीं जाकर उसको खायकरी के राइट्स मिलते हैं। इस तरह से खायकरी राइट्स मिलने के बाद यह भी देखा गया है कि जब उसका दाखला मरम्मत होता है तो उस समय भी हिस्सेदार की रजामंदी लेनी होती है तो उस समय भी वह भिटाई वगैरा लेते हैं।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय, यह भी हमने देखा है कि प्रायः पक्के खायकर के गांवों में हिस्सेदार नहीं रहता है। यह भी देखा गया है कि वो भाई है और अगर वह ज्वाइंट फेमिली भी है लेकिन डायरेक्ट ईश्यू नहीं होता है तो सीरदार लोग खायकर को बहुत परेशान करते हैं और खायकरी राइट्स के लिये जब परमीशन देते हैं जब कि काफी रुपया ले लेते हैं। मेरे सामने इसकी बहुत सी इंस्टान्सेज हैं कि एक-एक नाली के ऊपर लोगों ने ५००-५०० रुपया ले लिया तब कहीं खायकर के राइट्स दिये और तब उसका लड़का वगैरह खायकर बना। इस तरह से हिस्सेदारों ने खायकरों के साथ ज्यादतियां की हैं और हम चाहते हैं कि किसी तरह का मुआवजा देने का माननीय मंत्री जी अगर प्राविजन कर रहे हैं, जैसे कि बिल में है तो वह गलत है।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पूर्व वक्ता महोदयों ने कहा कि चूंकि वह हमारे संविधान में है किसी की अगर सम्पत्ति ली जाती है तो बिना मुआवजा दिये नहीं ली जा सकती है तो अगर यह सम्पत्ति हिस्सेदार की है तो उसकी सम्पत्ति बिना मुआवजा दिये नहीं ली जा सकती है तो हम चाहते हैं कि वह मुआवजा एक किस्म से नौमीनल सा हो जिससे कानून की पूर्ति हो जाय और किसी प्रकार से रुपया भी न दिया जाय ।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में बहुत सी खामियां भी हैं जैसे कि सीरतान के संबंध में है । एक बड़ा कंफ्यूजन चला है । मैं अपनी व्यक्तिगत धारणा तो बताऊंगा ही लेकिन जो लोगों की विचारधारा है वह बताता हूं । वह यह है कि १९५४ में एक ऐक्ट सीरतानों को प्रोटेक्शन देने के लिये बना था उस समय हमने काफी तर्क-वितर्क किया था । उसको मंगाकर देख लिया जाय कि हमने कहा था कि सीरतान को डिफाइन कर दिया जाय । कुमायूं डिवीजन अल्मोड़ा और नैनीताल में कंफ्यूजन नहीं रह जायगा । लेकिन उस समय उसको क्लैरीफाई नहीं किया गया । इस समय भी हम देखते हैं कि डैफीनीशन के अन्दर खाली सीरतान रखा गया है । जो वर्डिंग्स रखे गये है वह यह हैं कि "ऐज कस्टोमरी ला आफ कुमायूं" अगर डैफीनीशन कर दी जाती तो अच्छा होता । वह एक प्रकार से स्लेव हैं । अगर इसको क्लेरीफाई कर दिया गया होता तो दो समस्यायें हल हो गई होतीं । एक तो लिटीगेशन नहीं होगा, दूसरे यह कि लोगों में आपस में गांव-गांव में झगड़े नहीं होंगे । आप तो जानते हैं कि गढ़वाल का ६ हजार स्क्वायर मील एरिया है और जिस चमोली का तहसील में मैं रहता हूं उसका तीन हजार स्क्वायर मील एरिया है । वहां एक डिप्टी कलेक्टर रहता है । उस एरिया में अगर कहीं झगड़ा भी होता है तो वहां आपका कोई अधिकारी भी नहीं पहुंच पाता और पट्टियां भी ऐसी हैं, जैसे केदारनाथ जिस पट्टी में है उसमें २१ मील तक तो गांव हैं और उसके बाद तिब्बत तक हिस्सा जाता है जहां ६ महीने के लिये लोग अपनी गाय और बच्चों वगैरह को ले जाते हैं तो वहां भी कभी-कभी झगड़ा हो जाया करता है । तो मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि उनको सीरितान न माना जाय । अगर आप ठीक समझते हैं तो करिये, लेकिन उसको साफ कर दिया जाय । आप कहते हैं कि इसमें प्रायः वे लोग होंगे जो गरीब हैं । तो जिस प्रकार की परिभाषा आपने सीरतान की रखी है उसके अनुसार वे लोग कभी छुटकारा नहीं पा पायेंगे । इसलिए सीरतान को बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया जाय । इसके आप लिख दीजिये कि जो मौरूसी है, साझी है, अधेल या तिहेल देता है, वगैरह वगैरह में वह सीरतान माना जायगा । इसके बाद वहां झगड़े नहीं होंगे । अगर लोगों में कुछ एजिटेशन होगा तो थोड़ी देर के लिये होगा । हम समझते हैं कि हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर काफी बलशाली और प्रभावशाली हैं । इस सम्बन्ध में भी जो अखबारों वगैरह में एजिटेशन हुआ उसके बाद भी हम समझते थे कि वे बिल लायेंगे और वे लायें भी ।

इसके बाद और भी डेफनीशन्स हैं । जैसे आपने लैन्ड की डेफनीशन की है । इस की डेफनीशन में ठीक वही शब्द हैं जो आपने जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में रखे हैं । इसमें है:—

"Land" means land held or occupied for purposes connected with agriculture, horticulture or animal husbandary which includes pisciculture and poultry farming, but shall not include a forest."

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण कल जारी रखियेगा ।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थागित हो गया ।)

लखनऊ;
६ अगस्त, १९५६ ।

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७९ पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र (१९५६) के तीसरे सोमवार की बैठक के लिए निर्धारित प्रश्न संख्या ८ के उत्तर में प्रसंगित सन् १९५५ में अलीगढ़ जिले के प्रत्येक हाकिम परगना के न्यायालय में प्रति मास दायर हुये तथा फैसल हुये मुकद्दमों के आंकड़ों की सूची

	परगना हाकिम					
	कोइल	अतरौली	सिकन्दरा राव	हाथरस	इगलास	खैर
जनवरी—						
दायर किये गये मुकदमों की संख्या ..	५७	३०	२०२	३२	५	८९
फैसल किये गये मुकदमों की संख्या ..	४४	३०	६५	२४	१३	७०
फरवरी—						
दायर किये गये मुकदमों की संख्या ..	२०	४०	१४४	१०१	१०८	९०
फैसल किये गये मुकदमों की संख्या ..	१३	४५	१८३	९७	७८	१०४
मार्च—						
दायर किये गये मुकदमों की संख्या ..	३१	८३	१३०	५४८	४६	५४
फैसल किये गये मुकदमों की संख्या ..	३३	७५	४६१	५५२	३६	५२
अप्रैल—						
दायर किये गये मुकदमों की संख्या ..	६४	७७	२१२	४२२	५९	१२६
फैसल किये गये मुकदमों की संख्या ..	५०	७६	२१६	४३३	६३	१०९
मई—						
दायर किये गये मुकदमों की संख्या ..	५५	४०	७८	४०	६०	३५
फसले किये गये मुकदमों की संख्या ..	४६	४०	१३२	४६	४७	३६
जून—						
दायर किये गये मुकदमों की संख्या ..	८४	४४	६४	३४	९३	३२
फैसले किये गये मुकदमों की संख्या ..	६९	५३	८८	३७	६३	५६
जुलाई—						
दायर किये गये मुकदमों की संख्या ..	१९१	१३२	२६५	६३	९	१६२
फैसल किये गये मुकदमों की संख्या ..	११९	१५२	१७४	६१	७०	१६२
अगस्त—						
दायर किये गये मुकदमों की संख्या ..	८३	११४	९४	४९	८७	५२
फैसल किये गये मुकदमों की संख्या ..	१२१	११४	९३	४३	११२	३६
सितम्बर—						
दायर किये गये मुकदमों की संख्या ..	११६	५०	१०४	४३	२३	३४
फैसल किये गये मुकदमों की संख्या ..	१३०	४४	८८	२२	७९	६०
अक्टूबर—						
दायर किये गये मुकदमों की संख्या ..	४०	२४	५२	१२	५८	४७
फैसल किये गये मुकदमों की संख्या ..	२५	२६	५५	८	२१	२२
नवम्बर—						
दायर किये गये मुकदमों की संख्या ..	३३	२४	१००	१३	२७	५३
फैसल कि गये मुकदमों की संख्या ..	२७	३०	८१	१६	२०	३१
दिसम्बर—						
दायर किये गये मुकदमों की संख्या ..	८३	२०	२३०	१४१	३९	१९६
फैसल किये गये मुकदमों की संख्या ..	६९	२७	९२	४१	३१	२१८

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८६ पर)

इलाहाबाद जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में गत वर्ष सहायता कार्य पर व्यय का विवरण

मद	निर्धारित धनराशि	वास्तविक व्यय
	रु०	रु०
१--अहेतुक सहायता और फीस माफी के हेतु ..	७५,०००	५७,२३८
२--मकानों के लिये सहायता ..	२५,०००	२२,०००
३--प्रकीर्ण व्यय जैसे नाव, रोशनी आदि ..	१०,०००	८,८५४
४--भूसा के लिये ..	१०,०००	७,४०६
५--तकावी बीज आदि के लिये (बिना ब्याज के)	१,५०,०००	१,५०,०००
६--तकावी मकानों के लिये (बिना ब्याज के)	१,४०,०००	१,४०,०००
७--अकृषकों के लिये मकान के हेतु ऋण (बिना ब्याज के) ..	२५,०००	२५,०००

जहां तक बचत का प्रश्न है, एक वित्तीय वर्ष में निर्धारित धनराशि का कोई अंश यदि उसी वर्ष व्यय नहीं होता तो वह व्ययगत (lapse) हो जाता है।

पी० एल० यू० पी० ए० पी०—१४५ एल० ए०—१९५६—७९६।